No.V (3) Fin (LA) Vol-4 - 147 - 149
Government of Himachal Pradesh,
State Audit Department.

From

The Director,
H.P. State Audit Department,
Shimla-171009.

To

The Commissioner,
Municipal Corporation Palampur,
Kangra-176061

Dated......, Shimla-171009, the..... 03-1-2024

Subject:- ***Audit and Inspection Report on the accounts of Municipal Corporation Palampur for the period 01.04.2022 to 31.03.2023.***

Sir,

I am directed to forward herewith the audit report on the accounts of Municipal Corporation Palampur for the period 4/22 to 3/23 for taking further necessary action at your end. Besides, it is also brought to your kind notice that there are quite a large number of unsettled old audit paras that are not getting the required attention. Therefore, you are requested to initiate an early action for the time-bound settlement of these paras.

Yours faithfully,

3.1.2024

(Jitendar Singh)
Additional Director,
Himachal Pradesh State Audit Department,
Shimla-171009
Ph.No.0177-2620046

Encl: As above.

Endst. No. As above... Shimla-171009, the...

Copy forwarded to :-

1. The Senior Private Secretary to Principal Secretary (UD) to the Government of Himachal Pradesh for information and necessary action.
2. The Director, Urban Development, HP, Shimla-2 for information and necessary action.

3.1.2024

(Jitendar Singh)
Additional Director,
Himachal Pradesh State Audit Department,
Shimla-171009
Ph.No.0177-2620046.

Encl: As above.

Government of Himachal Pradesh
State Audit Department,
Block No-38, S.D.A. Complex,
Kasumpti, Shimla-171009

Audit and Inspection Report on the Accounts of Municipal Corporation, Palampur for the Period 04/2022 to 03/2023

नगर निगम पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2022 से 03/2023
भाग-एक

1. **(क) प्रारम्भिक:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376 /81-फिन (एल०ए०) खण्ड –(ख) IV/ दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों, नगर निगमों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर निगम, पालमपुर के लेखों का अवधि 04-2022 से 03-2023 का अंकेक्षण कार्य निष्पादित किया गया। नगर परिषद पालमपुर को अधिसूचना संख्या UD-A(1)-3 /2018 दिनांक 28.10.2020 के अन्तर्गत नगर निगम घोषित किया गया था।

अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद पर निम्नलिखित महापौर एवं आयुक्त कार्यरत रहे :-

महापौर, नगर निगम पालमपुर

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमती पूनम बाली (महापौर)	01.04.2022 से 31.03.2023

आयुक्त, नगर निगम पालमपुर

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	डॉ. विक्रम महाजन	01-04-2022 से 28-12-2022
2	श्री शिव मोहन सिंह सैनी	29-12-2022 से 19-01-2023
3	डा० अमित गुलेरिया	20-01-2023 से 01-03-2023
4	डा० आशीष शर्मा	02-03-2023 से 31-03-2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

नगर निगम पालमपुर के अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण :-

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1	रोकड़ बही का बैंक खातों में अन्तर पाया जाना	4 (i)	73.23
2	बैंक खाता संख्या 918010080869396 (ऐक्सिस बैंक) से अनियमित निकासी बारे	4 (iii)	18.45
3	रोकड़ बही में दर्ज अनुदान राशि का वास्तव में प्राप्त न होना	4 (viii)	40.19
4	बैंक खाता संख्या 20141014707 (KCCB) में जमा राशि का लेखांकन रोकड़ बही में न करना ।	4 (xi)	4.12
5	बैंक खाता संख्या 07024458522 (Indian Bank) में जमा राशि का लेखांकन रोकड़ बही में न करना ।	4 (xii)	135.65
6	प्रधानमन्त्री आवास योजना (PMAY) में से प्राप्त अनुदान राशि को रोकड़वही में दर्ज न करने के संदर्भ में	4 (xv)	70.10
7	गृहकर, दुकान किराये, मोबाइल टावर नवीनीकरण शुल्क, जल प्रभार व घर घर कूड़ा संग्रहण के उपयोक्ता प्रभार की बकाया राशि की वसूली न करना	8 (i) 9 (i) 10, 11 (i), 13	233.67
8	पार्किंग स्थलों की नीलामी राशि की वसूली न करने के संदर्भ में	14	7.26
9	नगर निगम द्वारा GEM Portal के माध्यम से क्रय की गई सोलर लाइट्स (Solar Lights) व पफ टॉइलेट्स हेतु संबंधित फर्म के बिलों से परिसमापन हर्जाने	18 & 19	62.46

	(liquidated damages) की वसूली न करना एवं नियमानुसार कटौतियाँ न करने के कारण उन्हे अनुचित लाभ प्रदान करना		
10	स्त्रोत पर आयकर (सरचार्ज सहित) मु० 1.45 लाख व स्त्रोत पर वस्तु एवं सेवाकर मु०1.40 लाख की कटौती न करना	23	2.85

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

नगर निगम द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "1"** पर दिया गया है ।

नगर निगम पालमपुर, जिला कांगड़ा के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की सूची निम्नलिखित है :-

(i) गत आपत्ति विवरणिकाएं :-

क्रम संख्या	अवधि	शेष पैरें	स्थिति
1	4/57 से 3/58	42 व 49	अनिर्णीत
2	4/58 से 3/59	13, 27 व 32	अनिर्णीत
3	4/59 से 3/60	14 व 33	अनिर्णीत
4	4/60 से 3/62	11	अनिर्णीत
5	4/62 से 3/63	12(4), 14 व 18	अनिर्णीत
6	4/63 से 3/64	10 व 15	अनिर्णीत
7	4/75 से 3/78	4(4 से 6) व 5	अनिर्णीत
8	4/78 से 3/80	1(ए व बी) व 6(सी)	अनिर्णीत

(ii) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

क्रम संख्या	अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि	अनिर्णीत पैरों की संख्या
01	4/1968 से 3/1973	2
02	4/1975 से 1/1978	3

03	4/1978 से 3/1980	2
04	4/1982 से 3/1985	3
05	4/1985 से 3/1989	17
06	4/1989 से 3/1994	6
07	4/1994 से 3/1997	8
08	4/1997 से 3/2005	31
09	4/2005 से 3/2007	8
10	4/2007 से 3/2010	9
11	4/2010 से 3/2012	31
12	4/2012 से 3/2014	20
13	4/2014 से 3/2016	11
14	4/2016 से 3/2018	13
15	4/2018 से 3/2020	42
16	4/2020 से 3/2022	41
	योग	**247**

भाग- दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

नगर निगम पालमपुर के लेखों अवधि 04/2022 से 03/2023 तक का अंकेक्षण कार्य श्री विपुल कुमार सूद, सहायक नियंत्रक व श्री श्रवण कुमार, सहायक नियंत्रक द्वारा दिनांक 29.04.2023 से 13-07-2023 तक पालमपुर मे किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं । लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/2023	08/2022

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण आयुक्त, नगर निगम द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। अंकेक्षण को प्रदत किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं, के परिणामस्वरूप इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं है। अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित माह तक सीमित है।

3. **अंकेक्षण शुल्क :-**

नगर निगम पालमपुर के अवधि 04/2022 से 03/2023 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क राशि **₹70,000.00** आँका गया है। उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करने हेतु आयुक्त, नगर निगम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर शिमला भेजने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/AC-V/085/2023 दिनांक 13-07-2023 द्वारा अनुरोध किया गया था।

4. **वित्तीय स्थिति :-**

नगर निगम पालमपुर की अवधि 04/2022 से 03/2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

(क) मुख्य रोकड़ वही :- (परिशिष्ट '2')

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	अनुदान (₹)	स्व स्त्रोत से आय (₹)	ब्याज की राशि (₹)	कुल राशि (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	185270699.00	247869918.00	65668833.06	5714869.00	504524319.06	262191862.00	242332457.06

दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹24,23,32 ,457.06

दिनांक 31.03.23 को बैंक खातों में शेष : **₹26,50,33,238.32**

अंतर = ₹ 2,27,00,781.26

दिनांक 31-03-2023 को बैंक खातों का विवरण:-

Sr. No.	Name of the Banks	Account Numbers	Balance as on 31.03.2023 (₹)
1	SBI Palampur	55059019992	**762713.16**
2	SBI Palampur, ADB	11358897488	**265093.66**

3	PNB Palampur	2934000100048001	**8543606.64**
4	PNB Palampur (OBC)	06152010011850'	**1247669.44**
5	PNB Palampur (OBC)	06152191006188'	**18171.17**
6	Indian Bank Palampur	50076430422	**14657697.34**
7	Indian Bank Palampur (Allahabad Bank)	50509199630	**63261**
8	Indian Bank Palampur (Allahabad Bank)	50517937331	**7328514**
9	Indian bank Palampur	7041847674	**0**
10	Indian bank Palampur	7198974136	**5104963**
11	Indian bank Palampur	07024458522'	**13564842.86**
12	Indian bank Palampur	50384940727	**0**
13	Indian bank Palampur	50363086427	**12659**
14	Indian bank Palampur	7156653939	**0**
15	IDBI Palampur	0706102000009325'	**49143772**
16	IDBI Palampur	0706104000060349'	**350498.78**
17	ICICI Bank Palampur	093601000465'	**67602323**
18	ICICI Bank Palampur	093601001159'	**13032849**
19	UCO Bank Palampur (PMAY)	12550110043301'	**126254**
20	CANARA Bank	110006811863'	**10464545**
21	Central Bank Of India Palampur	3735105087	**172526**
22	Central Bank Of India Palampur	3671255148'	**0**
23	Axis Bank Palampur	918010080869396'	**14689167**
24	Himachal Pradesh Gramin Bank Ghuggar Palampur	88120100000260'	**77534**
25	HDFC Palampur	50100041817030'	**578920.27**
26	HDFC Palampur	50100473318444'	**0**
27	HDFC Palampur	50100530980755'	**9287**
28	KCC Bank Palampur	20141014707	**61583**
			207878450.32
	FDR's		**57154788**
	Total		**265033238.32**

बैंक समाधान विवरणी :-

नगर निगम द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी जिसका विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "2"** पर दिया गया है, का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं दर्ज की गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:-

(i) रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों में ₹73.23 लाख का अन्तर पाया जाना:-

अंकेक्षण अवधि 2022-23 की रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि रोकड़ बही के शेषों का बैंक में जमा राशि से मिलान नहीं किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक 31.03.2023 को मुख्य रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक के अन्तिम शेष में **परिशिष्ट-2** वर्णित विवरणानुसार ₹73,22,861.40 का अन्तर पाया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 1971 के नियम 2.2 के अनुसार प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ बही के शेषों का बैंक के शेषों से मिलान करना अनिवार्य था । अतः नगर निगम द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है । अतः रोकड़ बही उक्त नियम के अनुसार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करने एवं दिनांक 31.03.2023 को मुख्य रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष के अन्तर ₹73,22,861.40 बारे वास्तुस्थिति से अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

(ii) बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर निगम द्वारा **परिशिष्ट-2** के अनुसार ₹14,96,121.00 के चैक जारी किये गये थे लेकिन यह चैक भुगतान हेतु बैंक के पास प्रस्तुत नहीं किये गए थे, जोकि अब कालातीत हो चुके हैं तथा निगम द्वारा ऑन लाइन के माध्यम से भी भुगतान किए गए थे लेकिन बैंक द्वारा इन राशियों को डेबिट नहीं किया गया था। अतः बैंक से पुष्टि के उपरांत इन चैकों की राशि/ ऑनलाइन भुगतान को रोकड़ बही के आय पक्ष में लेना सुनिश्चित करें ।

(iii) बैंक खाता संख्या 918010080869396 (ऐक्सिस बैंक) से ₹18.45 लाख अनियमित निकासी बारे :-

अंकेक्षण के दौरान बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न-विवरणानुसार बैंक खाता संख्या 918010080869396 (ऐक्सिस बैंक) से ₹18,44,800.00 की राशि आहरित की गई थी लेकिन रोकड़ बही में इन व्ययों का इन्द्राज नहीं किया गया था एवं न ही इन व्ययों से संबन्धित

अभिलेख नगर निगम में उपलब्ध थे जिससे इस राशि के दुरुपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । निम्न वर्णित तालिका के क्रम संख्या: 01 से क्रम संख्या :17 तक की राशियों का प्रकरण अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2022 के पैरा संख्या:4 (iv) के माध्यम से भी लाया गया था । इसके अतिरिक्त निम्न तालिका के क्रम संख्या 18 से 22 तक ऐसे प्रकरणों में और वृद्धि हुई है । अतः आहरित राशि ₹18,44,800.00 का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए । बैंक खाते से आहरित की गई राशि का विवरण निम्नलिखित है:-

Sr Nos.	Amount withdraw from Bank but expenditure not booked in Cash Book	Amount (₹)
1	Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	37200
2	Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	17700
3	Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	67500
4	Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	4500
5	Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	233100
6	Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	139200
7	Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	170100
8	Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	94500
9	Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	39900
10	Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	77400
11	Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	127500
12	Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	85800
13	Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	291900
14	Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	85800
15	Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	82500
16	Withdrawn on 24.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	105000
17	Withdrawn on 24.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	59700
18	Withdrawn on 02.04.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	53100
19	Withdrawn on 08.04.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	4500

20	Withdrawn on 22.04.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	7100
21	Withdrawn on 26.04.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	7100
22	Withdrawn on 31.05.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	53700
	योग	**1844800**

(iv) नगर निगम की रोकड़ बही एवं पास बुकों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** के अनुसार ₹3,85,135.00 की राशि को बैंक में सीधे तौर पर जमा करवाया गया था लेकिन इस का इन्द्राज रोकड़ बही के आय पक्ष में नहीं किया गया था जोकि एक अनियमितता है जिसका निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(V) नगर निगम कि रोकड़ बही एवं पास बुकों की पड़ताल में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** के अनुसार ₹1,07,949.00 (19500 + 88449) की आय को रोकड़ बही मे आय पक्ष में दर्ज किया गया था किन्तु इन राशियों के बैंक में जमा की प्रविष्टियाँ दिनांक 31-03-2023 तक नहीं थी जिस से इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि यह राशियाँ बैंक में जमा करवाई गई हैं अथवा नहीं। जो कि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। अतः इन राशियों की बैंक में जमा से संबंधित प्रविष्टियों से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा इन की वसूली दोषियों से करने उपरांत नगर निगम निधि में जमा करवाकर अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए।

(vi) अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचर संख्या 36 दिनांक 21-12-2022 द्वारा राशि ₹26,017.00 (13841+12176) का भुगतान सहायक अभियंता विद्युत बोर्ड को बिजली बिलों के भुगतान के रूप में किया गया था किन्तु इस राशि का आहरण बैंक खाता संख्या 093601001159 ICICI बैंक से दो बार निम्न विवरणानुसार दिनांक 21.12-2022 एवं 29-12-2022 कर दिया गया था , जोकि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता के साथ-साथ सम्भावित दुर्विनियोजन भी है। जिस बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए दोबारा आहरित की गई ₹26,017.00 की राशि की वसूली सम्बन्धित से करके नगर निगम निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Amount of Voucher No. /Dated withdrawn from the Bank twice	Amount (₹)
Voucher No. 36 dated 21.12.22 (once on dated 21.12.22 and subsequently on dated 29.12.22 from A/c No 1159, ICICI Bank)	26017

(vii) बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि बैंक द्वारा सावधि जमा पर ब्याज के रूप में **परिशिष्ट-2** के अनुसार ₹25,59,939.00 की राशि नगर निगम के खातों में जमा की गई थी लेकिन इसका इन्द्राज रोकड़ बही में नहीं किया गया था । अतः ब्याज की राशि को रोकड़ बही के आय पक्ष में लेकर समायोजन करना सुनिश्चित किया जाये :-

(viii) रोकड़ बही व बैंक खातों के अंकेक्षण में पाया गया कि ₹40,19,200.00 के सहायता अनुदानों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में रोकड़ बही में इन्द्राज किया गया है लेकिन वास्तव में यह राशि बैंक खातों में क्रेडिट ही नहीं हुई है तथा इन में से कुछ राशियों का व्यय भी किया गया दर्शाया गया है। अतः बिना सहायता अनुदान प्राप्त किए रोकड़ बही में इन राशियों को इन्द्राज करने तथा उनका व्यय दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

Sr Nos.	Grant-in –aid taken in Cash Book but not in Bank	Amount (₹)
1	Cash Book Page No 46 Dated 31.05.2022 (VKVNY)	10000
2	Cash Book Page No 46 Dated 31.05.2022 (VKVNY)	10000
3	Cash Book Page No 46 Dated 31.05.2022 (VKVNY)	10000
4	Cash Book Page No 46 Dated 31.05.2022 (VKVNY)	200000
5	Cash Book Page No 46 Dated 31.05.2022 (VKVNY)	100000
6	Cash Book Page No 46 Dated 31.05.2022 (VKVNY)	20000
7	Cash Book Page No 95 Dated 30.07.2022 (VKVNY)	10000
8	Cash Book Page No 95 Dated 30.07.2022 (VKVNY)	10000
9	Cash Book Page No 95 Dated 30.07.2022 (VKVNY)	10000
10	Cash Book Page No 95 Dated 30.07.2022 (VKVNY)	10000
11	Cash Book Page No 95 Dated 30.07.2022 (VKVNY)	10000
12	Cash Book Page No 95 Dated 30.07.2022 (VKVNY)	15000
13	Cash Book Page No 95 Dated 30.07.2022 (VKVNY)	15000
14	Cash Book Page No 95 Dated 30.07.2022 (VKVNY)	20000
15	Cash Book Page No 86 Dated 31.03.2023 (ULB Roads from UD)	3569200
	Total	**4019200**

(ix) बैंक समाधान विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि ₹2,44,887.00 की राशि वर्ष 1997-2005 के दौरान बैंक में जमा की गई थी लेकिन इसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया था एवं गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी इसका उल्लेख किया गया था । अतः उक्त राशि का लेखांकन रोकड़ बही में करना सुनिश्चित करें ताकि बार-2 बैंक समाधान विवरणी में प्रदर्शित न हो ।

(x) बैंक समाधान विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि ₹40889/- की राशि वर्ष 1997-2005 के दौरान बैंक से आहरित की गई थी लेकिन इसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया था एवं गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी इसका उल्लेख किया गया था । अतः उक्त राशि का लेखांकन रोकड़ बही में करना सुनिश्चित करें ताकि बार-2 बैंक समाधान विवरणी में प्रदर्शित न हो ।

(xi) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आयुक्त, नगर निगम पालमपुर के नाम से KCCB Palampur में बैंक खाता संख्या 20141014707 खोला गया था जिसमे दिनांक 31.03.2023 को ₹61,583.00 की राशि जमा थी तथा इसी बैंक खाते से ₹3,50,000.00 की राशि को सावधि जमा के रूप में निवेश किया गया था। अंकेक्षण में पाया गया कि उक्त बचत खाते तथा सावधि जमा में निवेशित राशि का इन्द्राज रोकड़ बही में नहीं किया गया था जिससे नगर निगम की रोकड़ बही सही वित्तीय स्थिति प्रदर्शित नहीं करती है एवं राशि के दुरुपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है । अतः उक्त बचत खाते में जमा राशि का इन्द्राज रोकड़ बही में न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(xii) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर निगम में समाहित पंचरुखी की पंचायतों की राशि जमा करने हेतु दिनांक 03.07.21 को बैंक खाता संख्या 07024458522 (Indian Bank) खोला गया था जिसमे BDO पंचरुखी द्वारा समय-2 पर राशि जमा की गई थी एवं दिनांक 31.03.2023 को उक्त खाते में ₹1,35,64,842.86 की राशि जमा थी । अंकेक्षण में पाया गया कि उक्त खाते में जमा राशि का इन्द्राज रोकड़ बही में नहीं किया गया था, जिससे नगर निगम की रोकड़ बही सही वित्तीय स्थिति प्रदर्शित नहीं करती है तथा उक्त खाता बैंक में बचत खाते के स्थान पर चालू खाते के रूप में खोला गया था जिससे नगर निगम को ब्याज के रूप में हानि हो रही है । अतः उक्त खाता बचत खाते के स्थान पर चालू खाता खोलने एवं उक्त खाते में जमा राशि का इन्द्राज रोकड़ बही में न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(xiii) हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 1971 के नियम 2.2 के अनुसार प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ बही के शेषों का बैंक के शेषों से मिलान करके संस्थान के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर निगम की रोकड़ बही अवधि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक उक्त नियम के अनुसार न तो सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित की गई थी एवं न ही उक्त

नियम के अनुसार तैयार की गई थी एवं न ही वर्ष 2022-23 की रोकड़ बही को नियमों के अनुसार तैयार करके रोकड़ बही के शेषों का मिलान बैंक के शेषों से किया गया था । अतः उक्त अवधि में रोकड़ बही को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता को न दोहराया जाये तथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

(xiv) अंकेक्षण में पाया गया कि रोकड़ बही में आय व अनुदानों की प्रविष्टियाँ प्रत्येक माह के अंत में की गई थी जोकि नियमानुसार सही नहीं है । आय व अनुदान सम्बन्धित प्रविष्टियाँ जिस तिथि को प्राप्त हुई थी उसी तिथि को उसका इन्द्राज रोकड़ बही में किया जाना अपेक्षित था । अतः इस अनियमितता बारे अंकेक्षण को तथ्यों से अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में यथासमय आय व अनुदानों का लेखांकन सुनिश्चित किया जाए ।

रोकड़ बही में पाई गई इन अनियमितताओं को अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/AC-V/056/2023 दिनांक 14.06.2023 द्वारा आयुक्त महोदय के ध्यानार्थ लाया गया था किन्तु नगर निगम द्वारा इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं देने पर मामला पुनः अधियाचना संख्या : SAD/AC-V/ 067 व 083 दिनांक: 30-06-2023 व 12-07-2023 द्वारा माननीय आयुक्त, नगर निगम के ध्यान में लाया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इन अंकेक्षण अधियाचनाओं का कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अतः उपरोक्त वर्णित इन सभी अनियमितताओं बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इन को तथा भविष्य में सभी आय,अनुदानों व व्यय को यथा समय रोकड़ बही में लेना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(xv) प्रधानमन्त्री आवास योजना (PMAY) में से प्राप्त अनुदान राशि ₹70.10 लाख को रोकड़ बही में दर्ज न करने के संदर्भ में :-

अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि प्रधानमन्त्री आवास योजना (PMAY) हेतु यूको बैंक में एक अलग से खाता खोला गया है तथा उस में इससे सम्बंधित सारी अनुदान राशियाँ जमा होती हैं तथा इसी खाते से लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में हंस्तान्तरित हो जाती हैं। सम्बंधित बैंक की पास बुक /बैंक विवरणी अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल ₹2,53,35,000.00 की राशि जमा की गई थी जिसमें से ₹2,52,10,000.00 की अनुदान राशि प्राप्त की गई थी तथा ₹1,25,000.00 लाभार्थियों के गलत खाते होने के कारण पुनः इस खाते में जमा हो गई थी । वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्त अनुदान ₹2,52,10,000.00 की राशि को लाभार्थियों में बाँट दिया गया था । इस प्रकार इस खाते में शेष राशि ₹1,25,000.00 बची थी तथा बैंक द्वारा ₹1,254.00 का ब्याज देने उपरान्त दिनांक 31.03.2023 को कुल

शेष राशि ₹1,26,254.00 थी। परन्तु नगर निगम की रोकड़ बही अनुसार ₹2,52,10,000.00 के अनुदान के विरुद्ध ₹1,82,00,000.00 का अनुदान ही दर्ज किया गया था तथा इन की प्राप्ति से सम्बंधित अनुदान पत्र भी अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त पत्र संख्या :UD.H(F)(2)3/2019 –PMAY.HFA.ii.Loose.42335.42395 दिनांक 15.11.2022 के **परिशिष्ट-I व II** अनुसार क्रमशः ₹10,00,000.00 व ₹5,00,000.00 कुल ₹15,00,000.00 की अनुदान राशि प्राप्त की गई थी जिसे रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था। इस प्रकार नगर निगम द्वारा कुल ₹70,10,000.00 की अनुदान राशि को रोकड बही में नहीं लिया गया था। रोकड़वही मे दर्ज राशि व बैंक पासबुक अनुसार प्राप्त राशि का सम्पूर्ण विवरण निम्नलिखित है :-

प्रधानमन्त्री आवास योजना (PMAY) का रोकड़ बही में इन्द्राज अनुदान का विवरण।

क्रम संख्या	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	दिनांक	दर्ज राशि
1	21/01	30.04.22	10000000
2	71/01	21.06.22	5000000
3	44/02	30.09.22	1000000
4	09/03	31.12.22	2200000
		कुल राशि	18200000

प्रधानमन्त्री आवास योजना (PMAY) का प्राप्त अनुदान जो रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था लेकिन बैंक पास बुक में यह राशि वितीय वर्ष में क्रेडिट की गई है।

क्रम संख्या	पत्र संख्या	दिनांक	परिशिष्ट	राशि जो रोकड़ बही में दर्ज नहीं की गई
1	UD.H(F)(2)3/2019 –PMAY.HFA-ii-Loose.42335.42395 दिनांक 15.11.2022	15.11.2022	I	10,00,000
2	-यथोपरि-	-यथोपरि-	II	5,00,000
3	जमा राशि जिस का विवरण नहीं है			55,10,000
			कुल राशि	70,10,000

कुल प्राप्त अनुदान (रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक अनुसार) =1,82,00,000+70,10,000= 2,52,10,000

(ख) पेंशन रोकड़ बही :- (परिशिष्ट '3')

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल राशि (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	478190.85	3048980.00	32953.00	3560123.85	2210943.00	1349180.85

दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹ 13,49,180.85

दिनांक 31.03.2023 को बैंक खातों में शेष : ₹ 13,49,180.85

(SBI, A/C No. 55059020317)

SBI PALAMPUR A/C No 55059020317 **₹ 13,49,180.85**

(ग) स्वच्छ भारत मिशन की रोकड़ बही व व्यय वाउचर अंकेक्षण में उपलब्ध न करवाने के संदर्भ में:-

नगर निगम द्वारा अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की स्वच्छ भारत मिशन की रोकड़ बही व उस से सम्बन्धित आय –व्यय वाउचर आदि अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं जिन के अभाव में न तो इसकी वित्तीय स्थिति अंकेक्षण में बनाई जा सकी है एवं न ही इन के आय व व्यय वाउचर का तदानुसार अंकेक्षण संभव हो सका है। अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/065 दिनांक: 30-06-2023 व पुनः अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/083 दिनांक: 12-07-2023 द्वारा मामला आयुक्त, नगर निगम के ध्यान में लाया गया था तथा उनसे वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो अभिलेख प्रस्तुत किया गया व न ही इसका कोई प्रत्युत्तर दिया गया। अतः यह अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ताकि स्वच्छ भारत मिशन में प्राप्त आय व व्यय की तदानुसार जांच संभव हो सके।

5. तीन वर्षों का आय व्यय 01.04.2020 से 31.03.2023 का विवरण :-

नगर निगम पालमपुर द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों की सभी स्त्रोतों से प्राप्त आय व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वित्तीय वर्ष	कुल आय (₹)	कुल व्यय (₹)
2020-21	10,20,98,778.00	5,31,37,970.00

2021-22	21,31,36,237.00	11,92,57,562.00
2022-23	32,23,02,600.06	26,44,02,805.00

6. **निवेश :-**

(i) नगर निगम पालमपुर द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक राशि ₹**5,71,54,788.00** सावधि जमा में निवेशित किए गए थे जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है । अतः सावधिक जमा को नियत तिथि को भुनाया या पुनः निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये । सावधि जमा का विवरण निम्नलिखित है :-

	Name of Bank	FDR Nos.	Date of Invest-ment	Date of Maturity	Period	Amount invested	Rate of Interest	Maturity value
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PNB Palampur	06153031031315	13.01.23	13.01.24	1 Year	2195011	6.75%	2346967
2	PNB Palampur	014873476	28.03.23	28.03.24	1 Year	385062	6.80%	411922
3	Central Bank of India Palampur	37119815060	15.07.22	15.07.23	1 Year	667884	5.25%	703644
4	HDFC Palampur	50300426122372	28.10.22	26.04.23	180 days	10958496	4.50%	11201684
5	AXIS Bank	922040073849871	16.08.22	27.08.23	1 Year 11 days	10539882	5.75%	11178456
6	AXIS Bank	922040074539186	20.08.22	25.08.23	1 Year 5days	31406587	6.00%	33361204
7	KCCB Palampur	607158	05.03.23	05.03.24	1 Year	413132	6.50%	440647
8	IDBI Palampur	706106000026859	01.02.23	01.02.24	1 Year	588734	6.75%	629491
					G. Total	5,71,54,788		

(ii) सावधि जमा की परिपक्वता पर अर्जित ब्याज से बैंक द्वारा स्त्रोत पर आय कर कटौती (TDS) राशि ₹0.13 लाख को वापिस प्राप्त न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर निगम द्वारा पंजाब नेशनल बैंक पालमपुर में सावधि जमा योजना में निवेशित राशि की परिपक्वता पर अर्जित ब्याज से बैंक द्वारा स्त्रोत पर निम्न विवरणानुसार ₹12,794.00 के आय कर कटौती (TDS) की गई थी, जबकि सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-385/01/2015-IT(B) दिनांक 29.05.2017 खण्ड-4 के अनुसार आयकर अधिनियम-1961 की धारा 10 (20) के अन्तर्गत सरकारी विभागों की आय आयकर से मुक्त (Exempt) है। इस प्रकार बैंक से वर्णित TDS की राशि वापस प्राप्त न करने के परिणामस्वरूप नगर निगम को ब्याज के रूप में ₹12,794.00 की वित्तीय हानि हुई है :-

S. No.	Name of Bank	FDR Nos.	Date of Investment	Date of Maturity	Period	Amount invested	Rate of Interest	Maturity value	TDS	Maturity value credited by bank/re-invested
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	PNB Palampur	06153031031315	13.01.22	13.01.23	1 Year	2098963	5.00%	2205895	10884	2195011
2	PNB Palampur	014873476	28.03.22	28.03.23	1 Year	368213	5.00%	386972	1910	385062
								Total	12794	

बैंक द्वारा स्त्रोत पर काटे गए आय कर को वापिस प्राप्त करने हेतु मामला अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/035/2023 दिनांक 24.05.2023 द्वारा आयुक्त महोदय के ध्यानार्थ लाया गया था किन्तु नगर निगम द्वारा इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया । अत: परामर्श दिया जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक पालमपुर से ₹12,794.00 की TDS राशि को नगर निगम निधि खातों में जमा करवाने बारे प्रकरण उठाया जाए तथा सम्पूर्ण TDS ₹12,794.00 का जमा सम्बन्धित बैंक से प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(iii) सावधि जमा में कम दर से ब्याज देने से ₹8191 लाख की हानि :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ऐक्सिस बैंक द्वारा सावधि जमा राशि पर अलग-2 दरों पर ब्याज दिया गया था अर्थात दिनांक 16.08.2022 को सावधि जमा संख्या **922040073849871** पर 5.75% की दर से ब्याज दिया गया था जबकि दिनांक 20.08.2022 को निवेशित राशि **₹3,14,06,587.00** पर 6.00 % की दर से ब्याज दिया गया था। अतः एक ही अवधि में अलग-2 दरों पर ब्याज देने से नगर निगम को निम्न-विवरणानुसार ₹8,191.00 की हानि हुई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः कम ब्याज की वसूली करना सुनिश्चित करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:-

Sr. No	Name of Bank	FDR No/ Account Number	Invested amount (₹)	Date of Invest ment	Maturity Value (₹)	Date of maturity	Rate of Interest	Loss of Interest (₹)
1	AXIS Bank Palampur	922040073849871	10539882	16.08.22	11178456	27.08.23	5.75%	8191
2	AXIS Bank Palampur	922040074539186	31406587	20.08.22	33361204	25.08.23	6.00%	

(iv) नगर निगम की राशि निर्धारित सीमा से अधिक निजी बैंकों में निवेश करने बारे :-

वित विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या Fin-IF(A)1-68/83-II दिनांक 29.04.2020 में दिये गए दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी संस्थानों/ निगमों की निवेश योग्य राशि का 60 प्रतिशत भाग "Category A" के Nationalised Public Sector Bank, 26 प्रतिशत भाग "Category B" (DSIB) के Private Sector Bank, तथा शेष 14 प्रतिशत भाग "Category B" में दर्शाये बैंकों के अतिरिक्त अन्य Commercial Private Bank (Category C) लेकिन एक बैंक में केवल 5 प्रतिशत भाग तक ही निवेश करने का प्रावधान है। अंकेक्षण में पाया गया कि नगर निगम के मुख्य खाते निजी बैंक एचडीएफ़सी एवं ऐक्सिस बैंक पालमपुर में खोले गए थे एवं सावधि जमा में राशि का निवेश भी निजी बैंकों में किया गया था जो कि वित विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के उक्त पत्र में दिये गए दिशा निर्देशों की अवहेलना है। अतः शीघ्र नगर निगम की अतिरिक्त राशि को उक्त पत्र में जारी निर्देशों के अनुसार अधिकतम ब्याज पर निर्धारित प्रतिशत

के आधार पर निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। दिनांक 31.03.23 को category wise %age में निवेशित राशि का विवरण निम्नलिखित है :-

बैंक की श्रेणी	बैंक के प्रकार	दिनांक 31.03.22 को सावधि जमा में निवेशित राशि	जमा राशि की प्रतिशतता	अपेक्षित प्रतिशतता	जितने प्रतिशत कम व अधिक निवेश किया गया
Category A	Nationalised Public Sector Bank	3661089	6.41 %	60%	(-)53.59%
Category B	Private Sector Bank	**10958496**	19.17 %	26%	(-)6.83%
Category C	Commercial Private Bank	42535203	74.42 %	14%	(+)60.42
	कुल निवेश	**₹ 5,71,54,788**			

7 **अनुदान :-**

(क) नगर निगम पालमपुर की अंकेक्षणाधीन अवधि 04/2022 से 03/2023 तक प्राप्त अनुदान राशियों व व्यय की गई राशियों तथा अनुदान के अन्तशेष राशि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिनका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट '5'** में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	अनुदान (₹)	कुल राशि (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	11,14,11,745.00	24,78,69,918.00	35,92,81,663.00	20,89,52,345.00	15,03,29,318.00

विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न स्त्रौतों से प्राप्त राशि में से दिनांक 31.03.2023 को ₹15,03,29,318.00 की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जबकि अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक अथवा दो वर्ष के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है। अतः अनुदान राशियों को समयबद्ध उपयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुपयोग राशियों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात उन्हीं उद्देश्य जिन हेतु यह राशियाँ प्राप्त हुई थी, व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर निगम पालमपुर में अनुदान का रजिस्टर तैयार तो किया गया था लेकिन अनुदानों का इंद्राज़ इसमें नहीं किया गया था एवं न ही अनुदान राशि से किए

गए व्यय का लेखांकन इस रजिस्टर में किया गया था, जिससे नगर निगम द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति की सत्यता की पड़ताल न हो सकी । अतः भविष्य में नियमों के अनुसार अनुदान रजिस्टर तैयार करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किए गए व्यय का लेखांकन अनुदान रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें ।

(ग) रोकड़ बही में लिए गए अनुदान राशि ₹40.19 लाख का प्राप्त न होना/ बैंक खातों में जमा न होना तथा इनमें से राशि ₹2.10 लाख का अनियमित रूप से व्यय करना :-

नगर निगम की रोकड़ बही व संबंधित बैंक खातों तथा प्राप्त अनुदान से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार निम्नविवरणानुसार राशियों को रोकड़ बही के आय पक्ष में प्राप्त अनुदान के रूप में दर्शाया गया है किन्तु बैंक खातों के अंकेक्षण में पाया गया कि यह अनुदान राशियाँ वास्तव में प्राप्त नहीं हुई थीं क्योंकि इनकी प्राप्ति/ जमा से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ बैंक खातों में नहीं थीं। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि इनमें से क्रम संख्या 5 से 10 तथा 12 से14 में दर्शाई गई अनुदान राशियों का व्यय भी कर दिया गया है जोकि अनियमित तथा अनुचित है। अनुदान राशियों को प्राप्त किए बिना उन्हे रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्शाने तथा कुछ अनुदान राशियों को व्यय करने बारे **मामला अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/059/2023 दिनांक 14.06.2023 द्वारा आयुक्त महोदय के ध्यानार्थ लाया गया था किन्तु नगर निगम द्वारा इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं देने पर पुनः अधियाचना संख्या : SAD/AC-V/067/2023 दिनांक 30.06.2023 द्वारा इस संदर्भ में वस्तुस्थिति से अवगत करवाने का आग्रह किया गया था किन्तु निगम द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । अतः इस** बारे में तथ्यों से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए एवं अनुदान प्राप्त न होने की स्थिति में इनका व्यय किस शीर्ष से किया गया है, के बारे में भी स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त इन अनियमित रूप से किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करने उपरांत नगर निगम निधि में जमा करवाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr. No.	Grant-in –aid taken in Cash Book but not in Bank	Amount (₹)
1	Cash Book Page No 46 Dated 31.05.2022 (VKVNY)	10000
2	Cash Book Page No 46 Dated 31.05.2022 (VKVNY)	10000
3	Cash Book Page No 46 Dated 31.05.2022 (VKVNY)	10000.00
4	Cash Book Page No 46 Dated 31.05.2022 (VKVNY)	200000.00
5	Cash Book Page No 46 Dated 31.05.2022 (VKVNY)	100000.00
6	Cash Book Page No 46 Dated 31.05.2022 (VKVNY)	20000.00

7	Cash Book Page No 95 Dated 30.07.2022 (VKVNY)	10000.00
8	Cash Book Page No 95 Dated 30.07.2022 (VKVNY)	10000.00
9	Cash Book Page No 95 Dated 30.07.2022 (VKVNY)	10000.00
10	Cash Book Page No 95 Dated 30.07.2022 (VKVNY)	10000.00
11	Cash Book Page No 95 Dated 30.07.2022 (VKVNY)	10000.00
12	Cash Book Page No 95 Dated 30.07.2022 (VKVNY)	15000.00
13	Cash Book Page No 95 Dated 30.07.2022 (VKVNY)	15000.00
14	Cash Book Page No 95 Dated 30.07.2022 (VKVNY)	20000.00
15	Cash Book Page No 86 Dated 31.03.2023 (ULB Roads from UD)	3569200.00
	Total	**4019200.00**

(घ) शराब कर का उपदान प्राप्त न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर निगम में वर्ष 2022-23 में आबकारी एवं कराधान विभाग से शराब कर का उपदान प्राप्त नहीं हुआ था । अतः शीघ्र उक्त अवधि का शराब कर का उपदान प्राप्त किया जाए । शराब कर से सम्बन्धित अभिलेख रख-रखाव हेतु तैयार करने हेतु अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या: **SAD/AC-V/033/2023 दिनांक 15.05.2023 व पुनः** अधियाचना संख्या: **SAD/AC-V/067/2023 दिनांक 30.06.2023** द्वारा आयुक्त महोदय के ध्यानार्थ लाया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः सम्बन्धित अभिलेख का रख-रखाव न करने बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए शराब कर की प्राप्ति हेतु मामला सम्बन्धित विभाग से उठाते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

(ङ) विद्युत बोर्ड से विद्युत उपकर प्राप्त न होना व इस से सम्बन्धित अभिलेख का रख-रखाव न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल०एल०जी०डी०(1).9/94 दिनांक 28.2.2000 के अनुसार नगर निगम/ परिषद क्षेत्र में कुल बिजली खपत पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से Municipal.Tax की वसूली विद्युत विभाग से की जानी अपेक्षित है । अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक के दौरान नगर निगम क्षेत्र में कुल कितने यूनिट बिजली खपत हुई तथा उसके एवज में विद्युत बोर्ड से कब कितनी राशि प्राप्त हुई, वर्तमान में कितनी राशि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त की जानी शेष है तथा इस से सम्बन्धित अभिलेख के रख-रखाव के बारे में अंकेक्षण अधियाचना

संख्या: **SAD/AC-V/045/2023 दिनांक 25.05.2023 व पुनः** अधियाचना संख्या: **SAD/AC-V/067/2023 दिनांक 30.06.2023** द्वारा आयुक्त महोदय से मामला उठाया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः सम्बन्धित अभिलेख का रख-रखाव न करने बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए **विद्युत उपकर** की प्राप्ति हेतु मामला सम्बन्धित विभाग से उठाया जाए तथा इस की प्राप्ति सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

8 गृह कर की बकाया राशि ₹75.35 लाख की वसूली न करना :-

(i) निगम की आय का मुख्य साधन गृहकर है तथा प्राप्त आय को वहाँ की जनता की सुविधाओं के लिए खर्च किया जाता है लेकिन नगर निगम को दिनांक 31.03.2023 तक ₹ 75,35,092.00 की राशि गृहकर के रूप में वसूलनी शेष थी जिसका विवरण "**परिशिष्ट -6" (क)** में दिया गया है, जो कि एक अति गम्भीर वित्तीय अनियमितता का मामला है । अतः इसे शीघ्र वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

(ii) 150 गृह करदाताओं से ₹66.77 लाख की राशि वसूली हेतु शेष :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.2023 तक कुल बकाया गृहकर की राशि में से ₹66,77,425.00 केवल 150 करदाताओं से बकाया था, जिसका विवरण **परिशिष्ट-6 (ख) पर दिया गया है** जबकि नगर निगम द्वारा सभी मूलभूत सुविधाएं समय-2 पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं ।

अंकेक्षण के दौरान अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/40/2023 दिनांक 24.05.2023 द्वारा आयुक्त महोदय को उक्त करदाताओं से गृहकर की राशि को वसूलने के लिए उचित कार्यवाही हेतु कहा गया था, जिस के प्रत्युत्तर में आयुक्त, नगर निगम द्वारा पत्र संख्या : एम सी पी/2023-1029 दिनांक 01-06-2023 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि जिन उपभोक्ताओं ने गृहकर की अदायगी नहीं की है उन्हे नोटिस जारी करके शीघ्र वसूली कर ली जाएगी। अतः शेष लंबित गृहकर की वसूली यथा शीघ्र सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

9 दुकानों से आय :-

(i) दिनांक 31.03.23 तक दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹37.49 लाख की वसूली न करना :-

नगर निगम द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानों पर दुकानों /स्टालों /खोखों इत्यादि का निर्माण किया गया है तथा उन्हें किराये/पट्टे पर चढ़ाया गया है तथा इनका किराया निगम की

आय का मुख्य स्त्रोत है । नगर निगम द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक किराये के रूप में ₹37,49,156.00 की राशि वसूली हेतु लम्बित थी, जिसका विवरण "**परिशिष्ट -7**" में दिया गया है । जबकि निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू०एल०बी० एच०ए० (7) .1/87.9237/9284 दिनांक 20.06.01 के द्वारा करों इत्यादि की शत प्रतिशत वसूली को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये गए थे लेकिन नगर निगम द्वारा इस सम्बंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये जो कि एक चिन्ताजनक विषय है। वसूली योग्य कुल राशि का 85.98% भाग ₹33,08,778.00 का विवरण **परिशिष्ट 7 (ख)** में दिया गया है।

अंकेक्षण के दौरान अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/41/2023 दिनांक: 24.05.2023 द्वारा आयुक्त महोदय को दुकानों के लंबित किराये की राशि को वसूलने के लिए उचित कार्यवाही हेतु कहा गया था, जिस के प्रत्युत्तर में आयुक्त, नगर निगम द्वारा पत्र संख्या : एम सी पी/2023-1194 दिनांक 06-06-2023 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि जिन किरायेदारों ने दुकानों के किराये की अदायगी नहीं की है उन्हे नोटिस जारी करके शीघ्र किराये की वसूली कर ली जाएगी। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस समस्त बकाया किराये की राशि की वसूली हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठाये जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ii) दुकानों का किराया देरी से जमा करने पर अधिभार न लेने बारे :

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर निगम पालमपुर द्वारा निर्मित दुकानों/स्टालों/खोखों इत्यादि से हर माह किराया वसूला जाता है, जोकि नगर निगम पालमपुर की आय का मुख्य स्त्रोत है। किराया वसूली हेतु नगर निगम पालमपुर द्वारा प्रत्येक दुकानों के अनुबंध पत्र तैयार किए गए हैं, जिसमे दुकान आबंटन व किराया वसूली हेतु नियम व शर्तें दर्शाई गयी हैं । अंकेक्षण में पाया गया कि आई.डी.एस.एम.टी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़ कर किसी भी अन्य मार्केट के अनुबंध में दण्ड ब्याज का कोई प्रावधान नहीं रखा था लेकिन अनुबंध की शर्त संख्या 1 के अनुसार 5 वर्ष के पश्चात अनुबंध का नवीनीकरण किया जाना प्रस्तावित था । अंकेक्षण में पाया गया नगर निगम द्वारा उक्त अवधि के पश्चात दुकानों के अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया गया था । अगर नगर निगम द्वारा इन दुकानों के अनुबंध का नवीनीकरण किया होता तो दण्ड ब्याज की शर्त को जोड़ा जा सकता था एवं किराएदार को समय पर किराए की राशि का भुगतान करने हेतु बाध्य किया जा सकता था । अतः दुकानों के अनुबंध पत्र के नवीनीकरण करके इसमे दण्ड ब्याज का प्रावधान रखना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(iii) आबंटित की गयी दुकानों के किराये में नियमानुसार वृद्धि न करने परिणामस्वरूप लाखों रूपयों की वित्तीय हानि:-

अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 के आय के चयनित माह के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर निगम द्वारा विभिन्न दुकानदारों को किराये पर विभिन्न दुकानों का आबंटन किया है । नियमानुसार एक निश्चित अवधि के उपरांत किराये में बढ़ौतरी की जानी अपेक्षित है । लेकिन नगर निगम द्वारा नियमानुसार समय समय पर किराये में बढ़ौतरी नहीं की है जबकि हि० प्र० नगरपालिका/ निगम द्वारा निर्मित दुकानों/स्टालों को पट्टे पर देने के नियम, 2001 के नियम 5 (a) के अंतर्गत भवन मालिक द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष की निश्चित अवधि के पश्चात 10% की दर से किराये की राशि में बढ़ौतरी की जानी अपेक्षित थी । (Under Section 5 (a) of Leasing out of Stalls/Shops constructed by the Municipalities in Himachal Pradesh Rules, 2001 " After every five years the lease rent shall be enhanced by 10% of the amount being charged at the time of signing of lease". नगर निगम द्वारा जिन दुकानों के किराये में आबंटन की तिथि से हि० प्र० नगरपालिका द्वारा निर्मित दुकानों/स्टालों को पट्टे पर देने के नियम, 2001 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत वृद्धि नहीं की है, जिसका पूर्ण अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट 7 (ग)** पर संलग्न है :-

नगर निगम द्वारा इन दुकानों के किराए में उपरोक्त नियमों में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत वृद्धि नहीं की है । जिस कारण वर्तमान में भी कुल 248 आबंटियों में से 91 आबंटी ऐसे है जिनकी नियमानुसार बढ़ौतरी नहीं की गयी है । जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु मामला क्रम संख्या (i) में वर्णित अधियाचना द्वारा निगम प्रशासन से उठाया गया था, किन्तु कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

अतः उपरोक्त दुकानों का किराया आबंटन की तिथि से नियमानुसार प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि के पश्चात बढ़ाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा समय समय पर की गयी बढ़ौतरी के फलस्वरूप बढ़ी हुई बकाया राशि की गणना संस्था स्तर पर करके वसूली भी की जानी सुनिश्चित की जाये व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 दिनांक 31.03.2023 तक घर-घर कूड़ा संग्रहण के उपयोक्ता प्रभार राशि ₹92.47 लाख वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

नगर निगम द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना व प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक के दौरान नगर निगम,पालमपुर क्षेत्र के आवासीय घरों, सरकारी

कार्यालयों व व्यवसायिक संस्थानों से घर-घर कूड़ा संग्रहण के रूप में निम्नलिखित राशियाँ वसूली जानी अपेक्षित थी। नगर निगम पालमपुर के घर-घर कूड़ा संग्रहण व निपटान उपनियम 2018, जो अधिसूचना संख्या: एसबीएम (डोर टू डोर)एमसीएस/2018.1276 दिनांक 06.12.18 द्वारा अधिसूचित किये गए थे एवं नगर परिषद/ निगम के सदन द्वारा दिनांक 11.12.2020 को प्रस्ताव पास करके पुन: संशोधित किया गया था। उपरोक्त उपनियमों में अधिसूचित व सदन में पारित संशोधित उपयोक्ता प्रभार की दरों के अनुरूप अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक के दौरान निम्न विवरणानुसार राशि वसूल की जानी थी:-

(तालिका संख्या :01)

क्रम संख्या	आवासीय घरों, सरकारी संस्थानों व व्यवसायिक संस्थानों का विवरण	गृहकर दाताओं/ व्यवसायिक संस्थानों की संख्या	मासिक दर (₹)	राशि (₹)	अवधि (04/22 से 03/23 तक)	कुल राशि (₹)
1	2	3	4	5 (3X4)	6	7 (5X6)
1	आवासीय घर वार्ड संख्या (01 से 15 तक) क्षेत्रफल 2000 वर्गफुट तक	9000	50	450000	12	54,00,000.00
2	आवासीय घर वार्ड संख्या (01 से 15 तक) क्षेत्रफल 2000 वर्गफुट से अधिक		100			0.00
3	ढाबा, स्वीट शॉप्स, कॉफ़ी हाउस व प्रोविजनल स्टोर	30	350	10500	12	1,26,000.00
4	पान की दुकान व चाय की दुकान	30	80	2400	12	28,800.00
5	दुकानें (दैनिक उपभोग एवं कपडा)	900	100	90000	12	10,80,000.00
6	थोक सब्जी एवं फल बिक्रेता	15	1000	15000	12	1,80,000.00
7	परचून सब्जी एवं फल बिक्रेता		250			0.00
8	स्वीट्स एवं स्नैक्स शॉप्स (बड़ी)	10	400	4000	12	48,000.00
9	कार्यालय (2 कमरे)		100			0.00

10	कार्यालय (3 से 5 कमरे)	10	250	2500	12	30,000.00
11	कार्यालय (6 से 10 कमरे)	10	1000	10000	12	1,20,000.00
12	कार्यालय (11 से 20 कमरे)		2000			0.00
13	कार्यालय (20 से ज्यादा कमरे)		2000 + 100 रू० प्रति अति० कमरा			0.00
14	बैंक		500			0.00
15	बैंक 1000 वर्गफुट से ज्यादा क्षेत्रफल	30	750	22500	12	2,70,000.00
16	सरकारी स्कूल		100			0.00
17	प्राइवेट स्कूल 100 विद्यार्थियों की संख्या तक	12	500	6000	12	72,000.00
18	प्राइवेट स्कूल 100 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या तक	20	1500	30000	12	3,60,000.00
19	बेकरी (छोटी)		500			0.00
20	बेकरी (मैन्युफैक्चरिंग यूनिट)	3	1200	3600	12	43,200.00
21	पी० जी० हॉस्टल /गेस्ट हाउस 10 कमरों तक	10	500	5000	12	60,000.00
22	पी० जी० हॉस्टल /गेस्ट हाउस 11 से 20 कमरों तक		1500			0.00
23	पी० जी० हॉस्टल /गेस्ट हाउस 21 से 30 कमरों तक		2500			0.00
24	पी० जी० हॉस्टल /गेस्ट हाउस 30 से अधिक कमरे		2500 +500 रू० प्रति अति०			0.00

			कमरा			
25	सराय	3	550	1650	12	19,800.00
26	फैक्ट्री		1500			0.00
27	वर्कशॉप(टायर पंक्चर शॉप)	10	100	1000	12	12,000.00
28	वर्कशॉप (रिपेयर शॉप)	5	250	1250	12	15,000.00
29	वर्कशॉप (रिपेयर + स्पेयर पार्ट्स शॉप)	3	500	1500	12	18,000.00
30	वर्कशॉप (व्हीकल शोरूम, रिपेयर + स्पेयर पार्ट्स शॉप)		750			0.00
31	वर्कशॉप राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग से बाहर		300			0.00
32	रेस्टोरंट	24	1500	36000	12	4,32,000.00
33	रेस्टोरंट + बार	3	1700	5100	12	61,200.00
34	सिनेमा हाल		1500			0.00
35	सरकारी कॉलेज	3	1000	3000	12	36,000.00
36	प्राइवेट कॉलेज	1	1500	1500	12	18,000.00
37	अस्पताल + नर्सिंग होम 50 बिस्तरों तक	2	1500	3000	12	36,000.00
38	अस्पताल + नर्सिंग होम 51 से 100 बिस्तरों तक		2000			0.00
39	अस्पताल + नर्सिंग होम 100 से अधिक बिस्तरों तक	1	2000 रू०+250 प्रति अति० बेड	2000	12	24,000.00
40	क्लिनिक	10	150	1500	12	18,000.00
41	क्लिनिक + मेडिकल स्टोर		250			0.00
42	मेडिकल स्टोर	15	200	3000	12	36,000.00
43	लेबोटरी		200			0.00
44	बैंक्ट हाल/ होटल		2000			0.00
45	स्पेशल होटल 50 कमरों से अधिक		15000			0.00
46	बड़े माल	5	2000 प्रति तल	10000	12	1,20,000.00
47	मीट दुकान	11	500	5500	12	66,000.00

48	कनफैक्शंरी + सब्जी दुकान		250			0.00
49	कबाड़ बिक्रेता		400			0.00
50	गली बिक्रेता	59	100	5900	12	70,800.00
कुल योग (वित्तीय वर्ष में घर.घर कूड़ा संग्रहण से प्राप्त योग्य राशि)						**88,00,800.00**

नगर निगम पालमपुर द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2023 तक घर-घर कूड़ा संग्रहण के रूप में वसूली गई राशि का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :.

(तालिका संख्या :02)

क्रम संख्या	माह	वसूली गई राशि (₹)
1	अप्रैल/2022	3,05,090.00
2	मई/2022	3,37,040.00
3	जून/2022	3,18,920.00
4	जुलाई/2022	5,12,860.00
5	अगस्त/2022	2,84,020.00
6	सितम्बर/2022	5,44,760.00
7	अक्टूबर/2022	2,51,640.00
8	नवम्बर/2022	3,32,525.00
9	दिसम्बर/2022	2,82,920.00
10	जनवरी/2023	7,03,430.00
11	फ़रवरी/2023	5,04,060.00
12	मार्च/2023	3,19,490.00
	कुल योग	**46,96,755.00**

दिनांक 31.03.2022 को घर-घर कूड़ा संग्रहण के रूप में ₹51,42,680.00 वसूली योग्य शेष थे तथा अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक के दौरान घर-घर कूड़ा संग्रहण के रूप में **₹88,00,800.00 (तालिका संख्या: 01 के अनुसार)** वसूली योग्य था लेकिन नगर निगम द्वारा अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक कुल **₹46,96,755.00** की ही वसूली की गई थी एवं इस प्रकार दिनांक 31-03-2023 को कुल ₹92,46,725.00 (**8800800+5142680-4696755**)

वसूली हेतु शेष थे जिसका विवरण "**परिशिष्ट -8**" में दिया गया है। अतः इस कम वसूली गई राशि का औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त राशि की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त तालिका सख्या: 1 में वर्णित आवासीय घरों जिनका क्षेत्रफल 2000 वर्गफुट से अधिक है तथा व्यावसायिक संस्थाओं की निम्न विवरणानुसार संख्या वर्तमान अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिसके कारण इन घरों/ संस्थानों से कितनी राशि वसूली योग्य शेष थी की सटीक गणना नहीं की जा सकी :-

तालिका संख्या 01 में वर्णित क्रम संख्या	**व्यावसायिक संस्थाओं का नाम**	**मासिक दर (₹)**
02	आवासीय घर वार्ड संख्या (01 से 15 तक) जिनका क्षेत्रफल 2000 वर्गफुट से अधिक	100
07	परचून सब्जी एवं फल बिक्रेता	250
09	कार्यालय (2 कमरे)	100
12	कार्यालय (11 से 20 कमरे)	2000
13	कार्यालय (20 से ज्यादा कमरे)	2000 + ₹100 प्रति अति॰ कमरा
14	बैंक	500
16	सरकारी स्कूल	100
19	बेकरी (छोटी)	500
22	पी॰ जी॰ हॉस्टल /गेस्ट हाउस 11 से 20 कमरों तक	1500
23	पी॰ जी॰ हॉस्टल /गेस्ट हाउस 21 से 30 कमरों तक	2500
24	पी॰ जी॰ हॉस्टल /गेस्ट हाउस 30 से अधिक कमरे	2500 +₹500 प्रति अति॰ कमरा
26	फैक्ट्री	1500
30	वर्कशॉप (व्हीकल शोरूम, रिपेयर + स्पेयर	750

	पार्ट्स शॉप)	
31	वर्कशॉप राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग से बाहर	300
34	सिनेमा हाल	1500
38	अस्पताल + नर्सिंग होम 51 से 100 बिस्तरों तक	2000
41	क्लिनिक + मेडिकल स्टोर	250
43	लेबोटरी	200
44	बैंक्ट हाल/ होटल	2000
45	स्पेशल होटल 50 कमरों से अधिक	15000
48	कनफैक्शंरी + सब्जी दुकान	250
49	कबाड़ बिक्रेता	400

अंकेक्षण के दौरान घर घर कूड़ा संग्रहण के उपयोक्ता प्रभारों की वसूली की गणना हेतु इन सभी संस्थानों की संख्या तथा कम वसूली बारे मामला अंकेक्षण अधियाचनाओं संख्या क्रमशः SAD/AC-V/027 दिनांक: 15-05-2023, SAD/AC-V/047 दिनांक: 26-05-2023, SAD/AC-V/055 दिनांक:12-06-2023, व पुनः अधियाचना संख्या : SAD/AC-V/ 067 व 083 दिनांक: 30-06-2023 व 12-07-2023 द्वारा माननीय आयुक्त, नगर निगम के ध्यान में लाया गया था तथा उनसे इस पर वांछित कार्यवाही करने, संबंधित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने तथा कम वसूली गई राशि की वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इन अंकेक्षण अधियाचनाओं का कोई उत्तर नहीं दिया गया। जिस से स्वतः स्पष्ट है कि नगर निगम घर-घर कूड़ा संग्रहण के उपयोक्ता प्रभार की वसूली बारे गंभीर नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपरोक्त विवरणानुसार कुल 22 प्रकार के संस्थानों से उपयोक्ता प्रभारों की वसूली ही नहीं की जा रही है जिस कारण नगर निगम को वित्तीय हानि हो रही है, जिसके बारे में वस्तुस्थिति से अवगत करवाने के अतिरिक्त वसूली योग्य उपयोक्ता प्रभारों कि वसूली यथाशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 दिनांक 31.03.23 तक जल प्रभार की बकाया राशि ₹13.00 लाख की वसूली न करना :-

(i) नगर निगम द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना/अभिलेख के अनुसार दिनांक 31.03.23 तक जल प्रभार के रूप में ₹13,00,691.00 की राशि वसूली हेतु लम्बित थी जिसका

विवरण "**परिशिष्ट -9"** में दिया गया है । इतनी अधिक राशि का वसूली हेतु शेष रहना एक गंभीर चिन्ता का विषय है । अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कदम उठाये जाने सुनिश्चित किए जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये । वसूली योग्य कुल राशि में से ₹4,92,722.00 की राशि केवल 26 उपभोक्ताओं से वसूली हेतु शेष थी जोकि कुल राशि का 37.89% है, जिनका विवरण निम्नलिखित है :

क्रम संख्या	नाम व पता	जल कनेक्शन क्रमांक	बकाया राशि (₹)
1.	थाना प्रभारी पालमपुर(आवास)	34	19,764.00
2	वन रेंज अधिकारी (आवास) पालमपुर	35	16,756.00
3	सहायक अभियंता प्रभारी, लोक निर्माण विश्राम गृह पालमपुर	41	52,622.00
4	श्री हाकिम राय मै० स्काई लार्क मिशन (वार्ड न० 01) पालमपुर	43	27,500.00
5	श्री राजेश कुमार वार्ड न० 4 पालमपुर	60	10,247.00
6	वन रेंज अधिकारी भवारना (आवास) वार्ड न० 03 पालमपुर	79	25,858.00
7	वन रेंज अधिकारी (आवास) नज़दीक संजय आर्ट्स पालमपुर	168	13,176.00
8	सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग नज़दीक विश्राम गृह पालमपुर	196	19,422.00
9	सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग (आवास) पालमपुर	207	30,531.00
10	अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग कार्यालय पालमपुर	254	16,139.00
11	सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग श्रेणी.III विश्राम गृह पालमपुर	267	34,113.00

12	श्री फकीर चंद सु० श्री बेलु राम (दुकान)	329	11,384.00
13	सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग उपमंडल पालमपुर	342	25,770.00
14	उपमंडल अधिकारी (नागरिक) आवास पालमपुर	344	13,330.00
15	श्री मदन सिंह राणा पालमपुर	357	13,590.00
16	श्री रमेश चंद चौहान वार्ड न० 01 पालमपुर	384	18,199.00
17	श्री टी० डी० भारद्वाज वार्ड न० 02 पालमपुर	389	11,170.00
18	अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग पंचम वृत्त पालमपुर	397	17,103.00
19	श्रीमती प्रीति देवी पुलिस स्टेशन पालमपुर	505	16,073.00
20	श्री राय सिंह मकान न० 03 पुलिस कॉलोनी पालमपुर	538	10,723.00
21	श्रीमती पवन देवी मकान न० 06पुलिस कॉलोनी पालमपुर	546	10,115.00
22	श्री कर्म चंद मकान न० 02 पुलिस कॉलोनी पालमपुर	548	10,902.00
23	श्री राजिन्द्र सिंह मकान न० 05 पुलिस कॉलोनी पालमपुर	549	18,285.00
24	श्री सुरजीत सिंह मकान न० 04 पुलिस कॉलोनी पालमपुर	594	11,618.00
25	श्री राजन कुमार मकान न० ए 06 एन० जी० ओ० कॉलोनी मिशन पालमपुर	680	10,957.00
26	श्री मुनीश वालिया दुकान न० 05 एच० आर० टी० सी० ब्लाक बी	732	27,375.00
		कुल योग	**4,92,722.00**

(ii) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर निगम, पालमपुर अपने कार्यक्षेत्र में निर्मित विभिन्न मकानों, दुकानों, होटल व रेस्तरों को जल प्रभार की सुविधा प्रदान करती है, जिसके एवज में नगर निगम निर्धारित जल प्रभार शुल्क लेती है । अगर किसी कारण जल उपभोक्ता अपना बिल निर्धारित अवधि में जमा नही करवा पाते तो उनसे देरी से किए गए भुगतान पर 10 प्रतिशत अधिभार का प्रावधान है । अंकेक्षण में पाया गया कि नगर निगम पालमपुर द्वारा जल प्रभार के बिलों को देरी से जारी किया जा रहा है अर्थात वर्ष 2021 के बिल सितम्बर 2022 में जारी किए गए थे, जिससे नगर निगम देरी से भुगतान बिलों पर 10 प्रतिशत अधिभार लेने में असमर्थ है और न ही नगर निगम समय पर जल प्रभार शुल्क वसूल कर पा रही है । जिससे जल प्रभार शुल्क समय पर प्राप्त न होने से नगर निगम को नुकसान हो रहा है । अतः नगर निगम द्वारा जल प्रभार के बिलों को देरी से जारी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(iii) जल प्रभार रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 06 पर क्रम संख्या 28 पर जल कनेक्शन संख्या 24 की जल प्रभार की बकाया राशि ₹840.00 शेष दर्शाई गई है जबकि सम्बंधित उपभोक्ता से पूरी राशि वसूल कर ली गई है।

(iv) जल प्रभार रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 34 में क्रम संख्या 223 पर जल कनेक्शन संख्या 188 की जल प्रभार की बकाया राशि ₹1260.00 शेष दर्शाई गई है जबकि सम्बंधित उपभोक्ता से ₹3445.00 की राशि वसूली हेतु शेष है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/042 दिनांक:24-05-2023 द्वारा आयुक्त महोदय को उक्त करदाताओं से बकाया बिलों की राशि को वसूलने हेतु उचित कार्यवाही हेतु कहा गया था, जिसके संदर्भ में पत्र संख्या: एमसीपी/2023-1231 दिनांक 07.06.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है एवं जल प्रभार रजिस्टर में हुआ गलत प्रविष्ठियों को ठीक कर लिया जाएगा । अतः इन प्रविष्ठियों को ठीक करने के अतिरिक्त शीघ्र समस्त बकाया किराये की राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल की गई ₹0.33 लाख को राजकीय कोष में जमा न करवाने के संदर्भ में :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-WLF-A(3)1/97 दिनांक 17.12.2004 द्वारा अधिसूचित विवाह पंजीकरण नियम-2004 के प्रावधानानुसार विवाह

पंजीकरण फ़ीस के रूप में प्राप्त आय को राजकीय कोष में शीर्षक-0235-00-800-03 के अन्तर्गत जमा करवाया जाना अपेक्षित है । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर निगम द्वारा अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक प्राप्त विवाह रजिस्ट्रेशन फ़ीस ₹33,200.00 को सरकारी कोष में जमा की अपेक्षा नगर निगम निधि खाते में जमा करवाया गया है जोकि उक्त वर्णित नियम के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है । अंकेक्षण द्वारा विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा न करवाने का मामला अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/039 दिनांक:24-05-2023 द्वारा आयुक्त महोदय से उठाया गया था जिस के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: एमसीपी/2023-1027 दिनांक 01.06.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस शुल्क को राजकीय कोष में जमा करवाने बारे जानकारी न होने के कारण नहीं करवाया गया है तथा अब इसे जमा करवा दिया जाएगा। अत: अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान नगर निगम द्वारा वसूल विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाकर, अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 मोबाइल टावर नवीनीकरण फीस के रूप में ₹15.36 लाख की बकाया राशि का न वसूलना:-

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर निगम को दिनांक 31.03.23 तक ₹15,35,925.00 की राशि मोबाइल टावर फीस के रूप में वसूलनी शेष थी जिसका विवरण **परिशिष्ट "10"** में दिया गया है, जो कि एक अति गम्भीर वित्तीय अनियमितता का मामला है । अतः इसे शीघ्र वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

(ii) मोबाइल टावर से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि नगर निगम पालमपुर में समाहित ग्राम पंचायतों में स्थापित मोबाइल टावरों की प्रविष्टियाँ इसमे नहीं की गई थी जिससे मोबाइल टावर रजिस्टर में नगर निगम में स्थापित कुल मोबाइल टावरों की संख्या एवं मोबाइल टावरों की बकाया फीस की सही जानकारी परिलक्षित नहीं होने पर अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/036 दिनांक:24-05-2023 द्वारा आयुक्त महोदय से उठाया गया था तथा नगर निगम के क्षेत्र (विभिन्न पंचायतों के विलय उपरांत) में स्थापित मोबाइल टावर सम्बन्धित जानकारी प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। अतः सम्पूर्ण निगम परिक्षेत्र में स्थापित कुल मोबाईल टॉवर्स से सम्बन्धित सूचना एवं दिनांक 31-03-2023 को कुल लंबित राशि का विवरण आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित

करते हुए इसकी वसूली हेतु अविलंब कदम उठाए जाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

14 पार्किंग स्थलों की नीलामी राशि ₹7.26 लाख (नीलामी राशि ₹5.43 लाख तथा ₹1.83 लाख के वस्तु एवं सेवाकर सहित) की वसूली न करने के संदर्भ में :-

अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2023 के दौरान नगर निगम द्वारा अपने परिक्षेत्र में विभिन्न पार्किंग स्थलों की नीलामी की गई थी। नीलामी के नियम व शर्तों में वर्णित शर्त संख्या : 8 के अनुसार " ठेकेदार को ठेका राशि पर वस्तु एवं सेवाकर, आयकर अथवा केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कोई भी टैक्स अलग से अदा करना होगा।" किन्तु निगम द्वारा निम्न विवरणानुसार नीलामी राशि पर देय वस्तु एवं सेवाकर ₹1,83,330.00 की वसूली नहीं की गई थी। नीलामी के नियम व शर्तों में वर्णित शर्त संख्या : 1 के अनुसार "अधिकतम बोलीदाता को ठेका की 50% रकम 30 दिन के अंदर नगर निगम फंड में जमा करवानी होगी तथा शेष राशि अग्रिम चैक के माध्यम से माह के भीतर देय होगी अन्यथा बोली राशि जब्त कर ली जायेगी।" लेकिन निम्न विवरणानुसार सफल बोलीदाताओं से राशि ₹5,42,500.00 की नीलामी राशि को भी वसूल नहीं किया गया है जोकि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है।

क्रम संख्या	पार्किंग स्थल का नाम	सफल बोलीदाता का नाम व पता	अवधि	अधिकतम बोली की राशि	देय वस्तु एवं सेवाकर (बोली की नियमों व शर्तों के अनुरूप)	कुल प्राप्त योग्य राशि वस्तु एवं सेवाकर सहित	प्राप्त की गई राशि	नीलामी राशि जो वसूल नहीं की गई	अदेय वस्तु एवं सेवाकर
01	पुरानी सब्जी मंडी, पालमपुर	श्री अनु कुमार सु० श्री अजीत कुमार	01.10.21 से 30.09.22 तक	56000	10800	66080	67200 G. No 27/26 दिनांक 27.09.21, 23/45 दिनांक 03.01.22 व 61/70 दिनांक 22.04.22	0	0
		श्री फूल सिंह	01.10.22 से 30.09.23 तक	101500	18270	119770	0	101500	18270
02	डाकघर के सामने, पालमपुर	श्री सुरेश कुमार सु० श्री कर्म चंद	01.10.21 से 30.09.22 तक	265000	47700	312700	212000 G. No 93/49 दिनांक 31.01.22, 04/73 दिनांक 07.05.22	53000	47700

			01.10.22 से 31.12.22 तक @ 30000 प्रतिमाह	90000	16200	106200	90000 G. No 40/01 दिनांक 04.11.22	0	16200
			01.01.23 से 31.03.23 तक @ 30000 प्रतिमाह	90000	16200	106200	90000 G. No 98/08 दिनांक 30.01.23	0	16200
03	राधे कृष्ण मंदिर के पीछे पालमपुर	श्री संजय वालिया	01.10.21 से 30.09.22 तक	110000	19800	129800	132000 G. No 10/26 दिनांक 30.01.23 व 94/49 दिनांक 31.01.22	0	0
			01.10.22 से 31.12.22 तक @ 14000 प्रतिमाह	42000	7560	49560	42000 G. No 46/01 दिनांक 05.11.22	0	7560
			01.01.23 से 31.03.23 तक @ 14000 प्रतिमाह	42000	7560	49560	42000 G. No 72/08 दिनांक 28.01.23	0	7560
04	नेहरु चौक पालमपुर	श्री कशिश महाजन	01.10.22 से 30.09.23 तक	136500	24570	161070	0	136500	24570
05	पुराना बस अड्डा पालमपुर	श्री अंशुमन शर्मा	01.10.22 से 30.09.23 तक	251500	45270	296770	0	251500	45270
						कुल राशि		**542500**	**183330**

अंकेक्षण द्वारा सफल बोलीदाताओं से कम वसूली गई राशि ₹5,42,500.00 तथा वस्तु एवं सेवाकर की नहीं वसूली गई राशि ₹1,83,330.00 की वसूली उचित स्त्रोत से करने का मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/049 दिनांक: 27-05-2023 द्वारा आयुक्त, नगर निगम से उठाया गया था तथा उनसे इस राशि की वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया था, किन्तु निगम द्वारा इसका कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः वस्तु एवं सेवाकर की उक्त राशि ₹1,83,330.00 की वसूली उचित स्त्रोत से करके इस समस्त राशि को सम्बंधित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा साथ ही पार्किंग स्थलों की राशि ₹5,42,500.00 जो सफल बोलीदाताओं से वसूल नहीं की गई है, की वसूली

सम्बंधित से कर के नगर निगम निधि में जमा करवाया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त शर्त संख्या:9 के अनुसार ठेकेदार को शर्तों से सम्बंधित इकरारनामा कार्यालय नगर निगम में जमा करवाना था जोकि नहीं करवाया गया है तथा अनुबंध के अभाव में ही पार्किंग स्थलों की नीलामी का कार्य ठेकेदारों को सौंप दिया गया है जोकि एक गंभीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

15 तहबाजारी शुल्क के रूप में ₹8.12 लाख की कम वसूली करना :-

आयुक्त नगर निगम द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: SAD/AC-V-030/2023 दिनांक: 15.05.2023 के प्रत्युतर में नगर निगम पालमपुर द्वारा पत्र संख्या: 716/MCP दिनांक 23.05.2023 के माध्यम से गली विक्रेताओं (street vendors) की उपलब्ध करवाई गयी सूची के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में कुल 64 पंजीकृत गली विक्रेता (Registered street vendors) हैं। लेकिन नगर निगम पालमपुर द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत गली विक्रेता रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 70 से 83 तक के अवलोकन पर पाया गया कि नगर निगम क्षेत्र में कुल 99 गली विक्रेता पंजीकृत हैं। नगर निगम द्वारा निगम की बैठक के प्रस्ताव संख्या 377 द्वारा दिनांक 01.06.2018 से तहबाजारी शुल्क की दैनिक दर ₹50.00 निर्धारित की है। नगर निगम द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल ₹9,95,050.00 तहबाजारी शुल्क के रूप में प्राप्त किये हैं जबकि नगर निगम द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹18,06,750.00 की वसूली की जानी अपेक्षित थी:-

नगर निगम द्वारा पंजीकृत गली विक्रेताओं की संख्या	निगम की बैठक के प्रस्ताव संख्या 377 द्वारा दिनांक 01.06.2018 से प्रभावी दैनिक दर (₹)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में तहबाजारी शुल्क के रूप में प्राप्त योग्य राशि (₹) (99X 50X365)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में वसूली गई राशि (₹)	कम वसूली गई राशि (₹)
99	50.00	18,06,750.00	9,95,050.00	8,11,700.00

उपरोक्त विवरणानुसार दिनांक 31.03.2023 की समाप्ति तक तहबाजारी शुल्क के रूप में ₹8,11,700.00 (1806750-995050=811700) की कम वसूली करने के कारण नगर निगम को वित्तीय हानि हुई है जोकि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। निगम द्वारा तह बाजारी की कम वसूली हेतु वस्तुस्थिति से अवगत करवाने बारे अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/048 दिनांक:26-05-2023 द्वारा आयुक्त महोदय से उठाया गया था जिस के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: एमसीपी/2023-1230 दिनांक 07.06.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि कुछ विक्रेता अपनी फड़ही

छोड़ गए हैं व अभी कम गली विक्रेता ही काम करते हैं किन्तु इस के संबंध में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः या तो कम गली विक्रेताओं के फड़ही लगाने के संबंध में अभिलेख प्रस्तुत किया जाए अन्यथा उक्त वर्णित कम वसूली गई राशि ₹811700.00 तहबाजारी शुल्क की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके नगर निगम निधि खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 प्राप्त किराये पर वस्तु एवं सेवा कर के रूप में ₹0.20 लाख की वसूली न करना :-

अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 की आय के अंकेक्षण में पाया गया कि नगर निगम द्वारा अम्बेडकर भवन, प्रगति मैदान व गाँधी मैदान को किराए पर देने से प्राप्त किराये पर सेवाकर के रूप में **₹20,448.00** की न तो वसूली की गयी है और न ही इसे सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया गया था। जिसका पूर्ण विवरण निम्नलिखित प्रकार से है : -

क्रम संख्या	किरायेदार का नाम	स्थल का नाम	वसूले गये किराये की राशि	रसीद संख्या (G-8)	दिनांक	प्राप्त योग्य वस्तु एवं सेवाकर (प्राप्त राशि पर 18% की दर से)
01.	श्री रणजीत कनौजिया, आइमा	अम्बेडकर भवन	8000	88/71	29.04.22	1440
02.	श्री रमेश गोस्वामी सुघ्घर	अम्बेडकर भवन	11000	20/73	10.05.22	1980
03.	श्री रविन्द्र कुमार	-यथोपरि -	5000	04/76	31.05.22	900
04.	श्री सुरिन्दर कुमार वालिया नज़दीक नयूगल कैफ़े	-यथोपरि -	11000	21/76	01.06.22	1980
05	श्री निर्मल कुमार, बंदला	-यथोपरि -	11000	47/76	04.06.22	1980
06	श्री अनिल महाजन, सुघ्घर	-यथोपरि -	8000	49/77	13.06.22	1440
07	श्री वर्तु कुमार, बंदला	-यथोपरि -	5000	53/51	10.02.22	900
08.	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता	-यथोपरि -	8000	46/86	04.08.22	1440
09	श्री अनूप कुमार सूद	-यथोपरि -	5600	13/05	22.12.22	1008

10	श्री विजय कुमार गुप्ता	-यथोपरि -	5600	23/10	09.02.23	1008
11	श्री प्रवीण शर्मा	-यथोपरि -	5000	52/10	13.02.23	900
12	श्री पृथ्वी नाथ वालिया	-यथोपरि -	20800	39/12	02.03.23	3744
13	श्री सचिन वर्मा बी०आर०एस० हीरो पालमपुर	प्रगति मैदान	5000	32/90	23.08.22	900
14	श्री सुंदर लाल	प्रगति मैदान	500	76/96	04.10.22	90
15	श्री अजय कुमार बिंद्रावन	प्रगति मैदान	4100	60/96	03.10.22	738
					कुल योग	20448

नियमानुसार आबंटियों से किराये की वसूली करते समय किराये की राशि के साथ किराये की राशि पर 18 प्रतिशत की दर से वस्तु एवं सेवाकर की वसूली करना व वसूली गई वस्तु एवं सेवाकर की राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित था । लेकिन उपरोक्त उल्लेखित वस्तु एवं सेवाकर की राशि को विभिन्न व्यक्तियों /संस्थाओं से न तो वसूला गया है और न ही सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया गया है। निगम द्वारा वस्तु एवं सेवाकर की वसूली न करने का मामला अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/043 दिनांक:25-05-2023 द्वारा आयुक्त महोदय से उठाया गया था जिस के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 2200/MCP/2023 दिनांक:03-07-2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि वस्तु एवं सेवाकर की सम्पूर्ण राशि को वाउचर संख्या25 दिनांक 13-06-2023 द्वारा सम्बन्धित विभाग में जमा करवा दिया गया है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। यद्यपि अंकेक्षण द्वारा यह मामला उजागर करने उपरांत इस राशि को जमा करवा दिया गया है तथापि भविष्य में इस मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 पार्किंग शुल्क की कम वसूली करने बारे :-

नगर निगम के वितीय वर्ष 2022-23 के आय के चयनित माह मार्च, 2023 के पार्किंग शुल्क रजिस्टर का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि नगर निगम द्वारा पार्किंग की जो दरें निर्धारित की गई है (चर्चा अनुसार पार्किंग की दरें कंबाईड ऑफिस बिल्डिंग की दरों अनुसार तय की गई हैं जिस से संबंधित एक पृष्ठ का अभिलेख प्रस्तुत किया गया किन्तु इन दरों की सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से सम्बंधित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया), इन दरों के अनुसार निम्न

विवरणानुसार कम पार्किंग शुल्क की वसूली करने के कारण निगम को **₹1240.00** की वितीय हानि हुई है :-

पार्किंग शुल्क रसीद संख्या	दिनांक	वसूली योग्य राशि	प्राप्त राशि	कम प्राप्त राशि (₹)
150/05 से 6	18.03.23	20	10	10
150/08 से 12	18.03.23	50	25	25
150/24 से 29	20.03.23	60	30	30
150/31	20.03.23	10	5	5
150/44 से 52	20.03.23	90	45	45
150/68 से 71	22.03.23	40	20	20
150/80 से 81	22.03.23	20	10	10
150/85 से 86	22.03.23	20	10	10
150/89 से 93	23.03.23	50	25	25
151/01 से 06	09.03.23	60	30	30
151/17	09.03.23	10	5	5
151/21	09.03.23	10	5	5
151/23	09.03.23	10	5	5
151/26 से 29	09.03.23	40	20	20
151/48 से 56	10.03.23	90	45	45
151/64	11.03.23	10	5	5
151/84	13.03.23	10	5	5
151/93 से 94	13.03.23	20	10	10
151/97 से100	13.03.23	40	20	20
145/32 से 33	06.03.23	20	10	10
145/64 से 65	08.03.23	20	10	10

145/68	08.03.23	10	5	5
145/70 से 71	08.03.23	20	10	10
158/08/ से 14	29.03.23	70	35	35
158/18	29.03.23	10	5	5
158/28 से 32	30.03.23	50	25	25
158/45 से 46	31.03.23	20	10	10
158/55 से 56	31.03.23	20	10	10
155/01	23.03.23	10	5	5
155/28 से 30	25.03.23	30	15	15
155/34 से 35	26.03.23	20	10	10
155/43	25.03.23	10	5	5
155/66 से 71	27.03.23	60	30	30
155/73	27.03.23	10	5	5
155/87	27.03.23	10	5	5
155/89 से 90	28.03.23	20	10	10
143/42 से 45	01.03.23	40	20	20
143/62	01.03.23	10	5	5
143/64 से 70	02.03.23	70	35	35
143/80	02.03.23	10	5	5
143/87 से 92	03.03.23	60	30	30
143/99	03.03.23	10	5	5
144/01 से 15	03.03.23	270	0	270
144/16 से 24	04.03.23	90	45	45
144/37	04.03.23	10	5	5
144/41 से 42	04.03.23	20	10	10
144/52 से 56	06.03.23	50	25	25

144/58	06.03.23	10	5	5
144/60	06.03.23	10	5	5
144/66	06.03.23	10	5	5
144/68	06.03.23	10	5	5
144/71 से 72	06.03.23	20	10	10
144/83 से 89	06.03.23	70	35	35
144/91	08.03.23	10	5	5
154/01 से 05	14.03.23	50	25	25
154/15	14.03.23	10	5	5
154/21 से 26	15.03.23	60	30	30
154/36	15.03.23	10	5	5
154/43 से 44	16.03.23	20	10	10
154/48	16.03.23	10	5	5
154/60 से 71	17.03.23	120	60	60
154/84	17.03.23	10	5	5
154/87 से 90	19.03.23	40	20	20
154/93	19.03.23	10	5	5
154/99 से 100	19.03.23	20	10	10
			कुल योग	**1240**

उक्त राशि अंकेक्षण हेतु चयनित माह मार्च, 2023 में ही कम वसूली गई है, इसके अतिरिक्त शेष अवधि में कम वसूली गई राशि की गणना संस्था स्तर पर करके उसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त निम्न विवरणानुसार पार्किंग में पार्क किये गये वाहनों से मासिक शुल्क के रूप में माह मार्च, 2023 में कुल ₹ 5760.00 की वसूली की गई है जबकि नगर निगम ने पार्किंग की मासिक शुल्क की दरें ही निर्धारित नहीं की है।

मासिक किराया		
146/46	13.03.23	720
145/08	04.03.23	720
145/77	09.03.23	720
145/80	09.03.23	720
145/100	10.03.23	720
138/60	01.03.23	720
138/89	03.03.23	720
147/31	19.03.23	720
	कुल राशि	**5760**

अंकेक्षण द्वारा पार्किंग शुल्क की निर्धारित दरों से कम दरों पर वसूली तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से संबंधित मामला अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/037 दिनांक:24-05-2023 तथा कोई उत्तर प्राप्त न होने पर पुनः अधियाचना संख्या : SAD/AC-V/ 067 व 083 दिनांक: 30-06-2023 व 12-07-2023 द्वारा माननीय आयुक्त, नगर निगम के ध्यान में लाया गया था तथा उनसे कम वसूली गई राशि की वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इन अंकेक्षण अधियाचनाओं का कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: कम वसूली गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरांत नगर निगम निधि में जमा कारवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 नगर निगम द्वारा GEM Portal के माध्यम से क्रय / स्थापित की गई सोलर लाइट्स (Solar Lights) हेतु सम्बन्धित फर्म के बिलों से ₹21.59 लाख के परिसमापन हर्जाने (liquidated damages) की वसूली न करना एवं ₹19.71लाख की नियमानुसार कटौतियाँ न करने के कारण उन्हे कुल ₹41.30 लाख का अनुचित लाभ देने एवं अन्य विभिन्न विसंगतियों के संदर्भ में:-

नगर निगम, पालमपुर के सदस्यों ने दिनांक 14-02-2022 की मीटिंग के प्रस्ताव संख्या : 8.10 द्वारा निगम परिक्षेत्र के सभी 15 वार्डों में 750 नंबर 35 वाट (watt) तथा 300 नंबर 12 वाट (watt) की सोलर लाइट्स (Solar Lights) लगाने हेतु प्रस्ताव पारित किया था । जिसके लिए नगर निगम द्वारा GEM Portal के माध्यम से इनके क्रय एवं इनको निगम परिक्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर स्थापित करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थीं तथा जिनके आधार पर इनके क्रय तथा स्थापित करने की संविदा मेसर्ज ग्रीनऐज इंडिया रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, बरेली (Greenage india Resources Private Limited, Bareilly) को क्रमश: राशि

₹22,796.42 प्रति 35 वाट सोलर लाइट्स तथा ₹14,988.50 प्रति 12 वाट सोलर लाइट्स की दर पर कुल राशि ₹2,15,93,865.00 आपूर्ति आदेश संख्या (contract) :GEMC-511687783281438 दिनांक :18-04-2022 (GEM के माध्यम) द्वारा दी गई थी । बिड डाक्यमेन्ट (bid document) की शर्त क्रमांक 7 अनुसार क्रेता (नगर निगम) इस आपूर्ति आदेश को 25% तक अधिक या कम कर सकता था। जिस कारण नगर निगम द्वारा पुन: इस फर्म को 262 नंबर 35 वाट (watt) की सोलर लाइट्स (Solar Lights) लगाने हेतु आपूर्ति आदेश संख्या: MCP/Supply Order /2022-2164 दिनांक :27-07-2022 दिया गया था, जिसके विरुद्ध सम्बन्धित फर्म द्वारा निगम को 250 नंबर 35 वाट (watt) की सोलर लाइट्स (Solar Lights) की आपूर्ति बिल संख्या 99 दिनांक 22-08-2022 द्वारा की गई थी। अंकेक्षण में प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि नगर निगम, पालमपुर के सदस्यों ने दिनांक 05-08-2022 की मीटिंग के प्रस्ताव संख्या : 12.6 द्वारा सम्बन्धित फर्म से 2000 अतिरिक्त सोलर लाइट्स (35 वाट) क्रय करने हेतु स्वीकृति प्रदान की थी (शर्त क्रमांक 7 में किए जाने वाले 25% विचलन के अतिरिक्त) एवं निगम द्वारा फर्म को तदानुसार आपूर्ति आदेश जारी कर दिए गए थे। जिस में से फर्म को 600 सोलर लाइट्स (35 वाट) का भुगतान भी कर दिया गया था ।

नगर निगम द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं अंकेक्षण में पाया गया कि सम्बन्धित फर्म ने इन सोलर लाइट्स (Solar Lights) के क्रय हेतु नगर निगम को कुल राशि ₹4,09,70,822.00 के बिल निम्नविवरणानुसार प्रस्तुत किए थे तथा निगम द्वारा फर्म को कुल राशि ₹3,92,61,091.00 का भुगतान किया गया था।

क्रम संख्या	फर्म का बिल संख्या व दिनांक	वाउचर संख्या व दिनांक	आपूर्ति की गई सोलर लाइट्स की संख्या व वाट	बिल की कुल राशि (₹)	किया गया कुल भुगतान (₹)	काटी गई प्रतिभूति राशि (₹)	स्त्रोत पर काटा गया वस्तु एवं सेवाकर(₹)	स्त्रोत पर काटा गया आयकर (₹)	स्त्रोत प[र] काटा गया श्रम उपक[र] (₹)
1	44 03.06.22	16 06.06.22	200 नंबर 12 वाट	29,97,700.00	29,97,700.00	0.00	0.00	59954.00	0.0
2	50 10.06.22	28 13.06.22	100 नंबर 12 वाट 150 नंबर 35 वाट	49,18,313.00	49,18,313.00	0.00	0.00	98366.00	0.0
3	60 08.07.22	32 27.07.22	150 नंबर 35 वाट	34,19,463.00	65,20,162.00 (क्रम संख्या 3 व 4 का पार्ट भुगतान)	0.00	0.00	0.00	0.0
4	72 20.07.22	36 12.08.22	300 नंबर 35 वाट	68,38,926.00	37,38,227.00 (क्रम संख्या 3 व 4 का पार्ट भुगतान)	0.00	308041.00	149721.00	0.0
5	87	39	150 नंबर	34,19,463.00	34,19,463.00	0.00	57957.00	57957.00	0.0

	11.08.22	16.08.22	35 वाट						
6	99 22.08.22	10 05.09.22	250 नंबर 35 वाट	56,99,105.00	56,99,105.00	362231.00	96595.00	96595.00	48298.00
7	109 02.09.22	10 05.09.22	300 नंबर 35 वाट	68,38,926.00	51,29,195.00 (बिल की राशि का 75% भुगतान)	0.00	86936.00	86936.00	0.00
8	123 23.09.22	35 14.10.22	300 नंबर 35 वाट	68,38,926.00	68,38,926.00	341946.00 193931.00	136779.00	136779.00	68389.00
योग				**4,09,70,822.00**	**3,92,61,091.00**	**898108.00**	**686308.00**	**686308.00**	**116687.00**

इनके अंकेक्षण में निम्न लिखित आपत्तियाँ पाई गई जिनका निराकरण अपेक्षित है :-

1) अंकेक्षण में पाया गया कि उक्त क्रय हेतु माननीय आयुक्त महोदय द्वारा कार्यालय आदेश संख्या : 212 GEM / MCP/ 2021-22 दिनांक :18-04-2022 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, किन्तु इस संबंध में कोई भी अभिलेख पड़ताल हेतु वर्तमान अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं किया गया कि वह इतनी राशि तक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर सकते थे अथवा यह स्वीकृति उच्च अधिकारियों से प्राप्त की जानी थी। अतः इस सम्बन्ध में वांछित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

2) अंकेक्षण में पाया गया कि इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति नगर निगम के सहायक अभियंता द्वारा कुल राशि ₹1,83,75,000.00 (प्राक्कलन अनुसार) को तीस भागों में विभाजित करके पंद्रह भाग ₹9,55,000.00 प्रति भाग तथा पंद्रह भाग ₹2,70,000.00 प्रति भाग की दी गई थी। जबकि यह एक कार्य होने के कारण इसकी एक ही तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित थी, जोकि Municipal Works Rules 2010, जिन्हे अधिसूचना संख्या :UD- A (3) 5/2007 दिनांक :20-08-2010 द्वारा अधिसूचित किया गया था, के नियम 4(2)a अनुसार हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रिकल विंग (electrical wing) के मुख्य अभियंता से प्राप्त की जानी थी। अतः इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति को सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त न करके तथा इसे सहायक अभियंता को इस अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंदर तीस भागों में विभाजित करके प्राप्त किया जाना नियमों के विरुद्ध है , जिस बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसकी तकनीकी स्वीकृति को सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

3) नगर निगम द्वारा उक्त सोलर लाइट्स (Solar Lights) को लगाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कितना प्रावधान किया गया था एवं यह प्रावधान बजट की किस मद के अंतर्गत / किस अनुदान से किया गया था से सम्बन्धित अभिलेख भी पड़ताल हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे भी प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

4) अंकेक्षण में पाया गया कि GEM Portal में संविदाकार से किए गए अनुबंध संख्या: GEMC-511687783281438 दिनांक :18-04-2022 में दी गई consignee detail अनुसार इन सोलर लाइट्स (Solar Lights) की आपूर्ति दिनांक 18-04-2022 से प्रारंभ होकर दिनांक 02-06-2022 तक पूर्ण हो जानी चाहिए थी एवं इस अनुबंध की नियम और शर्तों (terms and Conditions) की सामान्य शर्तों के क्रमांक 1.9 के अनुसार अगर विक्रेता अनुबंध के अनुसार निर्धारित/ पुनर्निर्धारित अवधि में सामान की आपूर्ति नहीं करता है तो क्रेता (नगर निगम) फर्म से देरी के लिए प्रति सप्ताह या उसके भाग हेतु 0.5% परिसमापन हर्जाना (liquidated damages) जोकि अधिकतम अनुबंध का 10% तक हो सकता है वसूल कर सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अनुबंध को पूरा करने हेतु उपलब्ध करवाए गए अभिलेख अनुसार किसी भी पुनर्निर्धारित अवधि का निर्धारण नहीं किया गया था। अनुबंध की इस शर्त को यहाँ पुनः उल्लेखित किया जा रहा है :-

"Liquidated Damages: If the seller fails to deliver any or all of the goods /services within the original/refixed delivery period(s) specified in the contract, the buyer will be entitled to deduct/recover the liquidated damages for the delay,unless covered under Force Majeure conditions aforesaid, @ 0.5%per week or part of the week of delayed period as pre-estimated damages not exceeding 10% of the contract value without any controversy/ dispute of any sort whatever. In case, Service Level Agreement (SLA) is applicable the same shall be applicable for the contract."

अंकेक्षण में पाया गया कि संविदाकार द्वारा नगर निगम को इन सोलर लाइट्स (Solar Lights) की आपूर्ति निम्न विवरणानुसार की गई थी :-

क्रम संख्या	फर्म का बिल संख्या व दिनांक	वाउचर संख्या व दिनांक	आपूर्ति की गई सोलर लाइट्स की संख्या व वाट	बिल की राशि (₹)	अनुबंध अनुसार आपूर्ति हेतु निर्धारित तिथि	आपूर्ति में की गई देरी (दिनों में)	आपूर्ति में की गई देरी (सप्ताह या उसका भाग)	देय परिसमापन हर्जाना
1	44 03.06.22	16 06.06.22	200 नंबर 12 वाट	29,97,700.00	02.06.22	1	1	0.5%
2	50 10.06.22	28 13.06.22	100 नंबर 12 वाट 150 नंबर 35 वाट	49,18,313.00	02.06.22	8	2	1%
3	60 08.07.22	32 27.07.22	150 नंबर 35 वाट	34,19,463.00	02.06.22	36	6	3%
4	72 20.07.22	36 12.08.22	300 नंबर 35 वाट	68,38,926.00	02.06.22	48	7	3.5%
5	87 11.08.22	39 16.08.22	150 नंबर 35 वाट	34,19,463.00	02.06.22	70	10	5%
			योग	**2,15,93,865.00**				**13%**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि संविदाकार द्वारा नगर निगम को सोलर लाइट्स की सारी आपूर्ति ही निर्धारित अवधि के बाद प्रदान की गई है एवं अनुबंध के उक्त प्रावधान (1.9) के अनुसार उनसे परिसमापन हर्जाना (liquidated damages) लेना अपेक्षित था जोकि 13% बनता है लेकिन क्योंकि यह 10% से अधिक नहीं हो सकता था एवं 10% की दर से यह राशि ₹21,59,386.50 या 21,59,387.00 (2,15,93,865.00 का 10%) रुपए बनती है। अंकेक्षण में पाया गया कि नगर निगम द्वारा संविदाकार के बिलों का भुगतान करते समय अनुबंध के इस प्रावधान की पूर्णता अवहेलना की गई है तथा उनके बिलों से इस राशि की कटौती न करके उन्हे अनियमित रूप से लाभ तथा नगर निगम निधि को हानि पहुंचाई गई है, जिस बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरांत नगर निगम निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा फर्म को दिए गए पूरक आपूर्ति आदेश में भी इस संबंध में कोई शर्त थी या नहीं, से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5) नगर निगम द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार सफल बोलीदाता से निष्पादन सुरक्षा (performance security) प्राप्त नहीं की गई है, जबकि चयनित माह के वाउचर संख्या 18 दिनांक 06-08-2022 **(पफ टॉइलेट्स से सम्बन्धित)** के साथ संलग्न अनुभाग अधिकारी, वित्त एवं लेखा द्वारा लिखी गई टिप्पणी जिसे माननीय आयुक्त महोदय द्वारा "A" से संबोधित किया गया है के अनुसार GEM Portal के माध्यम से किए जाने वाले क्रय जिनकी राशि ₹25,00,000.00 से अधिक होती है में अनुबंध की कुल राशि का 2% निष्पादन सुरक्षा (performance security) के रूप में लिया जाता है। अगर इस टिप्पणी को आधार माना जाए तो उक्त क्रय में भी सम्बन्धित फर्म (सफल बोलीदाता) से कुल अनुबंध राशि का 2% निष्पादन सुरक्षा (performance security) के रूप में प्राप्त किया जाना अपेक्षित था जोकि राशि ₹4,31,877.30 (₹2,15,93,865.00 का 2%) बनता है। अतः नगर निगम द्वारा संविदाकार से इस क्रय में निष्पादन सुरक्षा (performance security) को प्राप्त न करके उन्हे ₹4,31,877.30 का अनुचित लाभ दिया गया है जिस बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसे प्राप्त करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6) उपरोक्त विवरण अनुसार संबंधित फर्म ने इन सोलर लाइट्स (Solar Lights) के क्रय हेतु नगर निगम को कुल राशि ₹4,09,70,822.00 के बिल प्रस्तुत किए थे तथा निगम द्वारा फर्म को कुल राशि ₹3,92,61,091.00 का भुगतान किया गया था किन्तु निगम प्रशासन द्वारा फर्म के बिलों में से मात्र क्रम संख्या 6 व 8 में दर्शाए गए बिलों से ₹8,98,108.00 (704177.00+1,93,931.00) की कटौती ही प्रतिभूति राशि के रूप में की गई थी, जबकि फर्म के सभी बिलों से अगर 5% की दर से भी प्रतिभूति राशि की कटौती की जानी थी तो यह राशि ₹19,63,054.55 या ₹19,63,055.00 बनती है। इस प्रकार फर्म से प्रतिभूति के रूप में राशि

₹10,64,947.00 की कम कटौती की गई है। अतः इस संबंध में अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए कि उनसे किए गए अनुबंध अनुसार प्रतिभूति के रूप में कितनी राशि की वसूली की जानी अपेक्षित थी तथा कुछ बिलों से प्रतिभूति राशि की कटौती करने एवं कुछ से न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कटौती की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7) उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं अंकेक्षण में पाया गया कि फर्म से स्त्रोत पर वस्तु एवं सेवाकर के रूप में 2% की दर से राशि ₹7,85,222.00 (3,92,61,091.00 का दो प्रतिशत) की कटौती की जानी अपेक्षित थी किन्तु उनसे केवल राशि ₹6,86,308.00 की ही कटौती की गई है तथा इस प्रकार फर्म से वस्तु एवं सेवाकर के रूप में राशि ₹98,914.00 की कम कटौती की गई है।जिस बारे में भी वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाते हुए कम काटी गई राशि की कटौती करने उपरांत उसे सम्बन्धित विभाग में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए यथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8) नियमानुसार फर्म के बिलों से स्त्रोत पर आयकर की कटौती 2% की दर से कुल राशि ₹7,85,222.00 (3,92,61,091.00 का दो प्रतिशत) बनती है, जबकि उनके बिलों से राशि ₹6,86,308.00 की ही कटौती की गई है, जिस बारे में भी तथ्यों से अवगत करवाते हुए कम कटौती की गई राशि ₹98,914.00 की वसूली फर्म से करने उपरांत इसे सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9) फर्म को वित्तीय वर्ष 2022-23 में किए गए कुल भुगतान ₹3,92,61,091.00 में 1% की दर से श्रम उपकर के रूप में राशि ₹3,92,611.00 की कटौती अपेक्षित थी किन्तु उपलब्ध करवाए गए अभिलेख अनुसार उनके बिलों से राशि ₹1,16,687.00 की कटौती ही श्रम उपकर के रूप में की गई है एवं इस प्रकार ₹2,75,924.00 की कम कटौती की गई है जिस बारे में भी तथ्यों से अवगत करवाते हुए कम काटी गई राशि की वसूली फर्म से करने उपरांत इसे सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10) प्रस्तुत अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि नगर निगम परिक्षेत्र में स्थापित की गई सोलर लाइट्स आपूर्ति आदेश अनुसार हैं अथवा नहीं के निरीक्षण हेतु किसी भी प्रकार की निरीक्षण समिति का गठन नहीं किया गया है एवं न ही इन सोलर लाइट्स का निरीक्षण किया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम,2009 के नियम अनुसार क्रय/ स्थापित की गई सभी वस्तुओं का निरीक्षण विभागीय स्तर पर गठित निरीक्षण समिति द्वारा किया जाना अपेक्षित था एवं उसके उपरांत ही फर्म को क्रय किए गए सामान का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अतः इस चूक बारे स्पष्टीकरण देते हुए नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11) अंकेक्षण में पाया गया कि नगर निगम द्वारा फर्म को भुगतान उनके वास्तविक (original) बिलों की प्राप्ति पर न करके उनकी छायाप्रति / ईमेल के माध्यम से प्राप्त बिलों पर किया गया है जबकि नियमानुसार यह भुगतान फर्म से वास्तविक (original) बिलों की प्राप्ति पर तथा उन पर वांछित कार्यावाही करने उपरांत किया जाना अपेक्षित था ताकि दोहरे भुगतान की संभावना को नकारा जा सके। अतः फर्म के छायाप्रति / ईमेल के माध्यम से प्राप्त बिलों पर किए गए भुगतान को या तो नियमानुसार सही ठहराया जाए या इस बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए फर्म से वास्तविक (original) बिल प्राप्त किए जाएं एवं उन पर अपेक्षित कार्यवाही करते हुए अंकेक्षण को तदानुसार सूचित किया जाए।

12) बिड डाक्यमेन्ट (bid document) की शर्त क्रमांक 7 अनुसार क्रेता (नगर निगम) इस आपूर्ति आदेश को 25% तक अधिक या कम कर सकता था किन्तु अंकेक्षण में प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि नगर निगम, पालमपुर के सदस्यों ने दिनांक 05-08-2022 की मीटिंग के प्रस्ताव संख्या : 12.6 द्वारा सम्बन्धित फर्म से 2000 अतिरिक्त सोलर लाइट्स (35 वाट) क्रय करने हेतु स्वीकृति प्रदान की थी एवं निगम द्वारा फर्म को तदानुसार आपूर्ति आदेश जारी कर दिए गए थे। जिस में से फर्म को 600 सोलर लाइट्स (35 वाट) का भुगतान भी क्रमशः वाउचर संख्या 10 एवं 35 दिनांक 05-09-2022 एवं 14-10-2022 (उपरोक्त तालिका का क्रम संख्या 7 व 8)द्वारा कर दिया गया था। क्योंकि निगम प्रशासन द्वारा फर्म को पूर्व में ही बिड डाक्यमेन्ट (bid document) की शर्त अनुसार 25% की अधिक आपूर्ति हेतु आदेश जारी किए जा चुके थे जिनकी फर्म द्वारा आपूर्ति भी की जा चुकी थी । अतः इस संबंध में फर्म को बिड डाक्यमेन्ट (bid document) की उपरोक्त वर्णित शर्त की अवमानना में 25% से अधिक का विचलन करते हुए अनियमित रूप से 2000 अन्य सोलर लाइट्स की आपूर्ति आदेश जारी करने एवं उनमें से 600 सोलर लाइट्स को प्राप्त करके उनका भुगतान करने को या तो नियमानुसार सही ठहराया जाए अन्यथा इस अनियमित क्रय हेतु स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसकी सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इसे नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त सम्बन्धित संविदाकार / फर्म के बिलों से इस अधिक की गई क्रय में नियमानुसार की जाने वाली सभी कटौतियाँ भी करना सुनिश्चित किया जाए।

13) बिड डाक्यमेन्ट (bid document) की शर्त क्रमांक 10 एवं GEM Portal में संविदाकार से किए गए अनुबंध संख्या :GEMC-511687783281438 दिनांक :18-04-2022 में वर्णित अनुबंध की नियम और शर्तों (terms and Conditions) की शर्त क्रमांक 2.10 के अनुसार क्रय की जाने वाली सोलर लाइट्स हेतु विक्रेता द्वारा कुछ तकनीकी दस्तावेज़ नगर निगम को उपलब्ध करवाए जाने थे किन्तु सम्बन्धित नस्ति में न तो यह तकनीकी दस्तावेज़ उपलब्ध हैं एवं न ही फर्म के बिलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस बात को प्रमाणित किया गया है कि आपूर्ति की गई सोलर लाइट्स इन तकनीकी मापदंडों अनुसार हैं अथवा नहीं? जिसके बारे

में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इस से सम्बन्धित सक्षम तकनीकी प्राधिकारी की रिपोर्ट पड़ताल हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित की जाए।

14) क्रय की गई सोलर लाइट्स नगर निगम परिक्षेत्र में कहाँ कहाँ स्थापित की गई हैं के संबंध में सम्पूर्ण वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए क्योंकि निगम द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख से क्रय / प्राप्त तथा आपूर्ति आदेश अनुसार कुल सोलर लाइट्स की मात्रा का मिलान नहीं होता है।

15) अंकेक्षण को यह भी अवगत करवाया जाए कि फर्म द्वारा उनके बिलों में दर्शाई गई सभी सोलर लाइट्स की आपूर्ति कर दी गई है अथवा नहीं तथा फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों में से कितना भुगतान उनके पक्ष में लम्बित है।

अंकेक्षण द्वारा यह मामला अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/069 दिनांक:30-06-2023 व पुनः अधियाचना संख्या : SAD/AC-V/083 दिनांक:12-07-2023 द्वारा माननीय आयुक्त, नगर निगम के ध्यान में लाया गया था तथा उनसे इस पर वांछित कार्यवाही करने व सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो कोई अभिलेख प्रस्तुत किए गए व न ही इन अंकेक्षण अधियाचनाओं का कोई उत्तर दिया गया। अतः इन सभी अंकेक्षण आपत्तियों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

19 नगर निगम द्वारा GEM Portal के माध्यम से क्रय / स्थापित किए गए पफ टॉइलेट्स के बिलों में सम्बन्धित फर्म से नियमानुसार कटौतियाँ न करने के कारण उन्हे ₹21.16 लाख का अनुचित लाभ देने एवं अन्य विभिन्न विसंगतियों के संदर्भ में :-

नगर निगम, पालमपुर द्वारा GEM Portal के माध्यम से नगर निगम परिक्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 20 नंबर (28 x 14) व 5 नंबर (20 x 14) के पफ टॉइलेट्स (आवश्यक सामान सहित पूर्ण रूप में तैयार करके) बनाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थीं तथा जिनके आधार पर इन्हे बनाने की संविदा मेसर्ज बंसल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन, नादौन को क्रमशः राशि ₹12,15,000.00 प्रति टॉइलेट(28 x 14) तथा ₹10,65,000.00 प्रति टॉइलेट (20 x 14) की दर पर कुल राशि ₹2,96,25,000.00 आपूर्ति आदेश संख्या: GEMC-511687743442845 दिनांक :30-05-2022 (GEM के माध्यम) द्वारा दी गई थी । तदोपरांत पुनः आपूर्ति आदेश संख्या: MCP/Supply Order /2022-2620 दिनांक :23-08-2022 द्वारा 5 नंबर (28 x 14) व 1 नंबर (20 x 14) के पफ टॉइलेट्स (आवश्यक सामान सहित पूर्ण रूप में तैयार करके) कुल राशि ₹71,40,000.00 बनाने हेतु दी गई थी। इस प्रकार निगम द्वारा संविदाकार को कुल राशि ₹3,67,65,000.00 के आपूर्ति आदेश दिए गए थे। इनके अंकेक्षण में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाईं गई जिनका निराकरण अपेक्षित है :-

1) संलग्न नस्ति की नोटिंग संख्या 19 अनुसार फर्म के रेट ज्यादा होने के कारण उनसे बातचीत (negotiation) करने हेतु आदेश माननीय आयुक्त महोदय द्वारा दिए गए थे किन्तु फर्म द्वारा बातचीत (negotiation) से पूर्व क्या दरें भरी गई थीं एवं बातचीत उपरांत क्या दरें निर्धारित की गई थीं के संबंध में सम्पूर्ण अभिलेख नस्ति में उपलब्ध नहीं है क्योंकि फर्म द्वारा उपरोक्त लिखित दरें दी गई थी उनका ही अभिलेख उपलब्ध है एवं इस से यह स्पष्ट नहीं होता है कि फर्म के साथ वास्तव मे बातचीत की गई थी अथवा नहीं? इसके अतिरिक्त फर्म द्वारा इन्ही दरों पर बिल प्रस्तुत किए गए हैं एवं इन्ही दरों के आधार पर फर्म को भुगतान किया गया है। अतः फर्म द्वारा बातचीत से पूर्व एवं बातचीत उपरांत दी गई दरों बारे वांछित अभिलेख सहित अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

2) निविदा में भाग लेने वाले सभी संविदाकारों को कुल अनुमानित लागत का 0.5 % भाग धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा करवाना था किन्तु इस संबंध में वांछित अभिलेख/ जमा करवाई गई राशि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया जिस से इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि यह राशि उनके द्वारा जमा करवाई गई थी अथवा नहीं । अतः यह अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

3) चयनित माह के वाउचर संख्या 18 दिनांक 06-08-2022 के साथ संलग्न अनुभाग अधिकारी, वित्त एवं लेखा द्वारा लिखी गई टिप्पणी जिसे माननीय आयुक्त महोदय द्वारा "A" से संबोधित किया गया है के अनुसार GEM Portal के माध्यम से किए जाने वाले क्रय जिनकी राशि ₹25,00,000.00 से अधिक होती है में अनुबंध की कुल राशि का 2% निष्पादन सुरक्षा (performance security) के रूप में लिया जाता है। उनके द्वारा दी गई टिप्पणी अनुसार फर्म ने राशि ₹1,35,000.00 धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा करवाया है तथा राशि ₹1,74,481.39 को NEFT के माध्यम से जमा करवाया है । इस प्रकार फर्म ने कुल राशि ₹3,09,481.39 निष्पादन सुरक्षा (performance security) के रूप में नगर निगम के पास जमा करवाई थी, जबकि अनुबंध की कुल राशि का 2% राशि ₹ 5,92,500.00 (2,96,25,000.00x2%) बनता है। इस तरह फर्म ने निष्पादन सुरक्षा (performance security) के रूप में राशि ₹ 2,83,018.61 या ₹2,83,019.00 कम जमा करवाए थे। इसके अतिरिक्त दिनांक : 23-08-2022 को दिए गए पूरक आपूर्ति आदेश के अनुसार भी फर्म से राशि ₹1,42,800.00 (71,40,000.00x2%) निष्पादन सुरक्षा (performance security) के रूप में प्राप्त की जानी अपेक्षित थी जो नहीं की गई है। इस प्रकार फर्म से कुल राशि ₹4,25,819.00 निष्पादन सुरक्षा (performance security) के रूप में कम प्राप्त करके फर्म को अनुचित रूप से

लाभ दिया गया है । जिस बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इस राशि की वसूली सम्बन्धित से सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4) नगर निगम द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं अंकेक्षण में पाया गया कि संबंधित फर्म को इन 31(25+6) पफ टॉइलेट्स के निर्माण हेतु संविदा अनुसार कुल देय राशि ₹3,67,65,000.00 (30375000.00+6390000.00) बनती थी तथा दो पफ टॉइलेट्स में बायो डियाजेसटेर (Bio Digester) न लगाने के कारण फर्म के बिल से ₹36,000.00(18000x2) की कटौती एवं एक पफ टॉइलेट्स कम साइज़ का बनाने के कारण उनके बिल से ₹1,73,736.00 की कटौती उपरांत उन्हे दिनांक 31-03-2023 तक कुल देय राशि ₹3,65,55,264.00 के विरुद्ध कुल राशि ₹3,32,10,264.00 का भुगतान किया गया है तथा इस भुगतान के विरुद्ध उनसे प्रतिभूति के रूप में मात्र 4,16,563.00 रुपए की वसूली 5% की दर से ही की गई है । जबकि फर्म के सभी बिलों से अगर 5% की दर से भी प्रतिभूति राशि की कटौती की जानी थी तो यह राशि ₹16,60,513.00 बनती है। इस प्रकार फर्म से प्रतिभूति के रूप में राशि ₹12,43,950.00 की कम कटौती की गई है। अतः इस संबंध में अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए कि उनसे किए गए अनुबंध अनुसार प्रतिभूति के रूप में कितनी राशि की वसूली की जानी अपेक्षित थी तथा कुछ बिलों से प्रतिभूति राशि की कटौती करने एवं कुछ से न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त चयनित माह के अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में प्रतिभूति राशि के रूप में फर्म के बिलों से 7.5% की दर से कटौती की गई है किन्तु इसे वास्तव में फर्म को भुगतान करते समय कुछ बिलों में नहीं किया गया है जिसका भी औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कटौती की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5) अंकेक्षण में पाया गया कि G.S.T. Rule 2017 के अनुसार फर्म से स्त्रोत पर वस्तु एवं सेवाकर के रूप में 2% की दर से ₹6,64,205.00 (3,32,10,264.00 का दो प्रतिशत) की कटौती की जानी अपेक्षित थी किन्तु उनसे केवल राशि ₹5,88,305.00 (504992+83313) की ही कटौती की गई है तथा इस प्रकार फर्म से वस्तु एवं सेवाकर के रूप में राशि ₹75,900.00 की कम कटौती की गई है। जिस बारे में भी वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाते हुए कम काटी गई राशि की कटौती करने उपरांत उसे सम्बन्धित विभाग में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6) नियमानुसार फर्म के बिलों से स्त्रोत पर आयकर की कटौती 2% की दर से कुल राशि ₹6,64,205.00 (3,32,10,264.00 का दो प्रतिशत) बनती है, जबकि उनके बिलों से राशि

₹2,94,152.00 की ही कटौती (1% की दर से) की गई है, जिस बारे में भी तथ्यों से अवगत करवाते हुए कम कटौती की गई राशि ₹3,70,053.00 की वसूली फर्म से करने उपरांत इसे सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7) अंकेक्षण में पाया गया कि फर्म द्वारा स्थापित किए जाने वाले पफ टॉइलेट्स मे लगाए जाने वाले सामान (accessories) हेतु कुछ ब्रांडस निर्धारित किए गए थे किन्तु माप पुस्तिका/ बिल में इस बात का न तो वर्णन किया गया है एवं न ही इस बात को प्रमाणित किया गया है कि लगाया गया सामान निर्धारित ब्रांडस का था अथवा नहीं? जिस बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए लगाए गए सामान का सत्यापन्न सुनिश्चित किया जाए तथा अगर लगाया गया सामान निर्धारित ब्रांडस का नहीं है / निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है तो संविदाकार से नियमानुसार कटौती सुनिश्चित की जाए एवं कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8) नगर निगम द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि निगम परिक्षेत्र में स्थापित किए गए पफ टॉइलेट्स में से कुछ पुराने नगर परिषद क्षेत्र में भी स्थापित किए गए हैं एवं क्योंकि पुराने नगर परिषद क्षेत्र में सीवरेज की व्यवस्था उपलब्ध है तथा इन में बायो डियाजेसटेर (Bio Digester) न लगाकर सीधे सीवरेज से जोड़ा जाना था एवं संविदाकार के बिल से इस राशि की कटौती की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण में पाया गया कि नगर निगम द्वारा दो पफ टॉइलेट्स में बायो डियाजेसटेर (Bio Digester) न लगाने के कारण फर्म के बिल से ₹36,000.00 (18000 x 2) की कटौती की गई है लेकिन प्रस्तुत अभिलेख अनुसार कुछ अन्य पफ टॉइलेट्स भी पुराने नगर परिषद क्षेत्र में लगाए गए हैं किन्तु इन के बिलों से इस तरह की कटौती नहीं की गई है, जिस बारे में तथ्यों से अवगत करवाते हुए तथा इस संबंध में निगम स्तर पर जांच सुनिश्चित करते हुए अगर किसी अन्य पफ टॉइलेट्स में भी इस तरह की कटौती होनी है तो उसे किया जाए एवं कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9) प्रस्तुत अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि संविदाकार द्वारा वार्ड नंबर 4 (डोरूबाईं) में जगह की कमी के कारण एक पफ टॉइलेट्स निर्धारित (28 x 14) के स्थान पर (24 x 14) का स्थापित किया गया था तथा इस में निर्धारित मापदंडों से कम सामान लगाया गया था एवं जिस हेतु संविदाकार को राशि ₹12,15,000.00 के स्थान पर राशि ₹10,41,264.00 का भुगतान ₹3099.00 प्रति square foot (12,15,000.00/392 x 336) की दर से किया गया था। इस संबंध में अंकेक्षण अनुसार सविंदाकार को लागत के सार (abstract of cost) अनुसार किए गए कार्य /लगाए गए

सामान का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अतः इस बारे में तथ्यों से अवगत करवाते हुए निगम स्तर पर पड़ताल उपरांत अगर उन्हे अधिक भुगतान किया गया है तो उस की वसूली उन से की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10) प्रस्तुत अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि नगर निगम परिक्षेत्र में स्थापित किए गए पफ टॉइलेट्स आपूर्ति आदेश अनुसार बनाए गए है अथवा नहीं के निरीक्षण हेतु किसी भी प्रकार की निरीक्षण समिति का गठन नहीं किया गया है एवं सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता / सहायक अभियंता द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र अनुसार फर्म को भुगतान कर दिया गया है जबकि नियमानुसार क्रय की गई सभी वस्तुओं का निरीक्षण विभागीय स्तर पर गठित निरीक्षण समिति द्वारा किया जाना अपेक्षित था एवं उसके उपरांत ही फर्म को क्रय किए गए सामान का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अतः इस चूक बारे स्पष्टीकरण देते हुए नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11) फर्म द्वारा निगम परिक्षेत्र में स्थापित किए गए पफ टॉइलेट्स हेतु किसी प्रकार की गारंटी /वारंटी प्रदान की गई है अथवा नहीं के संबंध में भी वांछित अभिलेख पड़ताल हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया , जिसे प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

12) नगर निगम द्वारा प्रस्तुत अभिलेख / उपलब्ध करवाई गई जानकारी अनुसार (28 x 14) के दो पफ टॉइलेट्स का बंटवारा करके उनके चार पफ टॉइलेट्स क्रमशः 20x14 +16x7 तथा 28x10 +16x7 बनाए गए हैं तथा फर्म को इस हेतु 28x14 के पफ टॉइलेट्स अनुसार भुगतान किया गया है किन्तु इस बारे में इन को विभाजित करके बनाने हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख पड़ताल हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में इनके विभाजन को नियमानुसार नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इन विभाजित पफ टॉइलेट्स में फर्म द्वारा 28x14 के पफ टॉइलेट्स हेतु निर्धारित पूरा सामान लगाया गया है अथवा नहीं के बारे में भी स्पष्ट नहीं हो सका। अतः इस संबंध में वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

13) नगर निगम द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार फर्म को केवल 28 नंबर पफ टॉइलेट्स (24 नंबर (28 x 14) व 4 नंबर (20 x 14)) का ही भुगतान किया गया है, जबकि फर्म को आपूर्ति आदेशों अनुसार 31 नंबर पफ टॉइलेट्स को स्थापित करने के आदेश दिए गए थे। अतः इस संबंध मे भी वस्तुस्थिति से अंकेक्षण दल को अवगत करवाया जाए कि शेष 3 नंबर पफ टॉइलेट्स फर्म ने स्थापित किए हैं अथवा नहीं।

14) फर्म द्वारा नगर निगम को दिए गए बिलों के अंकेक्षण में पाया गया कि फर्म द्वारा इन बिलों में स्थापित किए जाने वाले पफ टॉइलेट्स का सम्पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है। जिस से इस बात की पुष्टि की जा सके कि यह आपूर्ति आदेश एवं अनुबंध अनुसार थे। जिस बारे में निगम स्तर पर सम्पूर्ण जांच करते हुए अगर यह सबस्टैंडर्ड्स पाए जाते हैं तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित करते हुए अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए।

15) फर्म से किए गए अनुबंध की प्रतिलिपि भी जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका कि फर्म से अनुबंध किया गया था या नहीं एवं अनुबंध की शर्तें क्या थीं, जिसे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

16) GEM Portal में दिए गए बिड डाक्यमेन्ट (bid document) की शर्त अनुसार कार्य आवंटन उपरांत कोटेड सामान (quoted items) का पूर्व निरीक्षण फर्म के सर्विस सेंटर में किया जाना था "Pre inspection of quoted items at vendors service centre will be carried out after award". किन्तु उपलब्ध करवाए गए अभिलेख अनुसार यह नहीं किया गया है जिस बारे में भी तथ्यों से अवगत करवाया जाए।

17) नगर निगम द्वारा निगम परिक्षेत्र में स्थापित किए गए पफ टॉइलेट्स की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख भी वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी कि यह स्वीकृतियाँ प्राप्त की गई थीं अथवा नहीं । अतः इस से सम्बन्धित अभिलेख भी अविलंब अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

अंकेक्षण द्वारा यह मामला अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/066 दिनांक:30-06-2023 व पुनः अधियाचना संख्या : SAD/AC-V/083 दिनांक:12-07-2023 द्वारा माननीय आयुक्त, नगर निगम के ध्यान में लाया गया था तथा उनसे इस पर वांछित कार्यवाही करने व सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो कोई अभिलेख प्रस्तुत किए गए व न ही इन अंकेक्षण अधियाचनाओं का कोई प्रतिउत्तर दिया गया। अतः इन सभी अंकेक्षण आपत्तियों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

20 नगर निगम द्वारा माननीय महापौर, माननीय आयुक्त तथा संयुक्त आयुक्त हेतु क्रय वाहनों तथा उनके संचालन में पाई गई अनियमितताओं के संदर्भ में:-

प्रमुख सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :UD- A(1)3/2018 –loose दिनांक :08-06-2021 द्वारा नगर निगम, पालमपुर को माननीय महापौर, माननीय आयुक्त तथा संयुक्त आयुक्त हेतु तीन वाहन क्रय करने की अनुमति प्रदान की गई थी। इसकी अनुपालना में नगर निगम द्वारा GEM Portal के माध्यम से निम्न विवरणानुसार वाहन क्रय किए गए जोकि इन के अधिकृत विक्रेताओं द्वारा नगर निगम को उपलब्ध करवाए गए तथा इनका भुगतान वाउचर संख्या: 27 दिनांक: 10.08.2022 द्वारा राशि ₹31,37,163.00 किया गया :-

क्रम संख्या	वाहन का विवरण	फर्म का नाम	बिल संख्या व दिनांक	राशि (₹)
1	Mahindra Scorpio S72.2m Hawk 140 MH-2WD7S	Mahindra and Mahindra Ltd	IN01232700399255 dt. 31.05.2022	14,73,500.00
2	Maruti Ciaz Smart Hybrid Alpha	Maruti Suzuki India Ltd.	CIR4FZ200 P6TVDM3695161 Dt. 08.06.2022	9,56,394.51
3	Maruti Dezire Zxi	Maruti Suzuki India Ltd.	DRR4DZ100PCTVDH2 618039 dt. 02.06.2022	7,07,269.26
			Total	**3137163.00**

उक्त क्रय के अंकेक्षण में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई जिनका निराकरण अपेक्षित है:-

1) प्रमुख सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :UD- A(1)3/2018 –loose दिनांक : 08-06-2021 द्वारा दी गई स्वीकृति अनुसार नगर निगम द्वारा इन वाहनों के क्रय हेतु किया जाने वाला व्यय अपने स्तर पर किया जाना था संदर्भ हेतु इस को यहाँ पुनः उद्धृत किया जा रहा है :-

"The expenses on account of purchase of vehicles will be borne by the respective corporations at their own level and the procurement will be made through GEM Portal following all codal formalities"

किन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर निगम ने इन वाहनों का क्रय शहरी विकास विभाग द्वारा पत्र संख्या: UD-H(c)(10)-1/2020-5405-17 दिनांक: 23.-03.2021 द्वारा दिए गए अनुदान राशि ₹1,00,00,000.00 से किया था जोकि उपरोक्त पत्र द्वारा दी गई स्वीकृति के विपरीत है।

अतः इन वाहनों का क्रय करने हेतु किया जाने वाला व्यय अपने स्तर पर न करके शहरी विकास विभाग द्वारा प्रदत्त अनुदान से करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए या तो इस व्यय को उक्त अनुदान राशि से करने की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की जाए अन्यथा इस की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करने उपरांत इस अनुदान के खाते में जमा की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

2) अंकेक्षण में पाया गया कि नगर निगम ने इन वाहनों का क्रय माह 06/2022 में कर लिया था किन्तु इन वाहनों का उपयोग वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक यानि माह 03/2023 तक नहीं किया गया था क्योंकि नगर निगम द्वारा माह 03/2023 तक बाहरी स्त्रोत से माननीय महापौर व माननीय आयुक्त हेतु किराए पर लिए गए वाहनों के किराए का भुगतान किया गया है। अतः वाहन क्रय उपरांत भी इन्हे उपयोग में न लाए जाने के कारण एक ओर जहां नगर निगम निधि की अनावश्यक रुकावट हुई है वहीं दूसरी ओर किराए पर लिए गए वाहनों के किराए के भुगतान के रूप में निम्न विवरणानुसार निगम निधि राशि ₹7,22,295.00 (3,46,339.00+3,75,956.00) का दुरुपयोग हुआ है जिस बारे मे तथ्यों से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

माह	महापौर हेतु लिए गए वाहन का भुगतान		आयुक्त हेतु लिए गए वाहन का भुगतान		टिप्पणी
	वाउचर संख्या व दिनांक	राशि (₹)	वाउचर संख्या व दिनांक	राशि (₹)	
07/2022	17/06.08.22	38000.00	17/06.08.22	41500.00	
08/2022	19/08.09.22	42339.00	05/.02.09.22	41500.00	
09/2022	28/12.10.22	38000.00	03/.01.10.22	41750.00	
10/2022	03/01.11.22	38000.00	03/.01.11.22	41500.00	
11/2022	08/02.12.22	38000.00	03/.01.12.22	42000.00	

12/2022	03 /02.01.23	38000.00	03/.02.01.23	41750.00	
01/2023	10/02.02.23	38000.00	04/.01.02.23	41500.00	
02/2023	08/04.03.23	38000.00	08/04.03.23	42956.00	
03/2023	/04.2023	38000.00	/04.2023	41500.00	माह 04.23 का भुगतान अनुबंधित दरों पर लिया गया है।
		3,46,339.00		3,75,956.00	

3) नगर निगम द्वारा क्रय किए गए इन वाहनों की निरीक्षण रिपोर्ट भी पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि क्रय किए गए वाहन आपूर्ति आदेश अनुसार थे अथवा नहीं? अतः इन की निरीक्षण रिपोर्ट भी जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित की जाए।

4) इन सभी वाहनों की लॉग बुकस भी अंकेक्षण हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई हैं, जिन्हे भी आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

अंकेक्षण द्वारा यह मामला अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/064 दिनांक:17-06-2023 व पुनः अधियाचना संख्या क्रमशः : SAD/AC-V/067 दिनांक:30-06-2023 व SAD/AC-V/083 दिनांक:12-07-2023 द्वारा माननीय आयुक्त, नगर निगम के ध्यान में लाया गया था तथा उनसे इस पर अपेक्षित कार्यवाही करने का आग्रह किया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो कोई अभिलेख प्रस्तुत किए गए व न ही इन अंकेक्षण अधियाचनाओं का कोई प्रतिउत्तर दिया गया। अतः उपरोक्त वर्णित इन सभी अंकेक्षण आपत्तियों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

21 नगर निगम द्वारा निगम परिक्षेत्र में साफ – सफाई एवं घर घर कूड़ा कचरा संग्रहण हेतु आवंटित कार्य से संबंधित अभिलेख में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं के संदर्भ में:-

अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि नगर निगम द्वारा निगम परिक्षेत्र में साफ – सफाई एवं घर घर कूड़ा कचरा संग्रहण का कार्य तीन सेक्टर्स में विभाजित करके तथा निविदाएं आमंत्रित करके न्यूनतम दरों पर अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि हेतु निम्नलिखित को आवंटित किया गया था :-

क्रम संख्या	सेक्टर क्रम व वार्ड संख्या	फर्म का नाम	दर प्रति माह
1	सेक्टर-1 (वार्ड संख्या 1,2,3,4,5)	मेसर्ज ट्रीओटॉप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	7,03,000.00
2	सेक्टर-2 (वार्ड संख्या 6,7,8,9,10)	मेसर्ज एक्स्प्रेस हाउसकीपर प्राइवेट लिमिटेड	6,59,999.00
3	सेक्टर-3 (वार्ड संख्या 11,12,13,14,15)	मेसर्ज यश राज आल सर्विसेज़	6,39,999.00

इन के अंकेक्षण में निम्नलिखित विसंगतियाँ पाई गईं जिनका निराकरण अपेक्षित है:-

1) टेन्डर की क्रम संख्या 4 अनुसार सर्विस प्रोवाईडर द्वारा नगर निगम के साथ कार्य आबंटन के दस दिनों के भीतर अनुबंध किया जाना अपेक्षित था अन्यथा फर्म द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि जब्त करके अनुबंध को रद्द कर दिया जाना अपेक्षित था। किन्तु उक्त अनुबंध अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि नगर निगम द्वारा इन फ़र्मों के साथ अनुबंध किए गए थे अथवा नहीं?

2) टेन्डर की क्रम संख्या 10 अनुसार सर्विस प्रवाइडर द्वारा कार्य पर रखे गए कर्मचारियों के चिकित्सा प्रमाण पत्र नगर निगम के पास जमा करवाने थे जो कि नहीं किए गए हैं।

3) टेन्डर की क्रम संख्या 16 अनुसार सर्विस प्रोवाईडर द्वारा 30% कर्मचारी नगर निगम के पास रजिस्टर्ड MMSAGY लेबर में से रखे जाने थे किन्तु इस संबंध में कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख अनुसार तीनों सर्विस प्रोवाईडर द्वारा टेन्डर की इस शर्त का उल्लंघन करके 30% कर्मचारी MMSAGY लेबर में से नहीं रखे गए थे ।

4) टेन्डर की क्रम संख्या 19 अनुसार दोनों पक्षों को अनुबंध के ठीक कार्यान्वयन हेतु एक – एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाना था किन्तु ऐसा नहीं किया गया था।

5) कार्य आबंटन पत्र संख्या की शर्त क्रमांक 2 अनुसार सर्विस प्रोवाईडर द्वारा कार्य पर रखे गए कर्मचारियों के नाम तथा उनके आवास के प्रमाण पत्र उनकी फ़ोटो सहित नगर निगम, कार्यालय में जमा करवाने थे जोकि नहीं करवाए गए हैं।

6) कार्य आबंटन पत्र संख्या की शर्त क्रमांक 3 अनुसार सफाई का schedule व जॉब कार्ड नगर निगम के सफाई निरीक्षक द्वारा बनाया जाना था एवं सर्विस प्रोवाईडर द्वारा उसे प्रतिदिन हस्ताक्षरित किया जाना था किन्तु यह नहीं बनाया/ हस्ताक्षरित किया गया था।

7) सर्विस प्रोवाईडर द्वारा कार्य पर रखे गए कर्मचारियों की दैनिक हाजिरी को नगर निगम के किसी भी संबंधित कर्मचारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है, जिसके अभाव में उनके द्वारा कार्य पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या एवं उनकी दैनिक हाजिरी की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

8 क्रम संख्या 2 एवं 3 पर दर्शाए गए सर्विस प्रोवाईडर को निगम परिक्षेत्र में साफ – सफाई एवं घर घर कूड़ा कचरा संग्रहण हेतु 4-4 पिकअप जीपें उपलव्ध करवानी थीं, जिस हेतु उन्हे प्रतिमाह ₹35,000.00 प्रति जीप का भुगतान किया गया था। किन्तु उनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई पिकअप जीपों से संबंधित कोई भी अभिलेख न तो देय भुगतान के साथ संलग्न था एवं न ही यह अंकेक्षण में उपलव्ध करवाया गया जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि उनके द्वारा यह कार्य किया गया है अथवा नहीं? क्योंकि इनके उपलव्ध न करवाने की स्थिति में सर्विस प्रोवाईडर को देय राशि में से प्रति माह राशि ₹ 1,40,000.00 (35000x4) कटौती की जानी अपेक्षित थी तथा यह राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 33,60,000.00 (140000x 2x12) बनती है जिसकी कटौती भी नहीं की गई है।

9) क्रम संख्या 1 पर दर्शाए गए सर्विस प्रोवाईडर द्वारा उपलव्ध करवाई गई 5 जीपों का अभिलेख तो उपलव्ध है किन्तु उसे नगर निगम के किसी भी सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है, जिसके अभाव में इनकी सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

10) टेन्डर के Schedule of Work अनुसार सर्विस प्रोवाईडर द्वारा गीले कचरे से खाद बनाई जानी थी किन्तु अंकेक्षण में पड़ताल हेतु इस से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख जैसे की कितनी खाद बनाई गई, उसका स्टॉक रजिस्टर, उसकी बिक्री से सम्बन्धित अभिलेख, प्राप्त आय आदि पड़ताल हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में इस के दुरुपयोग/ दुर्विनियोजन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

11) नगर निगम द्वारा सर्विस प्रोवाईडर को कर्मचारियों के ई पी एफ के नियोक्ता अंशदान का भी भुगतान किया गया है तथा टेन्डर की सामान्य शर्त क्रमांक 2(VI) अनुसार उसके द्वारा इस अंशदान को सम्बन्धित कर्मचारियों के ई पी एफ खाते में जमा करवाने से सम्बन्धित अभिलेख हर महीने की 20 तारीख /आगामी बिल के साथ नगर निगम के पास जमा करवाना था ताकि उसके द्वारा कर्मचारियों के जमा करवाए गए अंशदान की पुष्टि हो सके, किन्तु उनके द्वारा केवल कुल जमा करवाए गए अंशदान का विवरण दिया गया है तथा कर्मचारी बार जमा करवाए गए नियोक्ता अंशदान का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण जमा कराए गए अंशदान की पुष्टि नहीं की जा सकी।

12) टेन्डर की सामान्य शर्त क्रमांक 2 (IV व V) अनुसार सर्विस प्रोवाईडर को कार्य पर रखे गए कर्मचारियों को किए गए भुगतान का सम्पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में रखना था तथा उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उस में की गई प्रविष्टियों के सत्यापन्न हेतु एक प्रमाण पत्र दिया जाना था किन्तु इस से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिस से कर्मचारियों को किए गए भुगतान की वास्तविकता की पड़ताल नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण द्वारा यह मामला अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/062 दिनांक:17-06-2023 व पुनः अधियाचना संख्या क्रमशः : SAD/AC-V/067 दिनांक:30-06-2023 व SAD/AC-V/083 दिनांक:12-07-2023 द्वारा माननीय आयुक्त, नगर निगम के ध्यान में लाया गया था तथा उनसे इस पर अपेक्षित कार्यवाही करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो कोई अभिलेख प्रस्तुत किए गए व न ही इन अंकेक्षण अधियाचनाओं का कोई प्रतिउत्तर दिया गया। अतः उपरोक्त वर्णित इन सभी अंकेक्षण आपत्तियों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

22 जलापूर्ति आदि हेतु किये गये भुगतान ₹19.03 लाख से सम्बंधित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने व स्त्रोत पर वस्तु एवं सेवाकर की कटौती ₹ 0.35 लाख न करने बारे ।

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि नगर निगम द्वारा श्री संजीव कुमार, ठेकेदार, निवासी कनेड, डाकघर घियाना, तहसील धर्मशाला को नगर निगम के वार्ड 2 एवं 3 (पुराने नगर परिषद क्षेत्र) में जलापूर्ति आदि का कार्य ठेके पर दिया गया था तथा उन्हे वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्न विवरणानुसार **₹19,02,744.00** भुगतान किया गया है:-

क्रम संख्या	माह	वाउचर संख्या व दिनांक	कुल भुगतान (₹)	स्त्रोत पर की गई आयकर कटौती (₹)	स्त्रोत पर की गई वस्तु एवं सेवाकर कटौती (₹)	किया गया भुगतान (₹)
1	**04/2022**	12/ 08.04.2022	158562.00	4757	0	153805.00
2	**05/2022**	41/ 30.05.2022	158562.00	3171	0	155391.00
3	**06/2022**	30/ 17.06.2022	158562.00	3171	3172	152219.00
4	07/2022	20/ 07.07.2022	158562.00	3171	0	155391.00
5	08/2022	24/ 10.08.2022	158562.00	3171	0	155391.00
6	09/2022	23/ 14.09.2022	158562.00	1586	0	156976.00
7	10/2022	18/11.10.2022	158562.00	1586	0	156976.00
8	11/2022	28/16.11.2022	158562.00	1586	0	156976.00
9	12/2022	15/06.12.2022	158562.00	1586	0	156976 .00
10	01/2023	16/09.01.2023	158562.00	1586	0	156976.00
11	02/2023	23/06.02.2023	158562.00	1586	0	156976.00
12	03/2023	24/14.03.2023	158562.00	1586	0	156976.00
योग			1902744.00	28543	3172	1871029.00

किन्तु नगर निगम द्वारा अपने परिक्षेत्र में जलापूर्ति आदि का कार्य ठेके पर देने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख जैसे कि टेन्डर फाइल, तुलनात्मक विवरण, कार्य आदेश, अनुबंध पत्र, अनुबंध की शर्तों आदि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए । जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी कि उक्त वर्णित कार्य हेतु ठेकेदार को वास्तव में कितना भुगतान किया जाना था तथा उनके द्वारा कितने लोगों को इस कार्य हेतु रखा जाना था । जिसके अभाव में उक्त अवधि में किए गए भुगतान को नियमानुसार नहीं ठहराया जा सकता है।

इस के अतिरिक्त उक्त ठेकेदार की वित्तीय वर्ष में किये गये भुगतान पर नियमानुसार स्त्रोत पर वस्तु एवं सेवाकर 2% की दर से ₹38,055.00 की कटौती के स्थान पर केवल ₹3,172.00 की ही

कटौती की गई है तथा शेष स्त्रोत पर वस्तु एवं सेवाकर की कटौती ₹34,883.00 की कटौती की जानी अपेक्षित थी, जो वास्तव में नहीं की गई है।

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/050 दिनांक:12-06-2023 द्वारा आयुक्त महोदय से मामला उठाते हुए उनसे संबंधित अभिलेख उपलब्ध करवाने व स्त्रोत पर वस्तु एवं सेवाकर की कम कटौती की गई राशि की वसूली करने हेतु कहा गया था किन्तु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न होने पर पुनः अधियाचना संख्या : SAD/AC-V/067 दिनांक:30-06-2023 द्वारा उनसे आग्रह किया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो कोई अभिलेख प्रस्तुत किए गए व न ही इन अंकेक्षण अधियाचनाओं का कोई प्रतिउत्तर दिया गया। अतः उपरोक्त वर्णित अंकेक्षण आपत्तियों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

23 स्त्रोत पर आयकर ₹1.45 लाख व स्त्रोत पर वस्तु एवं सेवाकर ₹1.40 लाख की कटौती न करना :-

नगर निगम, पालमपुर द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को निम्नलिखित विवरण अनुसार भुगतान किया गया था, लेकिन अंकेक्षण अवधि के दौरान इन से स्त्रोत पर आय कर ₹1,45,199.00 व स्त्रोत पर वस्तु एवं सेवाकर ₹1,40,069.00 की कटौती नहीं की गई थी।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष में किया गया भुगतान (₹)	भुगतान का प्रकार	फर्म/व्यक्ति का नाम	स्त्रोत पर काटे जाने वाली आयकर की राशि (₹)	स्त्रोत पर देय वस्तु एवं सेवाकर की राशि (₹) (G.S.T. Rule 2017)	विस्तृत विवरण
01.	**501956.00**	**आयुक्त नगर निगम पालमपुर हेतु किराए पर ली गई गाड़ी के किराए का भुगतान**	**श्री राम सरन टूर एंड ट्रेवल्स भुआना**	**10039**	**10039**	**परिशिष्ट-11 के क्रम संख्या:01 में वर्णित**
02.	**565829.00**	**माननीय महापौर नगर निगम पालमपुर**	**मैं०बंटी टूर एंड ट्रेवल्स पालमपुर**	**11317**	**11317**	**परिशिष्ट-11 के क्रम संख्या:02**

		हेतु किराए पर ली गई गाड़ी के किराए का भुगतान				में वर्णित
03.	142400.00	सपुंक्त आयुक्त नगर निगम पालमपुर हेतु किराए पर ली गई गाड़ी के किराए का भुगतान	मै० यश टूर एंड ट्रेवल्स भवारना	2848	2848	परिशिष्ट-11 के क्रम संख्या:03 में वर्णित
04.	753922.00	बाहरी स्त्रोत से नियुक्त स्टाफ को किये गये मासिक वेतन का भुगतान	हि० प्र० राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम	15078	15078	परिशिष्ट-11 के क्रम संख्या:04 में वर्णित
05.	1517954.00	बाहरी स्त्रोत से नियुक्त स्टाफ को किये गये मासिक वेतन का भुगतान	NIELIT शिमला	30359	30359	परिशिष्ट-अ के क्रम संख्या:05 में वर्णित
06.	134009.00	बाहरी स्त्रोत से नियुक्त स्टाफ को किये गये मासिक वेतन का भुगतान	मेसर्ज वी. ईगल सिक्युरिटी सर्विस शिमला	2680	2680	परिशिष्ट-11 के क्रम संख्या:06 में वर्णित
07.	289507.00	बाहरी स्त्रोत से नियुक्त स्टाफ को किये गये मासिक वेतन का भुगतान	मै० सरस्वती डॉट कॉम प्र० लि० कसुम्पटी	5790	5790	परिशिष्ट-11 के क्रम संख्या:07 में वर्णित
08.	3610846.00	सोलर लाइट्स की मुरम्मत का भुगतान व अन्य भुगतान जिनका	मै० ग्रीन ऐज इंडिया रिसोर्सेज प्रा० लि०	67088	61958	परिशिष्ट-11 के क्रम संख्या:08 में वर्णित

		स्त्रोत पर आयकर एवं सेवाकर की कटौती नहीं की गई है	बरेली उत्तर प्रदेश व मै० doloratz प्रा० लि०			
कुल योग				145199	140069	

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (सी) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति, संविदाकार अथवा फर्म को किये गए ₹30000.00 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹100000.00 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से स्त्रोत पर आय कर की कटौती की जानी अपेक्षित है तथा साथ ही नियमानुसार स्त्रोत पर वस्तु एवं सेवाकर की कटौती की जानी अपेक्षित थी, जोकि उपरोक्त विवरणानुसार नहीं की गई थी। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/057 दिनांक:14-06-2023 द्वारा नगर निगम को स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था किन्तु कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अत: आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्रावधानों के अनुसार स्त्रोत पर आय कर की कटौती व नियमानुसार वस्तु एवं सेवाकर की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मों व व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

24 नगर निगम द्वारा कटौती करने उपरांत सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाई गई श्रम उपकर राशि ₹7.44 लाख को अंकेक्षण के दौरान जमा करवाने के संदर्भ में :-

नगर निगम द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना में पड़ताल अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में नगर निगम द्वारा विभिन्न सविंदाकारों के बिलों से कुल ₹7,93,694.00 के श्रमकर की कटौती की गई थी। लेकिन निगम द्वारा वित्तीय वर्ष में सम्पूर्ण राशि ₹7,93,694.00 को सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं करवाया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। श्रम उपकर की इस राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाने बारे मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/058 दिनांक:14-06-2023 द्वारा आयुक्त, नगर निगम से उठाया गया था तथा उनसे इस राशि को जमा करवा करके अनुपालना सी अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या: एम सी पी /2023-2237 दिनांक:04-07-2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गए कि इस राशि को पत्र संख्या 2222/MCP/2023 दिनांक 04-07-2023 को सम्बन्धित विभाग को

भेज दिया गया है, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा सम्बन्धित बैंक खाते से कर ली गई है। यधपि अंकेक्षण के आपत्ति उठाने पर इस राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करवा दिया गया है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान की जाए व इस प्रकार के मामले में नियमानुसार कार्यवाई करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

नगर निगम द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार प्रति माह काटे गए श्रम उपकर का विवरण:-

क्रम संख्या	माह	श्रम उपकर की कटौती की राशि (₹)
1	अप्रैल 2022	20076.00
2	मई 2022	16341.00
3	जून 2022	21428.00
4	जुलाई 2022	303.00
5	अगस्त 2022	178869.00
6	सितम्बर 2022	60612.00
7	अक्तूबर 2022	172045.00
8	नवम्बर 2022	80469.00
9	दिसम्बर 2022	40759.00
10	जनवरी 2023	5520.00
11	फरवरी 2023	83992.00
12	मार्च 2023	63599.00
	योग	**744013.00**

इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार कुल ₹2039.00 के श्रम उपकार की सविंदाकारों के बिलों से कटौती नहीं की गई थी, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	व्यय वाउचर संख्या/दिनांक	फर्म /व्यक्ति का नाम	भुगतान का प्रकार	भुगतान की गई राशि	स्त्रोत पर देय श्रम उपकर की राशि(₹)
1	2022.23	31/17.06.22	श्री कमल जीत	विकास कार्य	124511.00	1245.00
2		31/17.06.22	श्री कमल जीत	विकास कार्य	79354.00	794.00
					कुल योग	**2039.00**

25 नगर निगम द्वारा किराए पर लिए गए वाहनों के संचालन में पाई गई विभिन्न विसंगतियों के संदर्भ में :-

नगर निगम द्वारा निगम के महापौर, आयुक्त एवं संयुक्त आयुक्त हेतु निविदाएं आमंत्रित करके वाहन किराये पर लिए गए थे। सम्बन्धित वाहनों की लॉग बुकस एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईं:

1. अनुबंध के क्रम संख्या 3 अनुसार गाड़ी की लॉग बुक (वाहन संख्या **HP01D.4515)** चालक द्वारा भरी जानी थी एवं गाड़ी प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा उसे सत्यापित किया जाना था किन्तु माह 05/2022 से 02/2023 तक की लॉग बुक को सत्यापित नहीं किया गया है तथा इस अवधि में किराए पर ली गई गाड़ी द्वारा कुल 10014 किलोमीटर की दूरी तय की गई है (**परिशिष्ट - 12**) **।** जिस हेतु नगर निगम द्वारा सम्बन्धित फर्म को ₹3,84,339.00 का भुगतान किया गया है **।** उक्त अवधि में कि गई यात्रा को सत्यापित न करने की दशा में गाड़ी का प्रयोग एवं उस हेतु किए गए भुगतान को नियमानुसार सही नहीं ठहराया जा सकता है। अतः इस संदर्भ में वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

2. माह 01/2023 की अंतिम मीटर रीडिंग **153594** (लॉग बुक पेज 35) (वाहन संख्या **HP01D.4515)** थी एवं माह 02/2023 की प्रारम्भिक मीटर रीडिंग **153994** (लॉग बुक पेज 035) थी । इस प्रकार प्रारम्भिक एवं अंतिम मीटर रीडिंग में 400 किलोमीटर का अन्तर था, जिस बारे में भी सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत कराया जाए अन्यथा इस 400 किलोमीटर की वसूली ₹14.56 प्रति किलोमीटर की दर से कुल राशि ₹5824.00 उचित स्त्रोत से करने उपरांत नगर निगम खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

3. लॉग बुक (वाहन संख्या **HP01D.4515)** पेज क्रमांक 37 अनुसार दिनांक 07.03.2023 को अंतिम मीटर रीडिंग 154681 थी तथा दिनांक 08.03.2023 से दिनांक 14.03.2023 तक की लॉग बुक खाली है तदोपरांत दिनांक 15.03.2023 की प्रारम्भिक मीटर रीडिंग 154791 भरी गई है। अतः इस अंतर बारे तथ्यों से अवगत कराया जाए अन्यथा इस 110 किलोमीटर की वसूली ₹14.56 प्रति किलोमीटर की दर से कुल राशि ₹1602.00 उचित स्त्रोत से वसूल करके नगर निगम खाते में जमा कराई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

4. माह 04/2022 की अंतिम मीटर रीडिंग **434149** (लॉग बुक पेज 012) (वाहन संख्या **HP01D.4515)** थी एवं माह 05/2022 की प्रारम्भिक मीटर रीडिंग **433947** (लॉग बुक पेज 013) ली गई थी। इस प्रकार 202 किलोमीटर की दूरी का संविदाकार को दो बार भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिस बारे भी सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत कराया जाए अन्यथा इस 202 किलोमीटर की वसूली ₹14.56 प्रति किलोमीटर की दर से कुल राशि ₹2941.00 सम्बन्धित से करने उपरांत नगर निगम खाते में जमा कराई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

5. दिनांक 29.04.2022 से 30.04.2022 तक 513 किलोमीटर की यात्रा भरमात (पालमपुर) से चंबा एवं वापसी पालमपुर की दर्शाई गई है किन्तु लॉग बुक (वाहन संख्या **HP01D.4515)** में यात्रा का उद्देश्य नहीं दर्शाया गया है। अतः इस बारे मे भी तथ्यों सहित अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा 513 किलोमीटर की वसूली ₹14.56 प्रति किलोमीटर की दर से कुल राशि ₹7469.00 उचित स्त्रोत से करने उपरांत नगर निगम खाते में जमा कराई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

6. हि० प्र० सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय पत्र संख्या जी ० ए ० डी ० –(जी ०) 3.5/77 दिनांक 08.12.1977 जिसे समय.समय पर ध्यान में लाया गया है, के अनुसार सरकारी वाहनों में यात्रा का उदेश्य स्पष्ट होना चाहिए व केवल **Official/Local** शब्द लिख कर दर्शाना पर्याप्त नहीं होगा अन्यथा इस प्रकार की यात्रा को निजी यात्रा माना जाएगा। नगर निगम द्वारा किराए पर लिए गए वाहन संख्या: **HP01D.4515** कि लॉग बुक का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अवधि 01.04.22 से 31.03.23 तक निम्न विवरणानुसार वाहन में अधिकतर यात्रा के उद्देश्य का स्पष्ट विवरण न लिख कर केवल **Official** दर्शाया गया था, जोकि उक्त निर्देशों कि अवहेलना है। अतः इस बारे में तथ्यों सहित अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा 5775 किलोमीटर की वसूली ₹14.56 प्रति किलोमीटर की दर से कुल राशि ₹84,084.00 उचित स्त्रोत

से करने उपरांत नगर निगम खाते में जमा कराई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

Month of Journey	Kms Covered	Purpose mentioned in the Log Book	Amount of journey @ Rs.14.56 per KM
June, 2022	765 Kms	Official	11138
July, 2022	885 Kms	Official	12886
August, 2022	798 Kms	Official	11619
September, 2022	510 Kms	Official	7426
October,2022	399 Kms	Official	5809
November, 20202	510 Kms	Official	7426
December, 2022	588 Kms	Official	8561
January, 2023	450 Kms	Official	6552
Febuary, 2023	300 Kms	Official	4368
March, 2023	570 Kms	Official	8299
		Total	84084

7. अनुबंध में वर्णित शर्त संख्या: 05 के अनुसार, अगर किसी माह में गाड़ी 1500 किलोमीटर से कम चलती है तो शेष किलोमीटर को आगामी एक माह में 1500 किलोमीटर से अधिक तय दूरी में समायोजित किया जा सकता है। अंकेक्षण में पाया गया कि माह 03.2022 में गाड़ी (वाहन संख्या **HP01D.4515)** ने 1078 किलोमीटर की दूरी तय की थी जोकि निर्धारित सीमा से 422 किलोमीटर कम थी एवं माह 04.2022 में गाड़ी ने 2157 किलोमीटर की दूरी तय की थी जो कि 1500 किलोमीटर से 657 किलोमीटर अधिक थी। इस प्रकार माह 04.2022 में कुल अधिक तय दूरी में से पिछले माह कम तय दूरी 422 किलोमीटर का समायोजन किया जाना अपेक्षित था किन्तु इस दूरी का समायोजन न करके संविदाकार को पूरे 657 अधिक किलोमीटर का भुगतान कर दिया गया था एवं इस प्रकार उन्हे राशि ₹6144.00 (422 x 14.56) का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सम्बन्धित से करके नगर निगम खाते में जमा कराई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

8. अनुबंध के क्रम संख्या 23 अनुसार वाहन मालिक को गाड़ी नगर निगम के निर्देशानुसार सभी प्रकार के रास्तों में तथा हिमाचल के अंदर व बाहर ले जानी होगी एवं अनुबंध के क्रम

संख्या 25 अनुसार ब्रेक डाउन की स्थिति में उन्हे वाहन का विकल्प उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हे ₹1000.00 प्रतिदिन की दर से पेनल्टी देनी होगी तथा अपरिहार्य कारणों से अगर वाहन मालिक वाहन का विकल्प उपलब्ध नहीं करवा पाता है तो उसे उस दिन का भुगतान नहीं किया जाएगा। अनुबंध की क्रम संख्या 23 व 25 को यहाँ पुनः उद्धृत किया जा रहा है:.

Condition 23:. **The vehicle shall be plied on all kinds of routes within and outside Himachal Pradesh including rough and tough.**

Condition 25:. In case of any breakdown the contractor will provide substitute immediately otherwise penalty of Rupees 1000.00 per day will be imposed and the recovery of this effect will be made from the monthly running bill. In case the contractor fails to provide the vehicle within the scheduled time due to reasons beyond his control or due to the force measure no penalty shall be imposed. However, the payment for these days shall not be made by the department.

अंकेक्षण में पाया गया कि वाहन मालिक (**HP01D.4515)** को दिनांक 09.03.2023 से 12.03.2023 तक महापौर के साथ दिल्ली जाने के आदेश दिए गए थे किन्तु उन्होंने अपने पत्र द्वारा जाने में असमर्थता दर्शाई थी तथा अनुबंध के प्रावधानों अनुसार उनसे या तो पेनल्टी ली जानी अपेक्षित थी अन्यथा उन्हे इस अवधि का भुगतान नहीं किया जाना था किन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि उनके बिल से कोई भी कटौती नहीं की गई है। अतः इस बारे में तथ्यों से अवगत कराया जाए या उनसे दिनांक 09.03.2023 से 14.03.2023 तक कुल 6 दिनों (वाहन की लॉग बुक अनुसार वाहन 6 दिन नहीं चला है) की राशि ₹7355.00 (38000/31) की वसूली की जाए।

इसी प्रकार वाहन संख्या **HP01D.6372** के वाहन मालिक द्वारा वाहन की मुरम्मत हेतु दिनांक 17.09.2022 से 20.09.2022, 12.11.2022 से 14.11.2022 तथा 31.01.2023 को वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया था तथा न ही वाहन का विकल्प उपलब्ध कराया गया था जिस हेतु वाहन मालिक को अनुबंध के क्रम संख्या 25 अनुसार इन दिनांकों का भुगतान देय नहीं था जो कि उन्हे कर दिया गया था। अतः इन अवधियों की राशि ₹11,022.00 (5533+4150+1339) भी सम्बन्धित से वसूल करके नगर निगम खाते में जमा कराई जाए।

9. शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा नगर निगम के माननीय महापौर को नगर निगम / प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं से बाहर वाहन को ले जाने अथवा यात्रा करने हेतु प्राधिकृत किया गया है अथवा नहीं ? इस बारे अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए क्योंकि कुछ मामलों में माननीय महापौर द्वारा नगर निगम परिक्षेत्र से बाहर भी वाहन द्वारा यात्रा की गई है।

अंकेक्षण द्वारा क्रम संख्या 1 से 9 में वर्णित इन अनियमितताओं बारे अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/054 दिनांक:12-06-2023 द्वारा नगर निगम को स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था किन्तु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न होने पर पुनः अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/067 दिनांक: 30-06-2023 द्वारा आग्रह किया गया था किन्तु अंकेक्षण प्रतिवेदन के प्रारूपण तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इन सभी अनियमितताओं को या तो नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा इस समस्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

26 नगर निगम परिक्षेत्र में घर घर कूड़ा कचरा संग्रहण के उपयोक्ता प्रभारों की वसूली हेतु 10% की दर से किए गए भुगतान राशि ₹0.80 लाख में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं के संदर्भ में :-

नगर निगम के चनायित माह के अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि वाउचर संख्या 25 दिनांक 10.08.2022 द्वारा राशि ₹79,706.00 का भुगतान (कुल वसूल की गई राशि का 10% की दर से) नगर निगम परिक्षेत्र में घर घर कूड़ा कचरा संग्रहण के उपयोक्ता प्रभारों की वसूली हेतु निम्नवर्णित व्यक्तियों को माह जून,2022 व जुलाई,2022 हेतु किया दर्शाया गया है तथा इस संबंध में माननीय आयुक्त महोदय द्वारा वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है किन्तु इस के संबंध में केवल घर घर कूड़ा कचरा संग्रहण के उपयोक्ता प्रभारों की वसूली करने वाले व्यक्तियों द्वारा दी गई सूचना उनके द्वारा प्रस्तुत बिलों / आवेदनों को ही आधार बनाया गया है एवं इस बात की पुष्टि/ सत्यापत्र नगर निगम के सम्बन्धित कर्मचारी/ उनसे पैसा प्राप्त करने वाले कर्मचारी द्वारा नहीं की गई है। जबकि वास्तव में उनके द्वारा निगम में जमा करवाई गई राशि का सम्पूर्ण विवरण जैसे कि रसीद संख्या, दिनांक, जमा करवाई गई राशि आदि तथा सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उसका सत्यापत्र करने उपरांत ही उन्हे भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	माह का नाम	कुल जमा दर्शाई गई राशि	10% की दर से किया गया भुगतान (₹)
1	सुनील कुमार डोगरा	जून, 2022	33950.00	3395.00

		जुलाई, 2022	49150.00	4915.00
2	आद्या स्वयं सहायता समूह	जून, 2022	103370.00	10337.00
		जुलाई, 2022	109470.00	10947.00
3	साहिल पठानिया	जून, 2022	60250.00	6025.00
		जुलाई, 2022	115400.00	11540.00
4	प्रदीप ठाकुर	जून, 2022	23330.00	2333.00
		जुलाई, 2022	55240.00	5524.00
5	गंगा रानी	जून, 2022	38400.00	3840.00
		जुलाई, 2022	23750.00	2375.00
6	आशीष शर्मा	जून, 2022	50950.00	5095.00
		जुलाई, 2022	133800.00	13380.00
		योग	**797060.00**	**79706.00**

इन अनियमितताओं बारे अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/063 दिनांक:17-06-2023 द्वारा नगर निगम को स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था किन्तु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न होने पर पुनः अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/067 दिनांक: 30-06-2023 द्वारा आग्रह किया गया था किन्तु निगम से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः बिना सम्बन्धित कर्मचारी के सत्यापन्न के किए गए भुगतान को नियमानुसार एवं उचित नहीं ठहराया जा सकता है, जिस बारे में वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुए उनके द्वारा की गई कुल वसूली से सम्बन्धित अभिलेख जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ताकि उक्त किए गए भुगतान की तदानुसार पड़ताल की जा सके।

27 चयनित माह में किए गए निर्माण कार्यों के भुगतान राशि ₹47.12 लाख से सम्बन्धित प्रशासनिक स्वीकृतियाँ जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के संदर्भ में :-

नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के चयनित माह में निम्नलिखित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित राशि ₹4712832.00 का भुगतान विभिन्न संविदाकारों को किया गया है, किन्तु इन निर्माण कार्यों की सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृतियों से सम्बन्धित अभिलेख वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिस के अभाव में इस बात की पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी

कि इन निर्माण कार्यों हेतु नगर निगम द्वारा सक्षम प्राधिकारी से यह स्वीकृतियाँ प्राप्त की गई थीं अथवा नहीं?

अंकेक्षण द्वारा इन प्रशासनिक स्वीकृतियों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने बारे मामला अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/074 दिनांक:10-07-2023 व पुनः अधियाचना संख्या : SAD/AC-V/083 दिनांक:12-07-2023 द्वारा आयुक्त, नगर निगम के ध्यान में लाया गया था तथा उनसे वांछित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो यह अभिलेख प्रस्तुत किए गए व न ही इन अंकेक्षण अधियाचनाओं का कोई उत्तर दिया गया।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	09/03.08.22	Repair of gas store at Lohna Ward 1	68337.00
2	09/03.08.22	Repair of Holi Kala Munch	22720.00
3	10 /03.08.22	C/o Pucaa Path along the retaining wall from Sh. Malkiat Singh House towards Sh. Onkar Singh House	84156.00
4	19/06.08.22	C/o Road from Captain Sourabh Kalia house to Shingaaria house in ward 4	26350.00 2
5	26/10.08.22	C/O Drain and collection of waste at S.W.M. Aima in ward 4	102375.00
6	29/10.08.22	C/O Path from Santoshi Mata Temple to Rajesh house in ward 4	98443.00
7	30/10.08.22	C/O Path from Shrotri hose to Ishwar das house in ward 4	101357.00
8	31/10.08.22	P/F of interlocking pavers block from link road towards Bhangalia house in ward 4	94505.00
9	32/10.08.22	C/O Retaining wall and drain work upper Balmiki Mandir near Ram Chowk in ward 2	251974.00
10	33/10.08.22	C/O jeepable road from Sanjay Rathore land to Rakesh in ward 5	44811.00

11	34/10.08.22	P/F of interlocking pavers block near Vijay mehra house to tikaa har in ward 1	62377.00
12	35/10.08.22	Repair of Solar Lights (old)in M.C. Area	13971.00
13	42/17.08.22	P/f roofing in Vikas parishad palampur	78760.00
14	43(1) /17.08.22	P/F of interlocking pavers block from Dhruv house to Alok house in ward 14	99262.00
15	43(2) /17.08.22	P/F of interlocking pavers block near Parinay hall in ward 14	93343.00
16	43(3) /17.08.22	C/O Path /Road near Pariyan (Tile work) in ward 14	104922.00
17	43(4) /17.08.22	P/F of interlocking pavers block in Friends Colony in ward 14	94414.00
18	49/22.08.22	Balance work of Path from Senior Secondary School Bundla to Ramesh Patwaari House in ward 1	90907.00
19	51/22.08.22	C/O Retaining wall near house of Gurmeet Kumar and other in Nallah Road ward 9	423942.00
20	53/23.08.22	P/F One number High Mast 16 Mtr. Pole with 6 nos. LED Flood lights at Banuri ward 14	512946.00
21	54/23.08.22	P/F Tubular type Retroreflective overhead signage board on NH near Mount Carmel School	745555.00
22	54/23.08.22	P/F Tubular type Retroreflective overhead signage board on NH Banuri	745555.00
23	61/29.08.22	Widening of road near Majer SomNath Prtima palampur	127835.00
24	61/29.08.22	C/O Drain from Thakur Durga Das house towards Masjid in ward 5	176866.00
25	61(7)/ 29.08.22	C/O Path from main road to Arvind house in ward 5	97416.00
26	61(6)/ 29.08.22	C/O Path from main road to Pavnesh house in ward 5	64514.00
27	61(5)/ 29.08.22	C/O Path from main road to Jagtamba Parsaad house in ward 4	88486.00
28	61(3)/	P/F of interlocking pavers block from house of	100980.00

	29.08.22	Vikram to Vinod in in ward 5	
29	61(4)/ 29.08.22	P/F of interlocking pavers block from house of Vinod Sharma to Poonam in ward 5	95753.00
		Total	**4712832.00**

अतः उपरोक्त वर्णित इन निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृतियों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ताकि इनकी तदानुसार पड़ताल की जा सके।

28 नगर निगम में सम्मिलित की गई पंचायतों के लम्बित भुगतान राशि ₹7.63 लाख से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के संदर्भ में :-

नगर निगम, पालमपुर के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2023 तक के अंकेक्षण में चयनित माह के अभिलेख में पाया गया कि नगर निगम द्वारा निम्न विवरणानुसार राशि ₹7,62,768.00 का भुगतान नव निर्मित नगर निगम में सम्मिलित की गई ग्राम पंचायतों बिन्दराबन व खलेट के पुराने लम्बित बिलों (पंचायत के समय) का किया गया दर्शाया गया था, किन्तु इन भुगतानों के समर्थन में कोई भी वांछित अभिलेख जैसे कि फर्म के बिल, भुगतान की अवधि, निविदाएं, कार्य का विवरण जिस हेतु भुगतान किया गया, मस्ट्रोल, सम्बन्धित भुगतान हेतु सम्मिलित पंचायत अथवा खंड विकास अधिकारी से प्राप्त आवेदन/ पत्राचार की प्रतिलिपि आदि इन वाउचर के साथ संलग्न नहीं थी।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या व दिनांक	भुगतान जिसे किया गया	भुगतान जिस हेतु किया गया	राशि	टिप्पणी
1	56 / 24-08-2022	मेसर्ज सुरेश कन्स्ट्रक्शन , मैनझा	कन्स्ट्रक्शन मटीरीअल हेतु	3,75,016.00	
2	56 / 24-08-2022	मेसर्ज सैनी मकेनिकल वर्क्स, देहन	एम एस स्केर पाइप	29,746.00	
3	56 / 24-08-2022	सर्व श्री मिलखी राम, रजनीश कुमार,	लेबर का भुगतान	11,170.00	

		नीलम, रजत कुमार			
4	57 / 24-08-2022	मेसर्ज शर्मा ट्रैडर, ठाकुरद्वारा	विकासात्मक कार्य हेतु मटेरियल का क्रय	17,912.00	
5	57 / 24-08-2022	श्री नरिंदेर ठाकुर, ठाकुरद्वारा	विकासात्मक कार्य हेतु मटेरियल का क्रय	41,622.00	
6	57 / 24-08-2022	श्री रोहित जंवाल, मारंदा	विभिन्न सामग्री का क्रय	1,13,662.00	
7	57 / 24-08-2022	श्री कल्याण सिंह , खलेट	लेबर का भुगतान	1,73,640.00	
			योग	**7,62,768.00**	

अंकेक्षण द्वारा यह मामला अधियाचना संख्या : SAD/AC-V/081 दिनांक:10-07-2023 व पुनः अधियाचना संख्या : SAD/AC-V/083 दिनांक:12-07-2023 द्वारा आयुक्त, नगर निगम के ध्यान में लाया गया था तथा उनसे इन वाउचर द्वारा किए गए व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो यह अभिलेख प्रस्तुत किए गए व न ही इन अंकेक्षण अधियाचनाओं का कोई उत्तर दिया गया।

किसी भी प्रकार के सहकारी दस्तावेजों (Supporting Documents) के इन भुगतान वाउचर के साथ संलग्न न होने के कारण इस बात की पड़ताल वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी कि यह भुगतान वास्तव में देय थे अथवा नहीं एवं अगर यदि यह देय थे तो कितना भुगतान देय था?

अतः नगर निगम द्वारा किए गए इन भुगतानों के समर्थन में वांछित अभिलेख अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किए जाएं ताकि तदानुसार उनका अंकेक्षण किया जा सके।

29 लोक संपर्क विभाग हि० प्र० के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्रों में छपवाए गये विज्ञापनों हेतु किये गये भुगतानों से 15% कमीशन की कटौती न करके सरकारी राजस्व से ₹0.35 लाख का अधिक भुगतान करने के संदर्भ में :-

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: 2006/01-15 Pub 92-14263 दिनांक 30.08.2006 व पत्र संख्या 1-PR-H (F)-4(APP)/2013 में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्त विभागों, बोर्ड व कारपोरेशन द्वारा सभी प्रकार के विज्ञापन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से छपवाए जाने आवश्यक हैं तथा विज्ञापन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से न छपवाए जाने की स्थिति में विज्ञापन हेतु भुगतान की जाने वाली राशि में से 15% कमीशन के रूप में कटौती करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय शीर्षक-300-60-220 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2023 के दौरान विभिन्न व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि नगर निगम, पालमपुर द्वारा विज्ञापन छपवाने हेतु निम्न विवरणानुसार ₹2,34,492.00 का भुगतान विभिन्न फर्मों को किया गया था तथा यह राशि सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से व्यय नहीं की गयी थी, जोकि सरकार के उक्त निर्देशों के प्रतिकूल है जिसके कारण 15% की दर से कमीशन के रूप में ₹35,174.00 (234492X 15%) **का अधिक भुगतान किया गया है तथा** हिमाचल प्रदेश सरकार को परोक्ष रूप से हानि हुई है, **क्योंकि अगर यह विज्ञापन सम्बन्धित विभाग के माध्यम से दिए जाते तो इस राशि की बचत की जा सकती थी** । अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित विभाग के माध्यम से विज्ञापन न देकर सीधे तौर पर देने का मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/051 दिनांक:12-06-2023 द्वारा आयुक्त, नगर निगम से उठाया गया था तथा कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न होने पर पुनः अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/067 दिनांक:30-06-2023 द्वारा उनसे आग्रह किया गया था किन्तु अंकेक्षण को कोई भी उत्तर नगर निगम द्वारा नहीं दिया गया। अतः 15% कमीशन के रूप में ₹35,174.00 की हिमाचल प्रदेश सरकार को हुई राजस्व हानि को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस सन्दर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	समाचार पत्र का नाम	विज्ञापन की तिथि	बिल संख्या	दिनांक	राशि	15% की दर से छूट की राशि	भुगतान की गयी राशि (GST सहित)
1	दिव्य हिमाचल	27.02.22	21/D/01 5512	27.02.22	7518.24	1127.74	7894.00
2	दिव्य हिमाचल	18.12.21	21/D01 2116	18.12.21	10024.32	1503.65	10526.00
3	दैनिक जागरण	28.05.21	JK21050 044797	28.05.21	2358.00	353.70	2476.00
4	पंजाब केसरी	28.02.22	978	28.02.22	13500.00	2025.00	14175.00
5	दैनिक जागरण	24.11.21	JK21110 11421	24.11.21	4675.00	701.25	4909.00
6	द ट्रिब्यून	28.02.22	4002	01.03.22	19584.72	2937.71	20563.00
7	पंजाब केसरी	14.04.22	1016	15.04.22	10260.00	1539.00	10773.00
8	पंजाब केसरी	30.04.22	1030	30.04.22	12420.00	1863.00	13041.00
9	अमर उजाला	15.08.21	HP-1-2122-004048	31.08.21	3967.04	595.06	4165.39
10	दिव्य हिमाचल	16.09.21	21/D/00 7622	16.09.21	3341.44	501.22	3509.00
11	दिव्य हिमाचल	24.06.21	21/D/00 3240	24.06.21	2506.08	375.91	2631.00
12	दिव्य हिमाचल	20.10.21	21/D/00 9055	21.10.21	2506.08	375.91	2631.00
13	दिव्य हिमाचल	02.04.22	22/D/00	02.04.22	11277.36	1691.60	11841.00

			0132				
14	अमर उजाला	30.05.22	HP-1-2223-002183	31.05.22	6824.40	1023.66	7165.62
15	अमर उजाला	30.05.22	HP-1-2223-002184	31.05.22	8131.20	1219.68	8537.76
16	दैनिक जागरण	25.05.22	JK2205010190	25.05.22	8098.00	1214.70	8503.00
17	दैनिक सवेरा	21.06.22	JA-22-518071	21.06.22	3600.00	540.00	3600.00
18	पंजाब केसरी	20.07.22	1072	20.07.22	18000.00	2700.00	18900.00
19	पंजाब केसरी	04.09.22	1106	19.09.22	7560.00	1134.00	7938.00
20	पंजाब केसरी	24.05.22	1042	26.05.22	20520.00	3078.00	21546.00
21	पंजाब केसरी	08.07.22	1071	08.07.22	9180.00	1377.00	9639.00
22	दिव्य हिमाचल	27.07.22	22/D/005810	27.07.22	11277.36	1691.60	11841.00
23	दैनिक सवेरा	19.08.22	JA-22-523653	19..08.22	3500.00	525.00	3500.00
24	अमर उजाला	11.08.22	HP-1-2223-004131	11.08.22	6824.00	1023.60	7165.62
25	अमर उजाला	11.08.22	HP-1-2223-004132	11.08.22	8131.20	1219.68	8537.76
26	दैनिक भास्कर	28.06.22	AD2202	28.06.22	12125.68	1818.85	12732.00

			000703/ 703				
27	द ट्रिब्यून	13.09.22	4392	13.09.22	4423.68	663.55	4644.86
28	दैनिक जागरण	28.05.21	JK21050 04797	28.05.21	2358.00	353.70	2476.00
				कुल योग	**234491.80**	**35173.77**	**245861.01**

30 चयनित माह में नगर निगम द्वारा क्रय विविध सामान राशि ₹0.54 लाख से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना:-

नगर निगम के चयनित माह के अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि वाउचर संख्या: 62 दिनांक: 29-08-2022 द्वारा राशि ₹ 53,212.00 (54,130.00 – 918.00 स्त्रोत पर आयकर की कटौती) का भुगतान मेसर्ज शेष राम बिहारी लाल, पालमपुर को उनसे क्रय किए गए सामान हेतु उनके विभिन्न बिलों जिनका विवरण नीचे दिया गया है के अनुसार किया गया है:-

क्रम संख्या	बिल क्रमांक व दिनांक	क्रय सामान का विवरण	भुगतान की गई राशि (₹)
1	990/ 02.03.21	पेंटिंग मटीरीअल	36,574.00
2	880/ 25.02.22	बॉडी शोल्डर	531.00
3	878/ 02.03.22	पानी की पाइप की मुरम्मत हेतु विभिन्न सामान	4078.00
4	840/ 21.11.21	पानी की पाइप की मुरम्मत हेतु विभिन्न सामान	1487.00
5	835/ 11.01.22	पानी की पाइप की मुरम्मत हेतु विभिन्न सामान	2354.00
6	830/ 12.01.22	पानी की पाइप की मुरम्मत हेतु विभिन्न सामान	2698.00
7	810/ 29.12.21	तालों का क्रय	1039.00
8	807/ 29.12.21	पानी की पाइप की मुरम्मत हेतु विभिन्न सामान	5369.00
		योग	**54130.00**

किन्तु इस भुगतान के अंकेक्षण में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईं जिनका निराकरण अपेक्षित है:-

1 नगर निगम द्वारा उक्त क्रय निविदाओं के आधार पर किया गया है अथवा नहीं के समर्थन में कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि इस क्रय में विहित औपचारिक्ताओं को पूर्ण किया गया है या नहीं?

2 क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए।

3 पुराना कोई सामान जिसे स्टॉक में वापिस लिया गया है कि प्रविष्टियाँ भी पड़ताल हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।

अंकेक्षण द्वारा यह मामला अधियाचना संख्या : SAD/AC-V/082 दिनांक:10-07-2023 द्वारा नगर निगम के ध्यान में लाया गया था तथा उनसे सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संदर्भ में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

अतः इस क्रय से सम्बन्धित समस्त अभिलेख पड़ताल हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ताकि इस क्रय को नियमानुसार उचित ठहराया जा सके।

31 प्रतिभूति राशि वापसी ₹7.89 लाख को रजिस्टर में ईन्द्राज न करने के संदर्भ में :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर निगम द्वारा अंकेक्षण अवधि में विभिन्न ठेकेदारों से विभिन्न निर्माण कार्य करवाए हैं। ठेकेदारों से नियमानुसार प्रतिभूति राशि ली गई थी तथा निश्चित अवधि के पश्चात उसे वापिस किया जाना भी अपेक्षित था। नगर निगम द्वारा वापिस की गई प्रतिभूति को प्रतिभूति रजिस्टर में इन्द्राज नही किया गया है, जिस के अभाव में प्रतिभूति राशि का संविदाकार को दोहरा / अधिक भुगतान होने की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वापिस की गई प्रतिभूति राशि, जिसका इन्द्राज सम्बंधित रजिस्टर में नहीं किया गया है, का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र० स०	ठेकेदार का नाम	निर्माण कार्य का विवरण	वाउचर संख्या /दिनांक	प्रतिभूति राशि(₹)
1	श्री राजीव कुमार	C/o Park towards h/o Sh. Satpal and others Ward No.07 & C/o Path	15/11.04.22	2900.00

		towards Guga Temple in Chimbal haar		
2	श्री राजीव कुमार	R/o Bindravan	40/25.05.22	9372.00
	श्री राजीव कुमार	C/o Path from main road to Shamshaan Ghat Ward No.13	04/04.06.22	18613.00
3	श्री संदीप ठाकुर	C/o Main road to Smt Santosh Kumari house Ward No.13	21/08.06.22	11702.00
4	श्री रमेश पॉल	P/L Interlocking paver blocks Rana House, P/L Interlocking paver blocks behind Panchayat Ghar in ward No.11, P/L Interlocking paver blocks Rajpur main road ward No.11 and P/L Interlocking paver blocks Ward No.11 upto Water Tank	22/10.08.22	98402.00
5	श्री श्याम लाल	C/o path from main road to Gas Agency Store Lohna, C/o Path from Sr Secondary school to Patwari house Lohna, C/o	40/17.08.22	33361.00

		Path towards house opf Sh Amar Singh Lohna		
6	श्री राजीव कुमार	C/o poath towards the house of Sh Anil kumar, C/.o path towards Shree Guga Temple Ward No.07	65/30.08.22	27208.00
7	श्री संदीप ठाकुर	C/o Path from main road to Sharvi house in Tanda ward No.13	32/23.09.22	50489.00
8	श्री संदीप ठाकुर	C/o P Wall in Ward No.15 Holta near H/O of Patyal	13/10.10.22	13585.00
9	श्री अनुराग शर्मा	P/L interlocking tiles from NH towards Sh Naveen Chand Katoch house, C/o road from Bratu hose towards Vijay Kumar house., P/L interlocking tiles towards B.R Dhiman house near friends colony, P/L interlocking tiles towards Colonnel house in friends colony and checkers tiles near Anil kumar and Vijay kumar house.	13/10.10.22	75417.00
10	श्री अभय	P/L CC on road side	25/15.11.22	25815.00

	कुमार	Buran on mission road		
11	श्री राजीव कुमार	CC Path from Hanumaan Temple main road towards Arjun House Phase-II in Ward No.07 and CC path from main road bridge Hanum,an Temple to Sh Arjun house in Ward No.07	25.15.11.22	20837.00
12	श्री कैलाश महाजन	C/o Road in Ward No.15 from H/o Sh Subhash to Sh Manohar	25.15.11.22	29699.00
13	श्री विजय कुमार	C/o path from main road to Shashi verma house and others in Kesar Baag Colony in Ward No.03	37/18.11.22	20488.00
14	श्री संदीप ठाकुर	P/L interlock paver block from main road to Raj Kumar in Ward No.01. and P/L interlock paver block from Atin Gill house to Masih House in Ward No.03	27/15.12.22	23703.00
15.	श्री तुषार गोयल	P/L interlock paver block in Ward No 12 Gughar Tanda near Durga mata	37/21.12.22	22415.00

		Mandir and P/L Interlock tiles in Ward No.12 adjoining Anil House		
16.	श्री संदीप ठाकुर	C/o Drain Kulah from Mogli House to Kali Mata Mandir in Ward No.05 and C/o Path near Hanumaan Temple to Chandel Colony in Ward No.05	38/21.12.22	50379.00
17.	श्री संदीप ठाकुर	C/o Path from main road to Santosh Kumar House in Ward No.13 and P/L interlocking tiles in Ward No.13 from Salochna Devi to Sushil House	49/28.12.22	20474.00
18.	श्री मुनीश वालिया	C/o Path from main road to B.S Thakur house in Ward No.04 and C/o path from main road to Ravi House in Ward No.04	40/24.01.23	14144.00
19	श्री संदीप ठाकुर	C/o CC path and laying C pavers to path beside h/o Sansar Chand at Nallah Road Ward No.09	49/30.01.23	11985.00
20	श्रीमती	P/F of half rounds pipe in	51/30.01.23	24566.00

	मोनिका देओल	Dogri Mohalla Wards No.02 and C/o drain from Thakur Dass shop to Janta sweets in Ward No.02		
21	श्रीमती मोनिका देओल	C/o Steps in Ward No.05, C/o Path & W.C.in Ward No.04 back side M/s Sharma Watch, C/o Drain near Police Station Palampur, R/C of Lawn in front o f M.C office, C/o drain in ward No.04 backside of Civil Hospital	55/31.01.23	80106.00
22	श्री मुनीश वालिया	C/o Path from main road to Jagtamba Prasad House in Ward No.04 and C/o path from main road to Arvind house in ward No.05	21/13.03.23	18590.00
23	श्री संदीप ठाकुर	C/o Jeepable road near Bhatia house in Ward No.13 and C/o Jeepable road near Santosh kumar house in Ward No.13	28/14.03.23	21401.00
24	श्री राजीव	C/o CC Path beside O.S.	35/16.03.23	20810.00

	कुमार	Kharyal house in Ward N.Mo.07 and C/O Path from Sanju House to Ramesh House in ward no. 7		
25	श्री तुषार गोयल	P/L Interlock tiles from Gian House to Ravi house in Ward No.12 and P/L interlock tiles from Hardev House to Sanjay in Ward No.12	38/08.02.23	23030.00
26	श्री संदीप ठाकुर	C/o Path from Sarotri house to Ishwar dass house in Ward No. 04	53/14.02.23	10135.00
27	श्री श्याम लाल	C/o Path from Sr Secondary school to Ramesh Patwari house in ward No.01	63/22.02.23	9090.00
		योग		**7,88,716.00**

अंकेक्षण द्वारा यह मामला अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/071 दिनांक:01-07-2023 द्वारा आयुक्त, नगर निगम के ध्यान में लाया गया था तथा उनसे इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने तथा सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण कर अंकेक्षण में प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया था किन्तु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न होने पर पुनः अधियाचना संख्या : SAD/AC-V/083 दिनांक:12-07-2023 द्वारा मामला उनके ध्यान में लाया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। अतः संविदाकारों को वापिस की गई प्रतिभूति को रजिस्टर में इन्द्राज न करने का औचित्य

स्पष्ट करते हुए इसका अनुरक्षण करने उपरांत इन्हे रजिस्टर में इन्द्राज किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

32 श्री ललित कटोंच, कनिष्ठ अभियंता को ₹0.46 लाख का अधिक भुगतान करने के संदर्भ में :-

नगर निगम कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की पड़ताल में पाया गया कि श्री ललित कटोंच, कनिष्ठ अभियंता को 27.08.2009 से उच्च वेतनमान 4-9-14 में अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया गया था जोकि नियमानुसार देय नहीं था। उक्त श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या Fin(PR)B(7)-59/2010 दिनांक 27-09-2012 के अनुसार निर्धारित किया जाना था। दिनांक 27.08.2009 से 30.11.2017 तक नगर परिषद मंडी के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.15 से 31.03.17 के पैरा संख्या 13 (ज) में 1,37,881.00 की वसूली की गणना करके आपत्ति दर्ज की गई थी एवं उसके उपरांत दिनांक 01.12.17 से 31.03.22 तक नगर निगम, पालमपुर के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.20 से 31.03.22 के पैरा संख्या 25 में 1,66,517.00 की वसूली की गणना दर्शा करके पुनः आपत्ति दर्ज की गई थी एवं इस संबंध में या तो स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया था अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली करने का अनुरोध किया गया था। किन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि उन्हे दिनांक 01.04.22 से 31.12. 22 तक (नए वेतनमान देने तक) पुनः अधिक वेतन दिया गया था, जोकि उक्त वर्णित पत्र में दिए गए दिशा निर्देशों अनुसार देय नहीं था, जिस कारण कर्मचारी को संलग्न **परिशिष्ट-13** अनुसार इस अवधि में पुनः ₹45,528.00 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

अंकेक्षण द्वारा यह मामला अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/072 दिनांक:01-07-2023 द्वारा आयुक्त, नगर निगम के ध्यान में लाया गया था तथा कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न होने पर पुनः अधियाचना संख्या : SAD/AC-V/083 दिनांक:12-07-2023 द्वारा उनसे इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया गया।

यधपि नए वेतनमान में उनका वेतन निर्धारण करते समय इस गलती को सुधार दिया गया है तथा उनका वेतन नियमानुसार निर्धारित किया गया है तथापि उपरोक्त वर्णित अवधियों में इन को किए गए अधिक भुगतान बारे या तो स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस समस्त राशि की वसूली उनसे करने उपरांत नगर निगम निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

33 नगर निगम के कर्मचारियों को नए वेतनमान लागू होने के उपरांत अनियमित रूप से ACPS 4-9-14 का लाभ देने के संदर्भ में:-

नगर निगम के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न वर्णित कर्मचारियों को ACPS 4-9-14 का लाभ नए वेतनमान लागू होने के बाद दिया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :Fin-(PR)B(7)-1/2021 दिनांक 03-01-2022 के पैरा संख्या: 7(III)(iii) के अनुसार नए वेतनमान जारी होने के बाद से ACPS 4-9-14 का लाभ देय नहीं था। पैरा को यहाँ पुनः उद्धृत किया जा रहा है।

The Benefit of existing Assured Carrier Progression Scheme would not be admissible after the notification of these rules, until separate notification or instructions in this regard is issued by the Government.

उक्त अधिसूचना के पैरा संख्या:7 (III)(ii) के अनुसार नए वेतनमान जारी होने के बाद से ACPS 4-9-14 का लाभ केवल उन्ही योग्य कर्मचारियों को देय था जिनके केस इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व आरंभ कर दिए गए थे किन्तु पूर्ण नहीं हुए थे। पैरा को यहाँ पुनः उद्धृत किया जा रहा है।

In case of those Government employees who are entitled to the benefits of increments and/or next higher pay scale on account of progression under the existing Assured Carrier Progression Scheme of the Government of Himachal Pradesh but their cases have not been finalized before the date of publication of Himachal Pradesh (Revised Pay) Rules 2022, such cases will be dealt in accordance with the provisions of existing Assured Carrier Progression Scheme as modified from time to time.

अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि इन कर्मचारियों को ACPS 4-9-14 का लाभ देने सम्बन्धी कार्यवाही नए वेतनमान लागू होने के बाद माह जून 2022 को आरम्भ की गई थी जो कि उक्त नियमों अनुसार देय नहीं थी।

अतः इन कर्मचारियों को दिए गए इन लाभों के बारे में वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए अन्यथा इन्हे अनियमित रूप से दिए गए इन लाभों की वसूली विभागीय स्तर पर गणना करने उपरान्त अंकेक्षण दल को तदानुसार सूचित किया जाए।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पदनाम	दिनांक जब से उच्च वेतनमान दिया गया	देय मूल वेतन	दिया गया मूल वेतन	टिप्पणी
1	श्री अशोक कुमार	बेलदार	30.08.2021 01.08.2022	25600 26400	26400 27200	
2	श्री सुरेश कुमार	बेलदार	24.07.2021 01.07.2022	25600 26400	26400 27200	
3	श्री रंजीत सिंह	बेलदार	24.07.2021 01.07.2022	25600 26400	26400 27200	
4	श्री पृथि सिंह	बेलदार	30.08.2021 01.08.2022	25600 26400	26400 27200	
5	श्री अजय कुमार	कुक	11.12.2018 01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022	20900.00 21500.00 22100.00 22800.00 23500.00	21500.00 22100.00 22800.00 23500.00 24200.00	**इसके अतिरिक्त नए वेतनमान की गणना करते समय उन्हे 01.12.2012 में देय वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गई है जिसको भी दिया जाना अपेक्षित है।**
6	श्री रमेश	सफाई कर्मचारी	10.09.2021 01.09.2022	25600 26400	26400 27200	
7	श्री मंगल दास	सफाई कर्मचारी	30.08.2021 01.08.2022	25600 26400	26400 27200	
8	श्री बब्बर	सफाई कर्मचारी	10.09.2021 01.09.2022	25600 26400	26400 27200	

34 **नगर निगम के अधिकारियों / कर्मचारियों को अधिक दरों से आवास भत्ता देने के कारण हुई राशि ₹0.08 लाख के वित्तीय हानि के संदर्भ में:-**

नगर निगम के अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन बिलों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नवर्णित कर्मचारियों को उनके आगे दर्शाई गई अवधि में आवास भत्ते के रूप में अधिक भुगतान किया गया है जबकि उन्हे आवास भत्ता हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या:Fin(C)B(7)1/2012 दिनांक:28-02-2012 के अनुसार कम दरों पर देय था।

अंकेक्षण द्वारा यह मामला अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/061 दिनांक:17-06-2023 द्वारा आयुक्त, नगर निगम के ध्यान में लाया गया था तथा कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न होने पर पुनः अधियाचना संख्या : SAD/AC-V/067 व 083 दिनांक: 30-06-2023 व 12-07-2023 द्वारा उनसे इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया गया।

अतः इन अधिकारियों / कर्मचारियों को अधिक दरों से किए गए आवास भत्ते राशि ₹8,200.00 की वसूली करने उपरांत नगर निगम निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पदनाम	देय आवास भत्ता	दिया गया आवास भत्ता	अंतर	माह	कुल माह	कुल राशि (6 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री विक्रम महाजन	आयुक्त	600.00	1000.00	400.00	04/22 से 08/22	5	2000.00
2	श्री शिव मोहन सिंह सैनी	संयुक्त आयुक्त	600.00	1000.00	400.00	04/22 से 08/22	5	2000.00

3	श्री पुनीत गुलेरिया	अनुभाग अधिकारी	500.00	1000.00	500.00	07/22 से 08/22	2	1000.00
4	श्री कल्याण भट्ट	सहायक अभियंता	600.00	1000.00	400.00	04/22 से 08/22	5	2000.00
5	श्रीमती रिमपल शर्मा	लिपिक	250.00	300.00	50.00	04/22 से 08/22	5	250.00
6	श्री राजकुंवर कटोंच	लिपिक	250.00	300.00	50.00	04/22 से 08/22	5	250.00
7	श्री सुरेन्द्र कुमार	पम्प ऑपरेटेर	250.00	350.00	100.00	09/22 से 03/23	7	700.00
							योग	**8200.00**

35 कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में पाई गई विसंगतियों के संदर्भ में :-

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक के दौरान नगर निगम पालमपुर के कार्यालय में कार्यरत्त कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का अंकेक्षण करने पर विभिन्न विसंगतियां पाई गई हैं जिनका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:-

क्रम संख्या	**कर्मचारी का नाम**	**पदनाम**	**विसंगतियों का विवरण**
1	श्री सुरिंदर कुमार शर्मा	पंप ऑपरेटर	दिनांक 01.07.22 से अर्जित अवकाश खाता व दिनांक 01.01.2023 से अर्ध वेतन खाता तैयार नहीं किया गया है।
2	श्री बाबू लाल	बेलदार	दिनांक 01.07.22 से अर्जित अवकाश खाता व

			दिनांक 01.01.2023 से अर्ध वेतन खाता तैयार नहीं किया गया है।
3	श्री मिलाप चंद	चपड़ासी	दिनांक 01.01.23 से अर्जित अवकाश खाता व से अर्ध वेतन खाता तैयार नहीं किया गया है। दिनांक 02.08.22 से 06.08.22 तथा 19.09.22 से 29.09.22 तक व्यतीत किया गये अर्जित अवकाश के स्वीकृति कार्यालय आदेश जारी नहीं किये गए हैं।
4	श्री अशोक कुमार	बेलदार	दिनांक 01.01.21 से अर्जित अवकाश खाता व अर्ध वेतन खाता तैयार नहीं किया गया है। तथा दिनांक 01.02.2022 से सेवा को भी सत्यापित नहीं किया गया है। क्रमश: दिनांक 01.01.20 व दिनांक 01.07.20 को अर्ध वेतन अवकाश खाते में 10 दिनों की अपेक्षा 20 दिनों से क्रेडिट किया गया है जिस कारण अर्ध वेतन अवकाश खाता 20 दिन अधिक से क्रेडिट किया गया है।
5	श्री पृथ्वी सिंह	बेलदार	दिनांक 01.01.21 से अर्जित अवकाश खाता व अर्ध वेतन खाता तैयार नहीं किया गया है।
6	श्री मंगल दास	सफाई कर्मचारी	दिनांक 01.02.2022 से सेवा को भी सत्यापित नहीं किया गया है। दिनांक 03.09.22 से दिनांक 02.01.23 तक कुल 122 दिनों का अर्जित अवकाश व्यतीत किया गया है लेकिन अर्जित अवकाश से सम्बंधित आवेदन पत्र, प्रस्थान सूचना, व कार्यग्रहण सूचना निजी नस्ति में सलग्न नहीं है।

7	श्री अजय कुमार	बेलदार	दिनांक 01.01.21 से अर्जित अवकाश खाता व अर्ध वेतन खाता तैयार नहीं किया गया है।
8	श्री रमेश	सफाई कर्मचारी	दिनांक 01.07.22 से अर्जित अवकाश खाता व दिनांक 01.01.23 से अर्ध वेतन खाता तैयार नहीं किया गया है।
9	श्री सुरेश कुमार बेलदार	बेलदार	दिनांक 01.07.2021 से सेवा को भी सत्यापित नहीं किया गया है तथा दिनांक 01.07.22 से अर्जित अवकाश खाता व दिनांक 01.01.23 से अर्ध वेतन खाता तैयार नहीं किया गया है।
10	श्री रणजीत सिंह	बेलदार	दिनांक 01.01.22 से अर्जित अवकाश खाता व अर्ध वेतन खाता तैयार नहीं किया गया है।
11	श्री सुरेश कुमार	लिपिक	दिनांक 01.01.22 से अर्जित अवकाश खाता व अर्ध वेतन खाता तैयार नहीं किया गया है

इन सभी विसंगतियों का मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/052 दिनांक:12-06-2023 द्वारा आयुक्त, नगर निगम के ध्यान में लाया गया था तथा कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न होने पर पुनः अधियाचना संख्या : SAD/AC-V/067 दिनांक: 30-06-2023 द्वारा उनसे इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

अतः उपरोक्त उल्लेखित कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का रख-रखाव नियमानुसार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए उपरोक्त उल्लेखित सेवा पंजिकाओं में पाई गई विसंगतियों का निराकरण किया जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

36 नगर निगम द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु संविदाकारों को भंडार से सीमेंट जारी करने के संदर्भ में :-

नगर निगम, पालमपुर के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2023 तक के अंकेक्षण मे पाया गया कि निगम द्वारा इस अवधि में निगम परिक्षेत्र में संविदाकारों के माध्यम से विभिन्न विकास कार्य करवाए गए हैं। इन कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि निगम द्वारा इन कार्यों हेतु सीमेंट निगम के स्टोर से जारी किया गया है, जबकि अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण), हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या : PBW(B)C(17)2/2012 दिनांक : 07-08-2018 के क्रम संख्या vii अनुसार संविदाकारों द्वारा सीमेंट का क्रय अपने खर्चे पर हि०प्र० नागरिक एवं आपूर्ति निगम से कार्य में आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित अभियंता के अनुमोदनानुसार /परमिट के निमित्त खरीदा जाना अपेक्षित था।

इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि नगर निगम द्वारा सीमेंट की प्राप्ति एवं उसे जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि बिन कार्ड, सीमेंट इशू रेट आदि का सम्पूर्ण विवरण नहीं रखा गया है जिस के अभाव में विभिन्न संविदाकारों को जारी एवं उनसे इस सम्बन्ध में की गई कटौतियों आदि की पड़ताल वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण द्वारा यह मामला अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/077 दिनांक:10-07-2023 द्वारा आयुक्त, नगर निगम के ध्यान में लाया गया था तथा उनसे इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने तथा सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया गया।

अतः नगर निगम द्वारा सरकार के उपरोक्त वर्णित पत्र की अवहेलना में विभिन्न विकास कार्यों हेतु संविदाकारों को सीमेंट जारी करने व उस से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न करने बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इस का रख रखाव सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में सभी विकास कार्यों हेतु उक्त पत्र में वर्णित प्रावधानों अनुसार सीमेंट की आपूर्ति सिविल सप्लाई निगम के डीपुओं से करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

37 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे:-

नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2022-23 के चयनित माह के निम्नलिखित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख जैसे कि टैंडर फाइल, अनुबंध फाइल आदि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं

किए गए। जिनके अभाव में इन निर्माण कार्यों की अंकेक्षण में पड़ताल संभव नहीं हो सकी है। इन सभी व्यय से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने बारे अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/075 दिनांक:10-07-2023 द्वारा मामला आयुक्त, नगर निगम के ध्यान में लाया गया था तथा उनसे वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो अभिलेख प्रस्तुत किया गया एवं न ही इसका कोई प्रत्युत्तर दिया गया। अतः यह अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ताकि उसका तदानुसार अंकेक्षण संभव हो सके।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	09/03.08.22	Repair of Holi Kala Munch	22720.00
2	33/10.08.22	C/O Jeepable road from Sanjay Rathore land to Rakesh in ward 5	44811.00
3	35/10.08.22	Repair of Solar Lights (old) in M.C. Area	13971.00
4	42/17.08.22	P/F Roofing in Vikas parishad palampur	78760.00
5	61/29.08.22	Widening of road near Majer SomNath Prtima palampur	127835.00
6	61/29.08.22	C/O Drain from Thakur Durga Das house towards Masjid in ward 5	176866.00
		योग	**4,64,963.00**

38 नगर निगम के वाहनों की लॉग बुक्स अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाए जाने के संदर्भ में:-

नगर निगम द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार निगम के पास निम्न विवरणानुसार कुल 8 वाहन है जिनकी लॉग बुक्स अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने बारे अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/053 दिनांक: 12-06-2023 व पुनः अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/067 व 083 दिनांक: 30-06-2023 व 12-07-2023 द्वारा मामला आयुक्त, नगर निगम के ध्यान में लाया गया था तथा उनसे निगम के वाहनों की लॉग बुक्स अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो लॉग बुक्स प्रस्तुत की गई और न ही इसका कोई प्रत्युत्तर दिया गया। इसके अतिरिक्त मौखिक तौर पर अंकेक्षण को बताया गया कि इन वाहनों की औसत भी किसी मान्य एजेंसी से प्रमाणित नहीं करवाई गई है। अतः इन सभी वाहनों की लॉग बुक्स मान्यता प्राप्त एजेंसी से उनकी औसत निर्धारित करवाने उपरांत अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित की जाएं ताकि उनका अंकेक्षण किया जा सके।

क्रम संख्या	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	टिप्पणी
01	HP37.H.2902	Maruti Ciaz (Commissioner)	New vehicle
02	HP37.H.4514	Dzire (Joint Commissioner)	New vehicle
03	HP37.H.2910	Scorpio (Hon.Mayor)	New vehicle
04	HP37.F.5401	TATA Tempo	
05	HP37.B.9306	Tractor	
06	HP37.G.2440	Bolero Pick up	
07	HP37.C.9667	Dumper Placer	
08	HP37.E.9454	Ashoka Leyland Dart	

39 नगर निगम के चयनित माह के व्यय वाउचर में पाई गई अनियमितताओं बारे:-

नगर निगम के चनायित माह के अभिलेख की पड़ताल में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईं जिनका निराकरण अपेक्षित है :-

1 वाउचर संख्या 7 दिनांक 01.08.2022 द्वारा श्री अर्चित ठाकुर, दैनिक वेतन भोगी को राशि ₹10094.00 का भुगतान किया गया दर्शाया गया है । अंकेक्षण में पाया गया कि उन्हे 09.08.2022 को 5 दिनों के बाद ही वैतनिक अवकाश दिया गया है जबकि नियमानुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को 6 दिनों के बाद वैतनिक अवकाश देय होता है। इसके अतिरिक्त उन्हे दिनांक 25.08.2022 से 31.08.2022 तक कोविड 19 का अवकाश दिया गया है किन्तु इस से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही यह अवकाश उन्हे वैतनिक अवकाश के रूप में देय था। अतः अनियमित रूप से दिए गए इन आठ दिनों के भुगतान ₹2800.00 (350 x 8) की वसूली उनसे करने उपरांत नगर निगम निधि खाते में जमा करवाई जाए तथा अंकेक्षण दल को इससे अवगत करवाया जाए।

2 वाउचर संख्या 16 दिनांक 05.08.2022 द्वारा राशि ₹76763.00 का भुगतान माह जुलाई देय अगस्त 2022 के वस्तु एवं सेवाकर के रूप में किया गया दर्शाया गया है । किन्तु इस भुगतान के संबंध में कोई भी वांछित अभिलेख (जैसे कि चालान आदि की प्रतिलिपि) वाउचर के साथ संलग्न नहीं है जिस से इस बात की पुष्टि हो सके कि यह भुगतान वास्तव में किया गया है अथवा नहीं? बिना वांछित अभिलेख के किए गए इस भुगतान को नियमानुसार नहीं ठहराया जा सकता है, जिस बारे में वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा अगर यह भुगतान वास्तव में किया गया है तो इस के समर्थन में वांछित अभिलेख अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण दल को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

3 अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न संविदाकारों से माह जुलाई,2022 में स्त्रोत पर काटे गए आयकर राशि ₹45970.00 को वाउचर संख्या 13 दिनांक 04.08.2022 द्वारा व्यय दर्शा करके मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक के नाम जारी किया गया है तथा इसी व्यय को पुनः वाउचर संख्या 20/1 दिनांक 08.08.2022 द्वारा व्यय दर्शा करके मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक के नाम जारी किया गया है। इस प्रकार एक ही व्यय को दो बार दर्शाया गया है जोकि अनियमित तथा आपत्तिजनक होने के साथ साथ इस राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है । अतः इस बारे मे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा अगर यह भुगतान दो बार किया गया है तो इसकी वसूली दोषियों से करने उपरांत नगर निगम निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण दल को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त इस दोहरे भुगतान के संदर्भ में भी वांछित

अभिलेख (जैसे कि चालान आदि की प्रतिलिपि) वाउचर के साथ संलग्न नहीं है जिस से इस बात की पुष्टि हो सके कि यह भुगतान वास्तव में किया गया है अथवा नहीं।

40 तुलन पत्र (Balance Sheet) तैयार न करना एवं दोहरी लेखा पद्धति को लागू न करना :-

निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-III/3332-3379 दिनांक 25.03.2009, UD-H(C)-15-49/2003-III/9337-9385 दिनांक 07.09.2009 एवं पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-IV/5215-63 दिनांक 19.07.2010 द्वारा सभी नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिये गए थे कि लेखा खातों को दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double entry system on Accrual Basis) से रख-रखाव किया जाये, लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखा खातों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर निगम, पालमपुर द्वारा इन निर्देशों की अवहेलना करके अपने लेखा खातों को एकल पद्धति के आधार पर बनाया गया है जोकि गंभीर अनियमितता है । अतः निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के निर्देशों की अवहेलना करके लेखों को दोहरी लेखा पद्धति (Double entry system on Accrual Basis) के स्थान पर एकल लेखा पद्धति के आधार पर बनाया जाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये एवं सरकार के निर्देशानुसार लेखों को दोहरी पद्धति (Double entry system on Accrual Basis) के आधार पर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाये। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/073 दिनांक: 10-07-2023 का कोई भी प्रतिउत्तर आयुक्त, नगर निगम द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आय व्यय / प्राप्ति एवं भुगतान खाता, खाता वही, संतुलन परीक्षण (Trial Balance) एवं तुलन पत्र (Balance Sheet) भी नहीं बनाई गई थी, जिस कारण नगर निगम के लेखों का सत्यापन नहीं किया जा सका, जबकि उपलब्ध अभिलेखों का सत्यापन अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया था ।

41 विभिन्न अभिलेख का रख-रखाव न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर निगम द्वारा निम्न वर्णित विभिन्न अभिलेख का संरक्षण नहीं किया जा रहा है जबकि नियमानुसार इन अभिलेख का रख-रखाव किया जाना व इनसे सम्बन्धित किए गए समस्त भुगतानों की इनमें प्रविष्टियाँ किया जाना अपेक्षित था :-

1 चिकित्सा दावा बिल पड़ताल रजिस्टर

2 अग्रिम रजिस्टर

3 यात्रा भत्ता दावा बिल रजिस्टर

4 संविदाकार वही

5 अनुदान रजिस्टर (इस में अनुदान की सभी प्रविष्टियों व उनके भुगतान दर्ज नहीं किए गए हैं)।

6 बिजली ,पानी व टेलीफोन रजिस्टर

7 संस्थापना रजिस्टर

8 निर्माण कार्य वही

9 बिजली एवं शराव उपकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर

10 अचल संपत्ति रजिस्टर

इन समस्त अभिलेख के अनुरक्षण बारे मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/079 दिनांक: 10-07-2023 द्वारा आयुक्त, नगर निगम से उठाया गया था किन्तु संस्थान से इसका कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इन समस्त वांछित अभिलेख का संरक्षण न करने बारे तथ्यों से अवगत करवाते हुए अविलंब इन का संरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

42 भंडार का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन्न न करने के संदर्भ में :-

नगर निगम के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2023 तक के अंकेक्षण में पाया गया कि निगम द्वारा इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न भंडार रजिस्टरों में दर्ज सामान का भौतिक / प्रत्यक्ष सत्यापन्न नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 के नियम 140 के अनुसार भण्डार में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना आपेक्षित था । अतः नियमों की अनुपालना में भण्डार का भौतिक सत्यापन न करने का कारण स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: SAD/AC-V/080 दिनांक: 10-07-2023 द्वारा आग्रह किया गया था किन्तु नगर निगम द्वारा इसका कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। अतः अविलम्ब भण्डार का भौतिक सत्यापन करके भविष्य में बार्षिक सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

43 **लघु- आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्तियों का मौके पर निपटारा कर दिया गया एवं यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

44 **निष्कर्ष:-** लेखाओं के रख-रखाव में सुधार एवं निरीक्षण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष प्रयास कर उन्हे समायोजित किए जाने की आवश्यकता है।

सहायक नियन्त्रक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

संयुक्त निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

प्रति हस्ताक्षर

निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

परिशिष्ट "क" (पैरा 1 (ग))

नगर निगम पालमपुर, जिला कांगड़ा के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की सूची निम्नलिखित है :-

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1968 से 3/1973

1	पैरा- 7	अनिर्णीत
2	पैरा- 23	अनिर्णीत

(ख) अकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1975 से 1/1978

1	पैरा- 7	अनिर्णीत
2	पैरा- 21 (क) 1	अनिर्णीत
3	पैरा- 21 (क) 5	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1978 से 3/1980

1	पैरा- 9 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा- 9 (3)	अनिर्णीत

(घ) गत आपत्ति विवरणिकाएं

क्रम संख्या	अवधि	बकाया मद	स्थिति
1	4/57 से 3/58	42 व 49	अनिर्णीत
2	4/58 से 3/59	13, 27 व 32	अनिर्णीत
3	4/59 से 3/60	14 व 33	अनिर्णीत
4	4/60 से 3/62	11	अनिर्णीत
5	4/62 से 3/63	12(4), 14 व 18	अनिर्णीत
6	4/63 से 3/64	10 व 15	अनिर्णीत
7	4/75 से 3/78	4(4 से 6) व 5	अनिर्णीत
8	4/78 से 3/80	1(ए व बी) व 6(सी)	अनिर्णीत

(ङ) **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1982 से 3/1985**

1	पैरा- 16 (5)	अनिर्णीत
2	पैरा- 16 (20)	अनिर्णीत
3	पैरा- 18 (7))	अनिर्णीत

(च) **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1985 से 3/1989**

1	पैरा- 7 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा- 9 (2, 3 व 4)	अनिर्णीत
3	पैरा- 15(1)	अनिर्णीत
4	पैरा- 15 (22)	अनिर्णीत
5	पैरा- 15 (23)	अनिर्णीत
6	पैरा- 15 (25)	अनिर्णीत
7	पैरा- 15 (26)	अनिर्णीत
8	पैरा- 15 (29)	अनिर्णीत
9	पैरा- 15 (एफ व जी)	अनिर्णीत
10	पैरा- 15 (37)	अनिर्णीत
11	पैरा- 15 (38)	अनिर्णीत
12	पैरा- 15 (39)	अनिर्णीत
13	पैरा- 15 (42)	अनिर्णीत
14	पैरा- 15 (54)	अनिर्णीत
15	पैरा- 15 (56)	अनिर्णीत
16	पैरा- 15 (61)	अनिर्णीत
17	पैरा- 15 (70)	अनिर्णीत

(छ) **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1989 से 3/1994**

1	पैरा- 4	अनिर्णीत
2	पैरा- 5	अनिर्णीत
3	पैरा- 6	अनिर्णीत
4	पैरा- 11	अनिर्णीत
5	पैरा- 14	अनिर्णीत
6	पैरा- 15	अनिर्णीत

(ज) **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1994 से 3/1997**

1	पैरा- 6 (क व ख)	अनिर्णीत
2	पैरा- 7 (क, ख व ग)	अनिर्णीत
3	पैरा- 9	अनिर्णीत
4	पैरा- 11	अनिर्णीत
5	पैरा- 12 (ख व ग)	अनिर्णीत
6	पैरा- 13	अनिर्णीत
7	पैरा- 16	अनिर्णीत
8	पैरा- 17 (1, 3, 4)	अनिर्णीत

(झ) **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1997 से 3/2005**

1	पैरा- 7	अनिर्णीत
2	पैरा- 7 (4)	अनिर्णीत
3	पैरा- 12	अनिर्णीत
4	पैरा- 13	अनिर्णीत
5	पैरा- 14	अनिर्णीत
6	पैरा- 20(1) व (3)	अनिर्णीत
7	पैरा- 22	अनिर्णीत

8	पैरा- 23	अनिर्णीत
9	पैरा- 26	अनिर्णीत
10	पैरा- 28(1) से (3)	अनिर्णीत
11	पैरा- 30 (क)	अनिर्णीत
12	पैरा- 30 (ख)	अनिर्णीत
13	पैरा- 31	अनिर्णीत
14	पैरा- 33	अनिर्णीत
15	पैरा- 36	अनिर्णीत
16	पैरा- 37	अनिर्णीत
17	पैरा- 38	अनिर्णीत
18	पैरा- 39	अनिर्णीत
19	पैरा- 40	अनिर्णीत
20	पैरा- 41	अनिर्णीत
21	पैरा- 43 (i) व (ii)	अनिर्णीत
22	पैरा- 46	अनिर्णीत
23	पैरा- 49	अनिर्णीत
24	पैरा- 50	अनिर्णीत
25	पैरा- 52	अनिर्णीत
26	पैरा- 54	अनिर्णीत
27	पैरा- 55	अनिर्णीत
28	पैरा- 57	अनिर्णीत
29	पैरा- 59	अनिर्णीत
30	पैरा- 60	अनिर्णीत
31	पैरा- 67	अनिर्णीत

(ञ) **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2007**

1	पैरा- 2 (10)	अनिर्णीत
2	पैरा- 4(1)(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा- 4 (1)(ङ)	अनिर्णीत
4	पैरा- 4(2)(घ)	अनिर्णीत
5	पैरा- 7(1)(क)(ख)	अनिर्णीत
6	पैरा- 7(1)(घ)(ङ)	अनिर्णीत
7	पैरा- 7(1)(छ)(ज)	अनिर्णीत
8	पैरा- 8(1)	अनिर्णीत

(ट) **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010**

1	पैरा- 2 (13)	अनिर्णीत
2	पैरा- 5 (5)	अनिर्णीत
3	पैरा- 7 (1) से (8)	अनिर्णीत
4	पैरा- 7(9) (क,ख)	अनिर्णीत
5	पैरा- 8 (1) से (8)	अनिर्णीत
6	पैरा- 9 (1) से (3)	अनिर्णीत
7	पैरा- 11 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा- 11 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा- 14 (क)(ख)(ग)(घ)	अनिर्णीत

(ठ) **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012**

1	पैरा- 4.7	अनिर्णीत
2	पैरा- 5.1	अनिर्णीत
3	पैरा- 5.2	अनिर्णीत
4	पैरा- 6.1	अनिर्णीत

5	पैरा- 6.2 (1)	अनिर्णीत
6	पैरा- 6.2 (2)	अनिर्णीत
7	पैरा- 7.3	अनिर्णीत
8	पैरा- 7.4	अनिर्णीत
9	पैरा- 7.6	अनिर्णीत
10	पैरा- 7.7	अनिर्णीत
11	पैरा- 7.8	अनिर्णीत
12	पैरा- 7.9 (i)	अनिर्णीत
13	पैरा- 7.9 (ii)	अनिर्णीत
14	पैरा- 7.12	अनिर्णीत
15	पैरा- 8.4	अनिर्णीत
16	पैरा- 8.5	अनिर्णीत
17	पैरा- 9.1	अनिर्णीत
18	पैरा- 9.3	अनिर्णीत
19	पैरा- 9.4	अनिर्णीत
20	पैरा- 9.5	अनिर्णीत
21	पैरा- 9.6	अनिर्णीत
22	पैरा- 9 (7) से (16)	अनिर्णीत
23	पैरा- 10 (1) से (8)	अनिर्णीत
24	पैरा- 11.1	अनिर्णीत
25	पैरा- 12	अनिर्णीत
26	पैरा- 12.1	अनिर्णीत
27	पैरा- 13	अनिर्णीत
28	पैरा- 13.1	अनिर्णीत
29	पैरा- 14	अनिर्णीत
30	पैरा- 14.1	अनिर्णीत
31	पैरा- 15	अनिर्णीत

(ड) **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2014**

1	पैरा- 8 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा- 9 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा- 9 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा- 10 (i) (ii)	अनिर्णीत
5	पैरा- 11 (i) (ii)	अनिर्णीत
6	पैरा- 12	अनिर्णीत
7	पैरा- 12 (ख)	अनिर्णीत
8	पैरा- 13	अनिर्णीत
9	पैरा- 15 (क)(ख)	अनिर्णीत
10	पैरा- 16	अनिर्णीत
11	पैरा- 17	अनिर्णीत
12	पैरा- 19	अनिर्णीत
13	पैरा- 20	अनिर्णीत
14	पैरा- 21	अनिर्णीत
15	पैरा- 22	अनिर्णीत
16	पैरा- 23 (i) से (iv)	अनिर्णीत
17	पैरा- 24 (i) से (iii)	अनिर्णीत
18	पैरा- 25	अनिर्णीत
19	पैरा- 26	अनिर्णीत
20	पैरा- 27 (i) से (iii)	अनिर्णीत

(ढ) **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2016**

1	पैरा- 4 (घ)	अनिर्णीत
2	पैरा- 4 (ङ)	अनिर्णीत
3	पैरा- 4 (च)	अनिर्णीत

4	पैरा- 5 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
5	पैरा- 10	अनिर्णीत
6	पैरा- 11	अनिर्णीत
7	पैरा- 12	अनिर्णीत
8	पैरा- 13	अनिर्णीत
9	पैरा- 14	अनिर्णीत
10	पैरा- 15	अनिर्णीत
11	पैरा- 17 (क, ख)	अनिर्णीत

(ण) **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2016 से 3/2018**

1	पैरा- 5 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा- 13 (i से iii)	अनिर्णीत
3	पैरा- 14	अनिर्णीत
4	पैरा- 15	अनिर्णीत
5	पैरा- 17	अनिर्णीत
6	पैरा- 18	अनिर्णीत
7	पैरा- 19	अनिर्णीत
8	पैरा- 20	अनिर्णीत
9	पैरा- 21	अनिर्णीत
10	पैरा- 23	अनिर्णीत
11	पैरा- 24	अनिर्णीत
12	पैरा- 26	अनिर्णीत
13	पैरा- 27	अनिर्णीत

(त) **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2018 से 3/2020**

1	पैरा- 4 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा- 4 (ग)	अनिर्णीत

11	पैरा- 4 (क) (ix)	अनिर्णीत
12	पैरा- 4 (क) (x)	अनिर्णीत
13	पैरा- 4 (क) (xi)	अनिर्णीत
14	पैरा- 4 ((क)xii)	अनिर्णीत
15	पैरा- 4(क) (xiii)	अनिर्णीत
16	पैरा- 4 (ख)	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
17	पैरा- 4 (ग)	अनिर्णीत
18	पैरा- 5	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
19	पैरा- 6(i)	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
20	पैरा- 6(ii)	अनिर्णीत
21	पैरा- 6(iii)	अनिर्णीत
22	पैरा- 6(iv)	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
23	पैरा- 7 (क)	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
24	पैरा- 7 (ख)	अनिर्णीत
25	पैरा- 7 (ग)	अनिर्णीत
26	पैरा- 7 (घ)	अनिर्णीत
27	पैरा- 7 (ड०)	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
28	पैरा- 8 (i)	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
29	पैरा- 8 (ii)	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
30	पैरा- 8 (iii)	अनिर्णीत
31	पैरा- 9 (i)	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
32	पैरा- 9 (ii)	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
33	पैरा- 10 (i)	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
34	पैरा- 10 (ii)	अनिर्णीत
35	पैरा- 11 (i)	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
36	पैरा- 11 (ii)	अनिर्णीत

37	पैरा- 11 (iii)	अनिर्णीत
38	पैरा- 11 (iv)	निर्णीत
39	पैरा- 12	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
40	पैरा- 13	अनिर्णीत
41	पैरा- 14	अनिर्णीत
42	पैरा- 15 (क्रम संख्या 1 से 8)	अनिर्णीत
43	पैरा- 16	निर्णीत **(₹1234.00 की कटौती संविदाकार के बिल से माप पुस्तिका 50 पृष्ठ 40 द्वारा कर ली गई है)**
44	पैरा- 17	अनिर्णीत
45	पैरा- 18	अनिर्णीत
46	पैरा- 19	अनिर्णीत
47	पैरा-20	अंशतः निर्णीत (**क्रम संख्या 1 से ₹1549.00 की कटौती उन्हे देय सेवा निवृति लाभों से व क्रम संख्या 2 से ₹1549.00 की कटौती उनके माह 07-2023 के वेतन से कर ली गई है।**
48	पैरा-21	निर्णीत (अधिक भुगतान **₹1422.00 की वसूली जी एट संख्या 039/97 दिनांक 13.07.2023 द्वारा कर ली गई है।)**

49	पैरा- 22	अनिर्णीत
50	पैरा- 23	अनिर्णीत
51	पैरा- 24	अनिर्णीत
52	पैरा- 25	अनिर्णीत
53	पैरा- 26	अनिर्णीत
54	पैरा- 27	अनिर्णीत
55	पैरा- 28	अनिर्णीत
56	पैरा- 29 (i)	अनिर्णीत
57	पैरा- 29 (ii)	अनिर्णीत
58	पैरा- 29 (iii)	अनिर्णीत
59	पैरा- 29 (iv)	अनिर्णीत
60	पैरा-30	अनिर्णीत

दिनांक 01.04.2022 को अनिर्णीत पैरों / सबपैरों की कुल संख्या	**274**
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान प्रारूपित पैरों की संख्या	**40**
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समायोजित पैरों की संख्या	**18**
दिनांक 31.03.2023 को अनिर्णीत पैरों की संख्या	**296**

नोट :- उक्त के अतिरिक्त अवधि 04/1957 से 03/1980 तक की लगभग 17 लघु आपति विवरणिकाएं निपटारे हेतु लंबित हैं ।

Financial Position of Municipal Corporation,Palampur
For The Year 2022-23

Opening Balance	Domestic Income	Grants	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
185270698.00	65668833.06	247869918.00	5714869.00	504524319.06	262191862.00	242332457.06

दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : '24,23,32 ,457.06
दिनांक 31.03.23 को बैंक खातों में शेष : '26,50,33,238.32
अंतर = 2,27,00,781.26

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

Commissioner
Municipal Corporation
Palampur

Monthly Income and Expenditure of M.C. Palampur for the Year 2022-23

Month	Opening Balance	Domestic Income	Grants	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
April,22	185270699.00	1971139.60	27382343.00	11502.00	214635683.60	18013097.00	196622586.60
May,22	196622586.60	1926832.04	700000.00	37093.00	199286511.64	16918603.00	182367908.64
June,22	182367908.64	12163191.56	6346880.00	1034077.00	201912057.20	14758863.00	187153194.20
July,22	187153194.20	1445498.52	12119450.00	49070.00	200767212.72	25150791.00	175616421.72
August,22	175616421.72	32708294.00	145031921.00	38545.00	353395181.72	67091783.00	286303398.72
September,22	286303398.72	1429836.00	1553700.00	1023539.00	290310473.72	23317107.00	266993366.72
Octobe,22	266993366.72	1190528.78	380000.00	501690.00	269065585.50	22398919.00	246666666.50
November,22	246666666.50	1775948.52	1138036.00	39699.00	249620350.02	13175531.00	236444819.02
December,22	236444819.02	2449515.52	2200000.00	1038809.00	242133143.54	17732635.00	224400508.54
January,23	224400508.54	1753958.00	0.00	538321.00	226692787.54	12988236.00	213704551.54
February,23	213704551.54	1212498.52	300000.00	40842.00	215257892.06	13663114.00	201594778.06
March,23	201594778.06	5641592.00	50717588.00	1361682.00	259315640.06	16983183.00	242332457.06

Note

The FDR of Rs. 1,00,00,000.00 prepared on dated 11.08.2021 got pre matured on dated 14.06.2022 and entire amount received i.e Rs. 1,02,89,659.00 taken as own source income, whereas only interest 289659.00 was to be taken as income (In Intertest Haed). Hence own sorce income was inflateds by Rs. 10000000.00.

The FDR of Rs. 3.00 Crore (1.00 Crore + 2.00 crore) matured on 20.08.22 and 19.08.22 respectively totalling Rs. 31406587.00 (10539882+20866705) taken as own source income and on re-investment the entire amount again shown an expenditure in the month of August, 2022

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

Commissioner
Municipal Corporation
Palampur

-115-

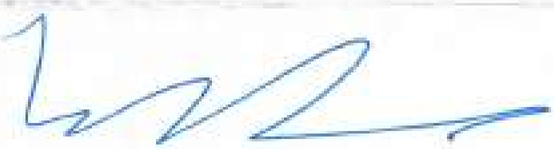

Bank Balances as on 31-03-2023
in respect of
Municipal Corporation,Palampur

Sr. No.	Name of the Banks	A/c Nos.	Balance as on 31.03.2023 (Amount)
1	SBI Palampur	55059019992	**762713.16**
2	SBI Palampur, ADB	11358897488	**265093.66**
3	PNB Palampur	2934000100048001	**8543606.64**
4	PNB Palampur (OBC)	06152010011850'	**1247669.44**
5	PNB Palampur (OBC)	06152191006188'	**18171.17**
6	Indian Bank Palampur	50076430422	**14657697.34**
7	Indian Bank Palampur (Allahabad Bank)	50509199630	**63261.00**
8	Indian Bank Palampur (Allahabad Bank)	50517937331	**7328514.00**
9	Indian bank Palampur	7041847674	**0.00**
10	Indian bank Palampur	7198974136	**5104963.00**
11	Indian bank Palampur	07024458522'	**13564842.86**
12	Indian bank Palampur	50384940727	**0.00**
13	Indian bank Palampur	50363086427	**12659.00**
14	Indian bank Palampur	7156653939	**0.00**
15	IDBI Palampur	0706102000009325'	**49143772.00**
16	IDBI Palampur	0706104000060349'	**350498.78**
17	ICICI Bank Palampur	093601000465'	**67602323.00**
18	ICICI Bank Palampur	093601001159'	**13032849.00**
19	UCO Bank Palampur (PMAY)	12550110043301'	**126254.00**
20	CANARA Bank	110006811863'	**10464545.00**
21	Central Bank Of India Palampur	3735105087	**172526.00**
22	Central Bank Of India Palampur	3671255148'	**0.00**

Commissioner
Municipal Corporation
Palampur

23	Axis Bank Palampur	918010080869396'	**14689167.00**
24	Himachal Pradesh Gramin Bank Ghuggar Palampur	88120100000260'	**77534.00**
25	HDFC Palampur	50100041817030'	**578920.27**
26	HDFC Palampur	50100473318444'	**0.00**
27	HDFC Palampur	50100530980755'	**9287.00**
28	KCC Bank Palampur	20141014707	**61583.00**
			207878450.32
	FDR's		**57154788.00**
	Total		**265033238.32**

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

Commissioner
Municipal Corporation
Palampur

Bank Reconciliation Statement as on 31.03.2023 in respect of Municipal Corporation, Palampur

Particulars		Debit	Credit
Balance as per Cash Book		242332457.06	
Cheques issued but not presented for payment			
Payment Voucher No.22 of 08/21	2251		
Payment Voucher No.23 of 08/21	3071		
Payment Voucher No.09 of 08/21	13481		
Payment Voucher No.10 of 08/21	48255		
Payment Voucher No.31 of 08/21	3800		
Payment Voucher No.32 of 08/21	483205		
Payment Voucher No.30 of 08/21	27750		
Payment Voucher No.33 of 08/21	297945		
Payment Voucher No.34 of 08/21	34009		
Payment Voucher No.36 of 08/21	37961		
Payment Voucher No.25 of 09/21	37200		
Payment Voucher No.22 of 09/21	4058		
Payment Voucher No.12 of 09/21	3050		
Payment Voucher No.18 of 09/21	54416		
Payment Voucher No.16 of 09/21	20000		
Payment Voucher No.44 of 10/21	8050		
Payment Voucher No.16 of 10/21	2535		
Payment Voucher No.11 of 10/21	1000		
Payment Voucher No.27 of 10/21	21707		
Payment Voucher No.18 of 10/21	58354		
Payment Voucher No.37 of 11/21	1830		
Payment Voucher No.22 of 11/21	8250		
Payment Voucher No.04 of 11/21	49473		
Payment Voucher No.38 of 01/22	14000		
Payment Voucher No.17 of 01/22	3537		
Payment Voucher No.08 of 02/22	84424		
Payment Voucher No.28 of 03/22	22050		
Payment Voucher No18 dated 09.12.22	40000		
Payment Voucher No.23 dated.19.04.22	2476		
Payment Voucher No.12 dated.04.05.22	9468		
Payment Voucher No 41 dated.30.05.22	3171		
Payment Voucher No 42 dated.30.05.22	1925		
Payment Voucher No 43 dated.30.05.22	2717		
Payment Voucher No.33 dated.17.06.22	5940		
Payment Voucher No.13 dated.05.12.22	84762	1496121	
Amount withdraw from Bank but expenditure not booked in Cash Book			
Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	37200		
Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	17700		
Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	67500		
Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	4500		
Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	233100		
Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	139200		
Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	170100		
Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	94500		
Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	39900		
Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	77400		
Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	127500		
Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	83800		
Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	291900		
Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	85800		
Withdrawn on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	82500		
Withdrawn on 24.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	105000		
Withdrawn on 24.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	59700		
Withdrawn on 02.04.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	53100		
Withdrawn on 08.04.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	4500		
Withdrawn on 22.04.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	7100		
Withdrawn on 26.04.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	7100		
Withdrawn on 31.05.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	33700		1844800
Income directly deposited into bank but not taken in Cash Book			
Deposited on 16.03.22 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	5670		
Deposited on 19.03.22 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	27000		

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

Commissioner
Municipal Corporation
Palampur

Deposited on 23.03.22 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	1035		
Deposited on 24.03.22 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	3465		
Deposited on 28.03.22 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	3465		
Deposited on 05.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	7100		
Deposited on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	4800		
Deposited on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	5700		
Deposited on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	3600		
Deposited on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	5700		
Deposited on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	4500		
Deposited on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	3000		
Deposited on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	3300		
Deposited on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	3300		
Deposited on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	6900		
Deposited on 23.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	6900		
Deposited on 24.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	4500		
Deposited on 24.03.22 in Bank A/c No. 9396 (Axis Bank)	5700		
Deposited on 06.04.22 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	76650		
Deposited on 01.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	750		
Deposited on 10.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	500		
Deposited on 10.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	4920		
Deposited on 14.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	50000		
Deposited on 14.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	2039		
Deposited on 14.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	750		
Deposited on 14.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	53555		
Deposited on 14.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	250		
Deposited on 14.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	750		
Deposited on 15.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	10000		
Deposited on 15.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	1800		
Deposited on 16.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	1380		
Deposited on 17.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	750		
Deposited on 17.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	600		
Deposited on 17.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	600		
Deposited on 20.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	2400		
Deposited on 20.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	750		
Deposited on 23.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	500		
Deposited on 27.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	6000		
Deposited on 27.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	8937		
Deposited on 28.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	1200		
Deposited on 28.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	7166		
Deposited on 28.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	24473		
Deposited on 28.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	750		
Deposited on 29.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	4070		
Deposited on 29.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	6527		
Deposited on 30.03.2023 in Bank A/c No. 30422 (Indian Bank)	11433	385135	
Income taken in Cash book but not deposited into bank up to 31-03-2023			
Income collected vide G-8 No. 41/180 dated 06.03.23 Rs.	750		
Income collected vide G-8 No. 43/180 dated 06.03.23 Rs.	750		
Income collected vide G-8 No. 45/180 dated 06.03.23 Rs.	750		
Income collected vide G-8 No. 47/180 dated 06.03.23 Rs.	750		
Income collected vide G-8 No. 48/180 dated 06.03.23 Rs.	750		
Income collected vide G-8 No. 51/180 dated 06.03.23 Rs.	750		
Income collected vide G-8 No. 52/180 dated 06.03.23 Rs.	750		
Income collected vide G-8 No. 54/180 dated 06.03.23 Rs.	500		
Income collected vide G-8 No. 97/177 dated 09.03.23 Rs.	150		
Income collected vide G-8 No. 65/193 dated 15.03.23 Rs.	500		
Income collected vide G-8 No. 63/180 dated 16.03.23 Rs.	1500		
Income collected vide G-8 No. 47/186 dated 18.03.23 Rs.	500		
Income collected vide G-8 No. 56/167 dated 22.03.23 Rs.	10000		
Income collected vide G-8 No. 15/22 dated 28.03.23 Rs.	600		
Income collected vide G-8 No. 88/167 dated 28.03.23 Rs.	500		19500
Income taken in Cash book (Cheques) but not deposited/credited into bank up to 31-03-2023			
Income collected vide G-8 No.53/22 dated 29.03.23 Rs.	2400		
Income collected vide G-8 No.54/22 dated 29.03.23 Rs.	1397		

Assistant Controller (Audit)
H.P. [illegible] Department
Shimla [illegible]

Commissioner
Municipal Corporation
Palampur

Income collected vide G-8 No.55/22 dated 29.03.23 Rs.	8136		
Income collected vide G-8 No.56/22 dated 29.03.23 Rs.	7728		
Income collected vide G-8 No.95/22 dated 29.03.23 Rs.	600		
Income collected vide G-8 No.96/22 dated 29.03.23 Rs.	1200		
Income collected vide G-8 No.97/22 dated 29.03.23 Rs.	6300		
Income collected vide G-8 No.04/23 dated 29.03.23 Rs.	1423		
Income collected vide G-8 No.100/167 dated 29.03.23 Rs.	1700		
Income collected vide G-8 No.17/23 dated 31.03.23 Rs.	600		
Income collected vide G-8 No.18/23 dated 31.03.23 Rs.	600		
Income collected vide G-8 No.20/23 dated 31.03.23 Rs.	31776		
Income collected vide G-8 No.53/23 dated 31.03.23 Rs.	8234		
Income collected vide G-8 No.61/23 dated 31.03.23 Rs.	16355		88449
Amount of Voucher No. /Dated withdrawn from the Bank twice			
Voucher No. 36 dated 21.12.22 (once on dated 21.12.22 and subsequently on dated 29.12.22 from A/c No 1159, ICICI Bank)	26017		26017
Expenditure booked in Cash Book but not in Bank A/c No 43301 UCO Bank			
Voucher No. 29 of 11/2021(PMAY)	180000		
Voucher No. 18 of 12/2021(PMAY)	300000		
Voucher No. 30 of 12/2021(PMAY)	500000		
Voucher No. 04 of 01/2022 (PMAY)	195000		
Voucher No. 10 of 01/2022 (PMAY)	900000		
Voucher No. 27 of 01/2022 (PMAY)	950000		
Voucher No. 28 of 01/2022 (PMAY)	50000	3075000	
Expenditure booked vide Voucher No.23 of 03/2022 on account of MMSAGY beneficiaries for the month 11/2021 to 02/2022, but not in bank (Account No 9396 Axis Bank)	1753500	1753500	
Income directly deposited in Bank A/c No.11850 (PNB) on 30.03.22 and 31.03.22 but not taken Cash Book till 31.03.2023	429616	429616	
Intertest credited by the Bank on dated 01.02.2022 but not taken in Cash Book 31.03.2023. (A/c No 11863 Canara bank)	10726	10726	
Bank charges on 06.01.22 but not taken in Cash Book till 31.03.2023	18		18
Interest credited by the Bank on FDRs but not taken in Cash Book (As per Audit & Inspection Notes for the period from 04/20 to 03/22)	909922	909922	
Interest credited by the Bank on FDRs but not taken in Cash Book (Current Audit Period 04/2022 to 03/2023)			
FDR No 6153031031315 on 13.01.23(PNB Palampur)	106932		
FDR No 14873476 on 28.03.23 (PNB Palampur)	18759		
FDR No 37119815060 on 15.07.22 (CBI Palampur)	31748		
FDR No 50300426122372 on 30.04.22 (HDFC Palampur)	182783		
FDR No 50300426122372 on 28.10.22 (HDFC Palampur)	185937		
FDR No 921040069790274 on 15.08.22 (AXIS Bank Palampur)	539882		
FDR No 921040070001309 on 20.08.22 (AXIS Bank Palampur)	539882		
FDR No 921040069969991 on 19.08.22 (AXIS Bank Palampur)	866705		
FDR No 607158 on 05.03.21 (KCC Bank Palampur)	22943		
FDR No 607158 on 05.03.22 (KCC Bank Palampur)	19774		
FDR No 607158 on 05.03.23 (KCC Bank Palampur)	20415		
FDR No 706106000026859 on 05.03.23 (IDBI Bank Palampur) (Rs. 500000 was invested on 01.02.20 from A/c No 596 for one year in the first instance and further re-invested. The principle amount and interest thereon Rs. 64555 till 31.03.2022 was taken in the bank balance statement in previous audit note 04/20 to 03/22. Total interest earned upto 01.02.2023(Maturity date) was Rs. 88734, hence balance interest taken here. (Key Document Annexure.......... At Page No.)	24179	2559939	
Income deposited during 1997 to 2005 but not entered in Cash Book	244887	244887	
Expenditure incurred directly from bank during 1997 to 2005 but not entered in Cash Book	40889		40889
Amount credited in KCCB Palampur A/c No.20141014707 up to 31.03.2023 not taken in Cash book **(Rs. 350000 invested in the shape of FDR along with interest taken in FDR Statement, Hence not taken here.)**	61583	61583	
Grant-in -aid taken in Cash Book but not in Bank			
Cash Book Page No 46 Dated 31.05.2022 (VKVNY)	10000		
Cash Book Page No 46 Dated 31.05.2022 (VKVNY)	10000		
Cash Book Page No 46 Dated 31.05.2022 (VKVNY)	10000		
Cash Book Page No 46 Dated 31.05.2022 (VKVNY)	200000		
Cash Book Page No 46 Dated 31.05.2022 (VKVNY)	100000		
Cash Book Page No 46 Dated 31.05.2022 (VKVNY)	20000		

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

Commissioner
Municipal Corporation
Palampur

Cash Book Page No 95 Dated 30.07.2022 (VKVNY)	10000		
Cash Book Page No 95 Dated 30.07.2022 (VKVNY)	10000		
Cash Book Page No 95 Dated 30.07.2022 (VKVNY)	10000		
Cash Book Page No 95 Dated 30.07.2022 (VKVNY)	10000		
Cash Book Page No 95 Dated 30.07.2022 (VKVNY)	10000		
Cash Book Page No 95 Dated 30.07.2022 (VKVNY)	15000		
Cash Book Page No 95 Dated 30.07.2022 (VKVNY)	15000		
Cash Book Page No 95 Dated 30.07.2022 (VKVNY)	20000		
Cash Book Page No 86 Dated 31.03.2023 (ULB Roads from UD)	3569200		4019200
Grant-in Aid received and expenditure incurred as per bank A/c No.43301 UCO Bank is Rs. 25210000, but as per Cash book Grants received Rs. 18200000 and expenditure as per cash book 25210000	7010000	**7010000**	
On pre-maturity of FDR No. 921040070187160 amounting to Rs. 10289659 on dated 14.06.2022. The principle amount Rs. 10000000 also shown as income along with interest.	10000000		10000000
Amount credited in Indian Bank Palampur A/c No. 07024458522 not taken in Cash Book upto 31.03.2023	13564842.86	13564842.86	
Cash in hand on 31-03-2023 (Deposited on 02.04. 2023)			84479
Balances as per Pass Books			265033238.32
Difference		7322861.48	
Total		281156590.32	281156590.32

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

Commissioner
Municipal Corporation
Palampur

संदर्भित पैरा : 4(ख) परिशिष्ट-3 [Page 1-2]

Financial Position of Municipal Corporation,Palampur

For The Year 2022-23

Pension and Gratuity Fund

Opening Balance	Receipt/ Grant	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
478190.85	3048980.00	32953.00	3560123.85	2210943.00	1349180.85

दिनांक 31.03.23 को रोकड़ वही अनुसार अन्तिम शेष : 1349180.85
दिनांक 31.03.23 को बैंक खाते अनुसार शेष : 1349180.85
(State Bank Of India,Palampur A/c No. 55059020317)
अंतर = 0.00

Commissioner
Municipal Corporation
Palampur

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

Monthly Income and Expenditure of M.C. Palampur for the Year 2022-23(Pension and Gruity Fund)

Month	Opening Balance	Receipt/ Grant	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
April,22	478190.85	277180.00	0.00	755370.85	150257.00	605113.85
May,22	605113.85	277180.00	0.00	882293.85	150257.00	732036.85
June,22	732036.85	277180.00	4970.00	1014186.85	150257.00	863929.85
July,22	863929.85	277180.00	0.00	1141109.85	144692.00	996417.85
August,22	996417.85	277180.00	0.00	1273597.85	144692.00	1128905.85
September,22	1128905.85	277180.00	7559.00	1413644.85	144692.00	1268952.85
Octobe,22	1268952.85	277180.00	0.00	1546132.85	144692.00	1401440.85
November,22	1401440.85	277180.00	0.00	1678620.85	144692.00	1533928.85
December,22	1533928.85	277180.00	10213.00	1821321.85	144692.00	1676629.85
January,23	1676629.85	0.00	0.00	1676629.85	144692.00	1531937.85
February,23	1531937.85	277180.00	0.00	1809117.85	319751.00	1489366.85
March,23	1489366.85	277180.00	10211.00	1776757.85	427577.00	1349180.85

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

Commissioner
Municipal Corporation
Palampur

Page-1783

Details of FDRs in respect of Municipal Corporation Palampur Distt. Kangra as on 31.03.2023

Sl. No	Name of Bank	FDR Nos.	Date of Investment	Date of Maturity	Period	Amount invested	Rate of Interest	Maturity value
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PNB Palampur	06153031031315	13.01.23	13.01.24	1 Year	2195011.00	6.75%	2346967.00
2	PNB Palampur	014873476	28.03.23	28.03.24	1 Year	385062.00	6.80%	411922.00
3	Central Bank of India Palampur	37119815060	15.07.22	15.07.23	1 Year	667884.00	5.25%	703644.00
4	HDFC Palampur	50300426122372	28.10.22	26.04.23	180 days	10958496.00	4.50%	11201684.00
5	AXIS Bank	922040073849871	16.08.22	27.08.23	1 Year 11 days	10539882.00	5.75%	11178456.00
6	AXIS Bank	922040074539186	20.08.22	25.08.23	1 Year 5days	31406587.00	6.00%	33361204.00
7	KCCB Palampur	607158	05.03.23	05.03.24	1 Year	413132.00	6.50%	440647.00
8	IDBI Palampur	706106000026859	01.02.23	01.02.24	1 Year	588734.00	6.75%	629491.00
					G. Total	5,71,54,788.00		

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

Commissioner
Municipal Corporation
Palampur

Details of FDRs in respect of Municipal Corporation Palampur Distt. Kangra as on 31.03.2023

Sl. No.	Name of Bank	FDR Nos.	Date of Investment	Date of Maturity	Period	Amount invested	Rate of Interest	Maturity value	TDS	Maturity value credited by bank/re-invested
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	PNB Palampur	06153031031315	13.01.22	13.01.23	1 Year	2098963	5.00%	2205895	10884	2195011
			13.01.23	13.01.24	1 Year	2195011	6.75%	2346967	00	00
	PNB Palampur	014873476	28.03.22	28.03.23	1 Year	368213	5.00%	386972	1910	385062
			28.03.23	28.03.24	1 Year	385062	6.80%	411922	00	00
2	Central Bank of India Palampur	37119815060	15.07.21	15.07.22	1 Year	636136	4.90%	667884	00	00
			15.07.22	15.07.23	1 Year	667884	5.25%	703644	00	00
3	HDFC Palampur	50300426122372	02.11.21	30.04.22	180 days	10589776	3.50%	10772559		
			30.04.22	28.10.22	180 days	10772559	3.50%	10958496		
			28.10.22	26.04.23	180 days	10958496	4.50%	11201684		
4	AXIS Bank	921040069790274	05.08.21	15.08.22	1 Year 10 days	10000000	5.15%	10539882	00	00
		922040073849871	16.08.22	27.08.23	1 Year 11 days	10539882	5.75%	11178456	00	00
5	AXIS Bank	921040070001309	10.08.21	20.08.22	1 Year 10 days	10000000	5.15%	10539882	00	00
6	AXIS Bank	921040070187160	11.08.21	21.08.22	1 Year 10 days	10000000	5.15%	10539882	FDr Pre-matured on dated 14.06.22 and Rs. 10289659 credited in A/c No. 918010080869396	
7	AXIS Bank	921040069969991	09.08.21	19.08.22	1 Year 10 days	20000000	4.15%	20866705	00	00
8	AXIS Bank	922040074539186	20.08.22	25.08.23	1 Year 5days	31406587	6.00%	33361204	FDR at Sr No. 5 & 7 are clubbed on maturity on Dated 20.08.22	
9	KCCB Palampur	607158	05.03.20	05.03.21	1 Year	350000	6.40%	372943		
			05.03.21	05.03.22	1 Year	372943	5.20%	392717		
			05.03.22	05.03.23	1 Year	392717	5.10%	413132		
			05.03.23	05.03.24	1 Year	413132	6.50%	440647		

Commissioner
Municipal Corporation
Palampur

(3)

10	IDBI Palampur	706106000026859	01.02.20	01.02.21	1 Year	500000	6.40%	532776		
			02.02.21	01.02.22	1 Year	532776	5.00%	559918		
			01.02.22	01.02.23	1 Year	559918	5.05%	588734		
			01.02.23	01.02.24	1 Year	588734	6.75%	629491		

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

Commissioner
Municipal Corporation
Palampur

संलग्नक पेज-7 पैराग्राफ-5

Page: 1 to 13

	Office of Municipal Corporation Palampur				
	Head Wise Financial position of Grants in Aid for the Year of 2022-23				

Sr. No	Head	Opening Balance	Grant Recived	Total	Expenditure	Closing Balance
1	SFC	62477629	102326065	164803694	85351065	79452629
2	D.C. Kangra	6882910	6116880	12999790	1936880	11062910
3	Tourism	0	0	0	0	0
4	ULB Roads	0	3569200	3569200	0	3569200
5	14th FC	0	0	0	0	0
6	SWM	0	0	0	0	0
7	Parking	8931724	0	8931724	0	8931724
8	Sewerage	0	0	0	0	0
9	PMAY	0	18200000	18200000	18200000	0
10	Development of Parks	6000000	0	6000000	4500000	1500000
11	Rain Damage	0	0		0	0
12	SBM	0	0		0	0
13	Atal Shresth Shahri Yojana	0	0		0	0
14	15th FC	0	87190480	87190480	55768244	31422236
15	Grant for newly created Corporation	0	0	0	0	0
16	Unknown Grants	9495969	0	9495969	0	9495969
17	Incentive to Sanitation Worker	0	0	0	0	0
18	CFC	17623513	17082343	34705856	34705856	0
19	MMSAGY	0	13384950	13384950	8490300	4894650
	Total	**111411745**	**247869918**	**359281663**	**208952345**	**150329318**

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

Commissioner
Municipal Corporation
Palampur

OFFICE OF THE COMMISSIONER, MUNICIPAL CORPORATION PALAMPUR (UD Grant before 01.04.2022)

No.	Letter No.	Sanction Authority	Purpose of Grant	Opening Balance 01.04.2022	Amount spent dunring the year	Closing Balance as on 31.03.23	Cash Book Page No.	U.C Status	GIA Register Page No.	Remarks
					2022-23					
1	UD-H(F)(10)-11/2005 HPIDB-V-Loose-24361-62 Dated 31.03.2016	UD	C/o Parking	39,31,724	0	39,31,724				0
2	UD-H (C)(10)-2/2005-VIII-HPIDB-Engg CELL-14295-313 Dated [illegible]	UD	Release of funds Under demand for construction of parking during 2017-[illegible]	5000000	0	5000000				
3	UD-H(F) Parks-Engg-Cell-5/2016-5396-5407 dated 07.03.2019	UD	Development of Parks	1500000	0	1500000				
4	UD-H(F)(10)-5/2016-Engg-Cell 5459-63 dated 01.04.2021	UD	Construction of Parks (PFMS)	4500000	4500000	0				Rs. 4500000 Tranferred to DFO Palampur For C/o park under Eco Tourism Vide CB Page No. ....Dt........
5	14.07.2021 SFC	UD	SFC	62477629	19447410	43030219				
6	UD-H(C)(10)-1/2020-3248-487 dated 29.12.2021	UD	CFC	17623513	17623513	0				
7	04.01.2022	UD	Unknown	470000	0	470000				
8	04.01.2022	UD	Unknown	4545514	0	4545514				

9	23.02.2022	UD	Unknown	4300455	0	4300455				
10	10.02.2022	UD	Unknown	80000	0	80000				
11	21.02.2022	UD	Unknown	100000	0	100000				
			TOTAL	10,45,28,835	41570923	6,29,57,912				

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

Commissioner
Municipal Corporation
Palampur

OFFICE OF THE COMMISSIONER, MUNICIPAL CORPORATION PALAMPUR UD Grant 2022-2023

No.	Letter No.	Sanction Authority	Purpose of Grant	Amount Received	Amount Spent during the year	Closing Balance as on 31.03.23	Cash Book Page No	U.C Status	GIA Register Page No.	Remarks
	15th FC (CFC)				2022-23					
1	UD-H (C)(10)-1/2020-7920-88 Dt. 11 April 22	UD	15th F.C. (1st Installment of Untied Grant) CFC	17082343	17082343	0	21	Not Sent		
2	UD-H (C)(10)-1/2020-I-CFC Releae-28040-28109 dt. 31.08.2022	UD	Release of 2nd Installment of Tied Grant to ULB for the year 2021-22 under 15th FC	25623513	17751679	7871834	24	Not Sent		
3	UD-H (C)(10)-1/2020-I-CFC Release-28110-28179 dt. 31.08.2022	UD	Release of 2nd Installment of Untied Grant to ULB for the year 2021-22(drawn in FY 2022-23) under 15th FC	17082343	17082343	0	24	Not Sent		
4	UD-H (C)(10)-1/2020-I-CFC Release-43197-258 dt. 14.11.22	UD	Release of interest 2nd Installment of tied Grant to ULB for the year 2021-22(drawn in FY 2022-23) under 15th FC	79748	0	79748	88	Not Sent		
5	UD-H (C)(10)-1/2020-I-CFC Release-42259-42320 dt. 14.11.22	UD	Release of interest 2nd Installment of untied Grant to ULB for the year 2021-22(drawn in FY 2022-23) under	56488	0	56488	88	Not Sent		
6	UD-H (C)(10)-1/2020-I-CFC Release-60623-85 dt. 02.03.2023	UD	Release of Ist Installment of Tied Grant to ULB for the FY 2022-23 under 15th Finance Commission	26609033	0	26609033	86	Not Sent		

-130-

7	UD-H (C)(10)-1/2020-I-CFC Release-60560-622 dt. 02.03.2023	UD	Release of Ist Installment of UnTied Basic Grant to ULB for the FY 2022-23 under 15th	17739355	3851879	13887476	86	Not Sent		
	6th SFC							Not Sent		
8	UD-H (C) (10)-1/2022-SFC AWARD-25021-25084 Dt. 05.08.2022	UD	6th SFC (UnTied Grant)	102326065	65903655	36422410	24	Not Sent		
	MMSAGY							Not Sent		
9	MMSAGY	UD	MMSAGY	11869450	8490300	3379150	95	Not Sent		
10	MMSAGY	UD	MMSAGY	553700	0	553700	44	Not Sent		
11	UD-H(F)-Misc-MMSAGY-II-loose 42050-42081 Dt. 02.11.2022	UD	MMSAGY	961800	0	961800	88	Not Sent		
	PMAY					0		Not Sent		
12	4.2022	UD	PMAY	10000000	10000000	0	21	Not Sent		
13	26.06.2022	UD	PMAY	5000000	5000000	0	71	Not Sent		
14	30.09.2022	UD	PMAY	1000000	1000000	0	44	Not Sent		
15	31.12.2022	UD	PMAY	2200000	2200000	0	9	Not Sent		
	ULB Road							Not Sent		
16	No.UD-H(F)-Engg.Cell-ULB's Roads-V-62483-78 dt.25.03.2023	UD	ULB Road	3569200	0	3569200	86	Not Sent		Not Received as per Bank Passbook
			TOTAL	**241753038**	**148362199**	**93390839**				

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

Commissioner
Municipal Corporation
Palampur

OFFICE OF THE COMMISSIONER, MUNICIPAL CORPORATION PALAMPUR (DC Grant before 01.04.2022)

Sr. No.	Letter No.	Sanction Authority	Purpose of Grant	Opening Balance 01.04.2022	Amount spent dunring the year	Closing Balance as on 31.03.23	Cash Book Page No.	U.C Status	GIA Register Page No.	Remarks
					2022-23					
1	KANGRA/YOJNA/SDP/2585 dated 31.12.2018		Fodder cum care taker shed with kitchen and toilet Nandan Gau Sadan	5,00,000	0	5,00,000		Not Sent		
2	KANGRA/YOJNA/SDP-5264 dated 16.01.2020	DC (SDP)	Construction of Parking W.No. 04	1000000	0	10,00,000		Not Sent		
3	DTO, 01.09.2020	DC		50000	0	50,000		Not Sent		
4	Kangra/Yojna/SDP/3000,13.03.2021	DC	C/o B/Wall, Toilet Bathroom Near Geeta Mahila Mandal W. No. 01	300000	0	3,00,000		Not Sent		
	Kangra/Yojna/SDP/3000,13.03.2021	DC	Fencing of Basket Ball Ground Near Kali Mandir W. No.	250000	0	2,50,000		Not Sent		
	Kangra/Yojna/SDP/3000,13.03.2021	DC	R/o Shamshan Ghat near Railway Line W. No. 10	250000	0	2,50,000		Not Sent		
	Kangra/Yojna/SDP/3000,13.03.2021	DC	Tiles Work in Basket Ball Court floor in Ram Chowk W. No. 12	350000	350000	0		Not Sent		
	Kangra/Yojna/SDP/3000,13.03.2021	DC	C/o Road for play gorund in Holta	205083	0	2,05,083		Not Sent		
5	Kangra/Yojna/VKVN-3025-26 Dt. 16.03.2021	DC	C/o Pucca Path to the house of Raj Katoch etc. Vill.	100000	0	1,00,000		Not Sent		
6	DTO,03.03.2021	DC		470976	0	4,70,976		Not Sent		
7	DTO,03.03.2021	DC		507121	0	5,07,121		Not Sent		

8		DC	Mandir Officer, C/o Gausadan (Road) Shri Chamunda Mandir Niyas	800000	0	8,00,000		Not Sent		
9	317-Relief dated 17.04.2021	DC	C/o R/wall & Drain work upper Balmiki Mandir Near Ram Chowk Ward No 02 MC	250000	250000	0		Not Sent		
10	317-Relief dated 17.04.2021	DC	R/o Natural Water source Shani Mandir Dohru Mohala W.No. 04	250000	0	2,50,000		Not Sent		
11	317-Relief dated 17.04.2021	DC	C/o Rajpur Kuhl Near P.H.C Ward No 11	250000	0	2,50,000		Not Sent		
12	317-Relief dated 17.04.2021	DC	C/o link Road from N.H. towards Onkar Chand House Ward no 14	300000	0	3,00,000		Not Sent		
13	17.02.2022	DC	DTO	307525	0	3,07,525		Not Sent		
14	17.02.2022	DC	DTO	243032	0	2,43,032		Not Sent		
15	17.02.2022	DC	DTO	374173	0	3,74,173		Not Sent		
16	17.02.2022	DC	DTO	125000	0	1,25,000		Not Sent		
			TOTAL	**68,82,910**	**600000**	**62,82,910**				

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department

Commissioner
Municipal Corporation
Palampur

OFFICE OF THE COMMISSIONER, MUNICIPAL CORPORATION PALAMPUR DC Grant of 2022-23

Sr. No.		Letter No.	Purpose of Grant	Sanction Authority	Amount Received	Amount Spent during the year 2022-23	Closing Balance as on 31.03.23	Cash Book Page No.	U.C Status	GIA Register Page No.	Remarks
1	DC	KANGRA/YOJNA/VKV/725-26 Dated 25.05.2022	VKV/2022/396, other purchase of utensils and furniture for Sarswati Mahila Mandal Uper Chimbalhar W.N. 07 Bindraban	DC	10000	0	10000	46	Not Sent		
			VKV/2022/397, other purchase of utensils and furniture for Laxmi Mahila Mandal Chimbalhar W.N. 07 Bindraban	DC	10000	0	10000	46	Not Sent		
			VKV/2022/398, other purchase of utensils and furniture for Durga Swaam Sahata Samooh Bhadoon W.N. 07 Bindraban	DC	10000	0	10000	46	Not Sent		
2			VKV/2022/451, C/o Funds for C/o Ambedkar Bhawan at Rajpur W.N. 11	DC	200000	0	200000	46	Not Sent		

		Kangra/Yojna/VKV/ 858-59 Dated 30.05.2022	VKV/2022/452, C/o Tin Roofing of Samudaya Bhawan Near Sai Bhawan	DC	100000	100000	0	46	Not Sent		
			VKV/2022/453, For Purchase of utensils and furniture to Santoshi Mahila Mandal Ghuggar W.N. 04	DC	20000	20000	0	46	Not Sent		
3	VKV		VKV/2022/965, other purchase of utensils and furniture for Shiva Mahila Mandal Bharmat W.N. 15	DC(MLA)	10000	10000	0	95	Not Sent		
			VKV/2022/966, other purchase of utensils and furniture for upper Bharmat Mahila Mandal Bharmat	DC(MLA)	10000	10000	0	95	Not Sent		
			VKV/2022/967, other purchase of utensils and furniture for Kanha Mahila Mandal Bharmat W.N. 15	DC(MLA)	10000	10000	0	95	Not Sent		
			VKV/2022/968, other purchase of utensils and furniture for Kamakhya Mahila Mandal Bharmat W.N. 15	DC(MLA)	10000	10000	0	95	Not Sent		

		KANGRA/YOJNA/VKV/1023-24 Dated 23.07.22	VKV/2022/969, other purchase of utensils and furniture for Maa Durga Mahila Mandal Bharmat W.N. 15	DC(MLA)	10000	0	10000	95	Not Sent		
			VKV/2022/970, other purchase of utensils and furniture for Mahila Mandal Rajpur W.N. 11	DC(MLA)	15000	15000	0	95	Not Sent		
			VKV/2022/971, other purchase of utensils and furniture for Mahila Mandal Rajpur Chowk W.N. 11	DC(MLA)	15000	15000	0	95	Not Sent		
			VKV/2022/972, other purchase of utensils and furniture for HIM Shakti Mahila Mandal Jhandera W.N. 13	DC(MLA)	20000	20000	0	95	Not Sent		
4	SDRF	Sanction No. relief1760 dt. 12.10.22	SDF/2022/734, Re-C/o protection wall near Nalla to protect the land and house of Smt. Sunita Devi W/o Arjun Kumar W.N. 15	DC Head (SDRF)	80000	0	80000	68	Not Sent		

			SDF/2022/750, Re-C/o Retaining wall near Mahila Mandal Bhawan W.N. 04 Aima M.C. Palampur	DC Head (SDRF)	200000	0	200000	68	Not Sent		
5		Sanction No. Relief/768 dt. 12.10.22	SDF/2022/762, R/o (Repair of Jeepable road and retaining wall near house to Mani Ram from House of Jitender towards Chandmari Mohal	SDRF (R&R Of Damaged Roads /Bridges (SDRF)	100000	0	100000	68	Not Sent		
6	SDP	Kangra/Yojna/SDP/ 5607 Dated 16.02.2023	SDP/2022/1208, others Development of Parking in Palampur Near Combined office Building	SDP (DC)	300000	0	300000	46	Not Sent		
7		Kangra/Yojna/SDP/ 1628 Dated 01.05.2022	SDP/2022/466, C/o PUCCA Path from the House of Chaman Lal Abrol towards Moul Khadd w.n. 03	SDP (DC)	50000	0	50000	46	Not Sent		
8		EDN-HE (9)1-1/2022-23 (SJUV) Dtaed 13.10.2022	Transfer from the Banuri Sr. Sec. School Utkrist Vidyalya Yojna (DC)		1300000	0	1300000	86	Not Sent		

9		Director of Youth Servies and Sports(No. YSS-C(5)-3/2022 Diary No. 6273 dt. 22.03.23	Proposal for granting administrative approval and Expediture Sanction under Mukhyamantri YuVA khel Protsahan Yojana for construction of Play Ground at Simlu in W.N. 13 Tanda Holta,	Director Youth Service & Sports	1500000	0	1500000	86	Not Sent		
10		Kangra/Yojna/MPS /1210-11 Dt. 20.06.22	MPS/2021/27 C/o of jeepable road from Shiv shakti temple difarpatt to Manohar Lal Awasthi, Susheel Kumar, Guddu Ram Kamal Kumar House W.N. 06	DC (MPLAD)	200000	0	200000	71	Not Sent		
11		(Kangra/yojna/mpr /1204-05 dt. 20.6.22	MPR/2021/54, OTHERS INSTALLATION OF 12 NO. 18 WATT LED SOLAR STREET LIGHTS IN GHUGGAR (Kangra/yojna/mpr/1204-05 dt. 20.6.22	DC (MP. SMT. INDU BALA GOSWAMI)	215040	215040	0	71	Not Sent		Refund to DC Kangra at Dharamshala Vide Cash Book Page No. Dt. 21.09.22 letter No.
12			MPR/2021/54, OTHERS INSTALLATION OF 12 NO. 18 WATT LED SOLAR STREET LIGHTS IN MC PALAMPUR	DC (MP. SMT. INDU BALA GOSWAMI)	931840	931840	0	71	Not Sent		Refund to DC Kangra at Dharamshala Vide Cash Book Page No. Dt.

		Sanction No. Kangra /Yojna/MPR-343-44 Dt. 26.04.22	MPR/2021/20, C/o Two Rooms at sahed Major Sudhir Kumar walia GSSS Banuri Mohal Banuri	DC (MPLAD)	300000	0	300000	21	Not Sent		
14		Kangra/Yojna/MPR /608-609 Dated 19.05.2022	MPR/2021/43, Compl. Of Community Hall at W.N. 11 Rajpur	DC (MPLAD)	300000	0	300000	46	Not Sent		
15		KNG-PLG/MPLADS/2022-23-5123-24 Scheme No MPS/2017/147	C/o of Community Bhawan in Banuri GP Banuri Khas Sanctioned under head MPLADS(LS) in 2017-2018		150000	0	150000		Not Sent		
16		No. Agr/SDSCO/PLP/Cash/2022-23 4848 Dated 23.11.2022		Soil Conservation Palampur	40000	0	40000		Not Sent		
				TOTAL	6076880	1356880	4760000				

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla 171009

Commissioner
Municipal Corporation
Palampur

संदर्भित पैरा-25

"परिशिष्ट- 12"

Details of the Kms covered and amount paid to the Hired vehicle during the financial year 2022.23

Vehicle No. HP01D.4515 (Hon. Mayor)

Sr. No.	Month	Opening Meter Reading	Closing Meter Reading	Total Kms. Vehicle Plied	Excess over 1500 Kms.	Vr.No / Date	Amount Paid	Remarks
1	03/2022	430914	431992	1078	0	09/04.2022	38000.00	Consolidated amount paid Rs. 91025.00 for 02.23 and 03.23
2	04/2022	431992	434149	2157	657	28/ 13.05.22	50465.00	Out of excess 657 Kms., 422 Kms. were required to be adjusted from less plying of vehicle i.e. 1500.1078nof 03/2023 as per condition 5 of Agreement. Thus excess payment of Rs. 6144.00 made to the firm.
3	05/2022	433947	434977	1030	0	05/ 04.06.22	38000.00	
4	06/2022	434973	435942	969	0	19/ 07.07.22	38000.00	
5	07/2022	436863	438502	1639	139	17/ 06.08.2022	38000.00	
6	08/2022	438502	440258	1756	256	19/ 08.09.22	42339.00	
7	09/2022	440258	441727	1469	0	28/12.10.22	38000.00	
8	10/2022	150800	151310	510	0	03/01.11.22	38000.00	
9	11/2022	151400	151910	510	0	08/02.12.22	38000.00	
10	12/2022	151910	152942	1032	0	03/ 02.01.23	38000.00	
11	01/2023	152942	153594	652	0	10/ 02.02.23	38000.00	
12	02/2023	153994	154441	447	0	08/04.03.23	38000.00	
13	03/2023	154441	155061	620	0	24/09.05.23	38000.00	
Total Kms Covered				13869	Total amount paid		510804	

Assistant Controller (Audit)

संदर्भित पैरा-32

"परिशिष्ट-13"

Recovery Statement of Sh. Lalit Katoch (JE)

Period	Salary Due				Salary Drawn				Difference	Period in Months	Excess Paid
	Basic + Grade Pay	D A	I R	Total	Basic + Grade Pay	D A	I R	Total			
01.04.22 to 31.05.22	24080 +6600	48781.20	6442.80	85904	25840 +6600	51579.60	6812.40	90832	4928	2	9856.00
01.06.22 to 31.12.22	25000 +6600	50244.00	6636.00	88480	26820 +6600	53137.80	7018.20	93576	5096	7	35672.00
											45528.00

Assistant Controller (Audit)
H.P. ... Department
Shimla-171009

कार्यालय हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-09